राजस्थान विधान सभा

पंचम बैठक, शुक्रवार, दिनाङ्क २८ सितम्बर, १९५६

विधान सभा की बैठक सभा भवन, जयपुर, में प्रातः ११-१४ बजे प्रारम्भ हुई

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न

श्री अध्यक्ष—प्रश्न, श्री हरिकृष्ण व्यास ।

प्रश्न संख्या ३५

३१ मार्च, १९५६ तक कुछ विभागों में सरकार की बकाया धन राशि

श्री हरिकृष्ण व्यास—Will the Minister for Finance be pleased to state:—

(a) What is the amount of Government dues outstanding against the following Departments as on 31-3-1956:—

Civil Supplies, Mining, Electrical & Mechanical Department, Excise and Taxation, Irrigation, Land Revenue, Loans, Relief and Rehabilitation Department, P.W.D., Circuit Houses and Agriculture Department?

(b) What are the reasons for these outstandings ?

(c) What has been the position in respect of such dues outstanding during the previous years? Have they decreased from year to year or increased?

(d) What steps does the Government propose to take to remedy this state of affairs?

श्री बृजसुन्दर शर्मा (वित्त मंत्री)—Figures of Government dues outstanding in respect of each department are as under:—

1. Civil Supplies Department	.. ..	31-3-56	98,87,326
2. Mining Department	.. ..	,,	23,66,383
3. Electrical & Mechanical.	.. ..	,,	89,64,489

Page No 2

[श्री बृजसुन्दर शर्मा]

4. Excise & Taxation—			
Excise	.. ..	31-3-56.	17,43,269
Customs	.. ..	,,	13,52,605
5. Irrigation Department	.. ..	,,	7,46,041
6. Land Revenue	.. ..	,,	3,15,46,814
7. Relief & Rehabilitation.	.. ..	,,	1,03,068
8. P.W.D.	.. ..	,,	1,29,46,104
9. Circuit Houses.	.. ..	,,	88,200
10. Agriculture Department	.. ..	,,	Nill
			6,97,44,299
Loans			
Taccavi	.. ..	31-3-56.	4,76,77,009
Notabilities & Jagirdars	.. ..	31-3-55	1,20,30,268
Municipalities, District Boards & Corporations	.. ..	,,	48,68,235
Miscellaneous Loans	.. ..	,,	79,72,760
Agricultural Loans.	.. ..	31-3-56.	50,97,879
			7,76,46,101

(b) Specific answer for each department could be given by the Minister-in-charge but as far as the overall control with the Finance Department is concerned it has been found that bulk of these dues constitute the legacy of the past and have not been cleared due to the imcompleteness of the records of the covenanting States, non-obtaining of securities and migration of parties in Pakistan. In several cases inter-departmental settlement is pending in the absence of acceptance of the debit by the responding department.

(c) The outstanding dues have generally been declining from year to year as is shown from the following figures:—

S.No. 1	*Name of the Department* 2	*Outstanding as on* 31-3-55. 3	*Outstanding as on* 31-3-56. 4
1.	Irrigation.	23,04,386/2/11	7,46,041/7/3
2.	Excise & Taxation	36,94,598/2/-	30,95,874/-/-

[श्री बृजसुन्दर शर्मा]

1	2	3	4
3.	Forest Deptt.	10,85,274/-/4	8,63,016/11/3
4.	Mining	23,30,350/-/-	19,80,548/-/-
5.	Land Revenue	1,54,40,349/-/-	1,51,53,095/-/-
6.	Civil Supplies	1,32,23,152/-/-	98,87,326/-/-

In Electrical & P.W.D. the figures have increased due to the non-payment of dues by Jaipur, Jodhpur and Bikaner and other Municipalities, and belated settlement of the case of Rulers who are entitled to free supply of Electricity and Water under the Covenant.

(d) The Government have already tightened the departmental machinery to expedite action of recovery and take recourse to Public Demand Recovery Act in cases where no other alternative way of recovery is possible. Inter-departmental adjustments relating to Water and Electricity dues from Rulers and Food dues from the Government of India will be completed soon. Departmental officers are being instructed to review the position of outstandings and recommend to the Government for writing off such cases in which there is no hope of recovery. The Finance Department is contemplating to establish a special machinery to conduct an overall survey of the departmental dues and recovery, and devise measures for expeditious settlement of the cases.

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय मन्त्रीजी ने बताया कि ज्यादातर पुरानी स्टेटों की लीगेसीज के रूप में ड्यूज चले आये हैं, तो क्या वे यह बताने की स्थिति में हैं कि यह बतावें कि ये जो अमाउन्ट्स बताये गये हैं उनमें कितना भाग प्री इन्टीग्रेशन का है और कितना भाग पोस्ट इन्टीग्रेशन का है ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—यह बहुत लम्बी चौड़ी लिस्ट और छानबीन का मामला है जो कि थोड़े से समय में पता नहीं लगाया जा सकता ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या परसेन्टेज के रूप में इसका पता लगाया जा सकता है कि जितना आउटस्टेन्डिंग है उसमें से कितना प्री इन्टीग्रेशन का है और कितना पोस्ट इन्टीग्रेशन का है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—मैंने कहा कि पूरे फीगर का पता ही लग जावे तो फिर परसेन्टेज का निकालना भी आसान हो जावेगा । बड़े फीगर सारे डिपार्टमेन्टों के हैं और उनकी डिटेल इस प्रकार से मालूम कर लेना नामुमकिन सा था । इसके लिये जानकारी लेने में बहुत लम्बा समय चाहिये । अगर इतना लम्बा समय अध्यक्ष महोदय, दिया जा सके तो मैं जानकारी दे सकूंगा ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल और पी. डब्ल्यू. डी. के ड्यूज के बढ़ाने का कारण यह बतलाया गया है कि रूलर्स को फ्री सप्लाई होने के कारण उनसे पेमेन्ट अभी तक नहीं लिया जा सका। तो जिनको फ्री सप्लाई नहीं है उनसे तो क्या पेमेन्ट लिया जा चुका है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा (वित्त मंत्री)—जिनको फ्री सप्लाई नहीं है उनका तो पेमेन्ट होता रहा है, उससे पहले जब से कि ऑर्डर इशू किया है तो जिन लोगों के फैसले करने थे उनका सेटिलमेंट हो चुका है। जयपुर, जोधपुर को फ्री सप्लाई दिया है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—स्पष्ट उत्तर नहीं आया।

जिनको फ्री सप्लाई नहीं, उनसे रिकवरी हो चुकी है। Is that the position?

श्री शर्मा—कई ने डिस्प्यूट उसके बारे में कर रखे हैं। अब जाकर फैसला हुआ है। जिन्होंने डिस्प्यूट कर रखे थे उनमें से कई ने पेमेन्ट देना बन्द कर रखा था। उनके फैसले हुए कि किन से लेना है और किन से नहीं लेना है। उनसे रिकवरी करने की कोशिश की गई।

श्री व्यास—फ्री सप्लाईज की लिमिट्स क्या मुकर्रर कर दी गई हैं ?

श्री शर्मा—जी हां।

श्री व्यास—वह कब मुकर्रर की गई ?

श्री शर्मा—मेरे खयाल से दो महीने का अरसा हुआ होगा।

श्री व्यास—माइनिंग डिपार्टमेंट के बारे में मंत्री महोदय ने यह बताया कि २३ लाख में से अब १९ लाख हो गया है, तो यह १९ लाख के फीगर्स कौनसी तारीख के लिये हैं ?

श्री शर्मा—३१-३-५६।

श्री व्यास—क्या यह सही है कि माइनिंग डिपार्टमेंट के जो ड्यूज हैं इन ड्यूज में ज्यादातर की रिकवरी डिपार्टमेंटल फाइनेलाइजेशन नहीं होने के कारण पेंडिंग हैं ?

श्री शर्मा—यह तो डिपार्टमेंट ही जवाब दे सकता है, मेरे पास जवाब नहीं है।

श्री व्यास—फाइनेन्स डिपार्टमेंट की ओर से आउटस्टेंडिंग को रिकवर करने के सिलसिले में क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ? इसकी देखभाल करने के लिए क्या स्टेप लिये जा रहे हैं ?

श्री शर्मा—इसकी देखभाल वेज एन्ड मीन्स सेक्शन करता है। फाइनेन्स डिपार्टमेंट ने हरएक डिपार्टमेंट से क्वार्टर्ली स्टेटमेंट मंगाने शुरू किये हैं। उनको डेफिनिट इन्स्ट्रक्शन्स दिये गये हैं कि जहां कहीं भी वसूली नहीं हो रही हो वहां चालू की जाय, और जहां वसूली नहीं हो सकती हो और कोई नहीं दे रहा हो तो पी. डी. आर. एक्ट के तहत उससे वसूली की जाय। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर्स ने ज्यादा स्टाफ मांगा था। उन्होंने कहा था कि स्टाफ की कमी की वजह से नहीं कर सकते हैं तो वह स्टाफ प्रोवाइड किया गया है और मशीनरी को अब गियर अप किया गया है।

Page No 5

प्रश्न संख्या ३६

राजस्थान के निर्माण के पश्चात् तहसील दूनी और उनियारा में निर्मित सड़कें और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बनाई जाने वाली सड़कें

राव राजा श्री सरदारसिंह—क्या निर्माण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) राजस्थान के निर्माण के बाद तहसील उनियारा और दूणी में कुल कितने मील तक की सड़कें बनाई गईं ?

(ख) क्या सरकार की उपरोक्त तहसीलों में कोई सड़क बनाने की योजना है ?

(ग) यदि हां, तो ये सड़कें कहां कहां होकर बनाई जायंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(घ) क्या सरकार को विदित है कि उपरोक्त तहसीलों में वर्षा में यातायात महीनों बन्द रहता है और जनता को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ?

(ङ) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सरकार की कहां कहां पर सड़कें बनाने की योजना है ?

श्री शाह अलीमुद्दीन (उप-मंत्री)—(क) ८ मील सड़क बनाई गई है ।

(ख) हां ।

(ग) पहली पंचसाला स्कीम में चालू किये गये जो कार्य चालू रहेंगे वे ये हैं :—

१. लाखेरी से टोंक उनियारा होती हुई सड़क ।

२. सवाई माधोपुर से टोंक और उनियारा होती हुई सड़क ।

इनके अलावा (१) दूराड़ी से टोंक देवली तक सड़क । (२) टोंक देवली सड़क को डामर करने के काम जो कि दूसरी पंचसाला योजना में मंजूर हुए हैं वे भी कराये जायेंगे ।

(घ) बारिश में ट्रान्सपोर्टेशन की तकलीफ सभी जगह रहती है ।

(ङ) दूसरी पंचसाला योजना में करीब करीब सभी जिलों में सड़कें बनाने की योजना है ।

राव राजा श्री सरदारसिंह—क्या यह दुराड़ी से दूनी और नागोद भी स्कीम में रखी गई है ?

श्री शाह—सवाल को दोहराइयेगा ।

राव राजा श्री सरदारसिंह—क्या दूनी से सराला, जो कि एक मील का फासला है, दूनी तहसील का हेडक्वार्टर है और वह एक मील का फासला है तो क्या वहां एक सड़क बनाने की योजना थी ?

श्री शाह—यह अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। तहसीलवार कोई लिस्ट नहीं दी जा सकती है। डिस्ट्रिक्टवाइज लिस्ट तैयार हो रही है। वह अभी नामुकम्मल है। उसके मुकम्मल हो जाने के बाद ही निश्चित रूप से बताया जा सकता है, छोटी छोटी लिन्क रोड्स के बारे में ।

श्री सरदारसिंह—लिस्ट कब तक तैयार हो जायगी ? जनरल इलेक्शन के पहले या बाद में ?

Page No 6

श्री शाह—जी नहीं, अभी थोड़े ही दिनों में ।

श्री जगतसिंह झाला—चित्तौड़ जिले के अन्दर सड़कें रोड रोलर्स के अभाव में पड़ी हुई हैं।

श्री शाह—इसमें कोई शक नहीं कि रोड रोलर्स की कमी रही है लेकिन बहुत सी सड़कें ऐसी हैं कि जहां बहुत जरूरत है वे जारी की गई हैं। अब कुछ सड़कें ऐसी हैं जो शुरू होने वाली हैं । बन्द पड़े रहने के मायने यह नहीं कि उन्हें भूल गये।

श्री झाला—बड़ी सादड़ी से छोटी सादड़ी की सड़क प्रथम पंचवर्षीय योजना में ली गई थी लेकिन अब वह द्वितीय पंचवर्षीय योजना तक नहीं बन पाई है, उसका क्या कारण है ?

श्री शाह—कारण बहुत हैं। रोड रोलर्स का ऑर्डर दिया गया वह रोड रोलर्स नहीं मिल सके। कहीं पर टेन्डर मांगे तो टेन्डर सही वक्त पर नहीं आये। कहीं ऐसा हुआ कि ठेकेदार टेन्डर देने के बाद गायब हो गया। बीसियों किस्म के कारण हैं जिनकी वजह से सड़कें नामुकम्मल रहीं ।

श्री झाला—मैं स्पेसिफिक सड़क की पूछ रहा हूं, बड़ी सादडी से छोटी सादड़ी तक की ।

श्री शाह—सेपेरेट क्वेश्चन फरमाइयेगा तो मालूमात हासिल करके इत्तिला दी जायगी ।

राव राजा श्री सरदारसिंह—माननीय मंत्री जी ने फरमाया कि रोड रोलर्स की कमी के कारण भी सड़क नहीं बनाई जा सकती हैं, तो क्या यह भी सही है कि रायसिंहनगर में रोड रोलर यों ही खाली पडा हुआ है तो उनको यों ही क्यों न काम में लाया जाय ?

श्री शाह—रोड रोलर्स जहां खाली पड़े हैं तो वे बेकार होकर ही पड़े होंगे। कारआमद रोलर्स खाली नहीं पड़े रहते हैं ।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—रायसिंहनगर और पदमपुर सड़क के बीच में एक रोड रोलर पड़ा हुआ है ।

श्री शाह—इसके मुताल्लिक इनफरमेशन अलग से दे दें तो मालूमात हासिल कर लूंगा । गालिबन मैं समझता हूं कि बीमार पडा हुआ होगा । (हंसी)

श्री जगतसिंह झाला—जो रोड रोलर्स मांगे गये हैं वे कब तक राजस्थान में आ जायेंगे ?

श्री शाह—टेन्डर्स लिये गये हैं। पहले टेन्डर मांगे गये थे तो इम्पोर्ट लाइसेन्स एवेलेबिल नहीं हो सका। फिर इम्पोर्ट लाइसेन्स एवेलेबिल करने की कोशिश की गई है और टेन्डर्स ओब्टेन किये गये हैं । वे जल्दी ही आ जायेंगे ।

श्री सरदारसिंह—क्या यह खयाल किया जाय कि दूसरे चुनाव से पहले वे आ जायेंगे ?

श्री शाह—चुनाव का सवाल तो इस समय नहीं आता है कि चुनाव कब होगा, क्या होगा इसके मुताल्लिक ?

(हंसी)

श्री अध्यक्ष—चुनाव नहीं होने देने का इरादा है क्या ?

(हंसी)

प्रश्न संख्या ३७

राजस्थान सरकार द्वारा अपनाई गई शराबबन्दी की नीति के पश्चात् प्रदान किये गये नये अनुज्ञापत्र

श्री जवानसिंह—क्या पृथक् राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) राजस्थान सरकार ने शराब बन्दी की नीति कब से अखत्यार की ?

(ख) इस नीति के पहले कुल कितने देशी व विदेशी शराब के लाइसेंस समस्त राजस्थान में सरकार की ओर से दिये गये थे और अब कुल कितने लाइसेंस रह गये हैं ?

(ग) क्या शराबबन्दी के बाद भी नये लाइसेंस दिये गये हैं ? यदि हां, तो किन २ जगहों पर और किस आधार पर ?

(घ) आगे इस नीति के हेतु सरकार क्या कदम लेना चाहती है ?

श्री अमृतलाल यादव (पृथक् राजस्व मंत्री)—(क) राजस्थान सरकार ने शराबबन्दी की तरफ १ अप्रेल, सन् १९५६ से कदम उठाना शुरू कर दिया है।

(ख) इस कदम उठाने के पहले देशी व विदेशी व भारत में बनी हुई विदेशी शराब के लाइसेन्स राजस्थान में निम्नलिखित दिये गये थे :—

(१) देशी शराब २९९४ ।

(२) विदेशी व भारत में निर्मित विदेशी शराब १६५ ।

(ग) इस साल यानी १९५६-५७ में देशी व विदेशी शराब के लाइसेन्स निम्नलिखित दिये गये हैं :—

(१) देशी शराब २६८६ ।

(२) विदेशी व भारत में निर्मित विदेशी शराब केवल ९६ ।

शराबबन्दी की ओर कदम उठाने के बाद नये लाइसेन्स नहीं दिये गये हैं ।

(घ) राजस्थान सरकार शराबबन्दी की ओर निम्नलिखित कदम पहली अप्रेल, सन् १९५६ से उठा चुकी है :—

(१) होटलों में, मद्यपानगृहों में, भोजनालयों में, जलपानगृहों में व क्लबों तथा सिनेमाओं में शराब की रिटेल बिक्री के लाइसेन्स समाप्त कर दिये गये हैं । केवल कुछ विशेष होटलों को विदेशी यात्रियों (Tourists) के लिये एक निश्चित कमरे में शराब देने का लाइसेन्स दिया गया है ।

(२) शराब की दुकानों की संख्या कम की जा रही है ।

[श्री अमृतलाल यादव]

(३) निम्नलिखित दिनों में शराब की दुकानों को बन्द करने का आदेश हो चुका है और उनका पालन भी कड़ाई से किया जा रहा है। वेतन वितरण दिवस, गणतन्त्र दिवस, राजस्थान दिवस, स्वतन्त्रता दिवस, महात्मा गांधी जयंती तथा हरिजन दिवस।

(४) शहरों के प्रमुख भागों से व लोगों के निवास स्थानों से दूर शराब की दुकानों को हटाने का प्रबन्ध किया जा रहा है।

(५) सबसे सस्ती शराब की कीमत १ रु. प्रति बोतल से बढ़ाकर १ रु. ४ आ. कर दी गई है।

राजस्थान सरकार ऊपर लिखे कदम तो उठा चुकी है और निम्नलिखित कदम इस पौलिसी के हेतु और लेना विचार रही है:—

(१) सरकारी कर्मचारियों पर शराब पीने के संबंध में प्रतिबन्ध लगाने पर विचार किया जा रहा है।

(२) शराब पीने से जो हानियां उत्पन्न होती हैं उनके प्रति जनता को बतान के लिये प्रचार करने की योजना सोची जा रही है।

(३) राजस्थान में मद्य निषेध सप्ताह मनाने का आयोजन किया जा रहा है।

(४) मद्य निषेध योजना के लिये सरकार एक सलाहकार समिति का शीघ्र ही निर्माण करेगी।

(५) मद्य निषेध की पॉलिसी हेतु एक नया कानून भी सरकार के विचाराधीन है जिसकी कार्यवाही जारी है।

श्री जवानसिंह—जो एरिया आबू का आने वाला है राजस्थान में उसके सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति रहेगी? वह फिर ड्राई रहेगा या राजस्थान में आने के बाद नये लाइसेन्स दिये जावेंगे?

श्री अमृतलाल यादव—यह सरकार के विचाराधीन है। जब आबू का एरिया एक्चुअली राजस्थान में आवेगा तब उसके बारे में अन्तिम निर्णय किया जावेगा।

श्री जवानसिंह—अब तक इस ओर कोई विचार नहीं किया गया है, क्या यह माना जावे?

श्री अध्यक्ष—यही मान लिया जाय।

श्री अमृतलाल यादव—मैंने निवेदन किया कि विचाराधीन है।

श्री जवानसिंह—आपने बताया कि शनैः शनैः प्रोहिबिशन की ओर सरकार अग्रसर हो रही है, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार ने कोई टारगेट मुकर्रर किया है कि तब तक प्रोहिबिशन हो जावेगा?

श्री अमृतलाल यादव—मैंने सुना नहीं, क्या कहा आपने?

श्री अध्यक्ष—कौनसी टारगेट डेट मुकर्रर की है, टोटल प्रोहिबिशन के लिए?

श्री अमृतलाल यादव--वह टारगेट डेट हमने फिक्स नहीं की है इसलिये अभी नहीं बता सकता।

श्री जवानसिंह—क्या सरकार इस चीज को बताने की स्थिति में है कि कई रेस्टोरेंट्स में शराब बन्दी की है लेकिन उन रेस्टोरां के आगे छोटी २ आलमारियों में शराब रख कर बेचते हैं, तो क्या इसके लिए लाइसेन्स दिया गया है और इस तरह का जयपुर शहर में खास तौर पर मालूम हो जाता है ?

श्री अमृतलाल यादव--मैंने अभी निवेदन किया कि नये लाइसेन्स नहीं दिये गये हैं ?

श्री जवानसिंह—क्या सरकार इसकी जांच करायेगी कि जयपुर शहर में जहां जहां रेस्टोरेंट्स को लाइसेन्सेज हैं उनको बन्द करके उनके आगे ही नये सिरे से जो अलमारियां लगाई गई हैं और उनमें शराब रख कर बेचते हैं ?

श्री अमृतलाल यादव—जिनके पास लाइसेन्सेज थे उनको जो शराब बची थी उसको तीन महीने में डिस्पोज ओफ करने के लिए लाइसेन्सेज दिये गये थे, उनको वहां बैठ कर शराब पिलाने के लाइसेन्सेज नहीं दिये गये थे।

श्री जवानसिंह—उनको स्थान कौनसा दिया गया था ?

श्री अमृतलाल यादव—रेस्टोरां में बिठा कर। यह मयाद भी खत्म हो रही है, शायद एक महीना और है।

श्री जगतसिंह झाला—क्या राजस्थान सरकार को इससे आमदनी में घाटा होगा ?

श्री अमृतलाल यादव—हां, घाटा हो सकता है।

श्री जगतसिंह झाला--अन्दाजन कितना होगा ?

श्री अमृतलाल यादव--अन्दाज तो बताना अभी मुश्किल है।

श्री चांदमल मेहता—आम बस्तियों से और बाजार से शराब को दूर रखने की कोशिश की जा रही है तो इसमें कितनी प्रगति हुई है ?

श्री अमृतलाल यादव—जहां जहां से इस सम्बन्ध में हमारे नोटिस में लाया गया तो वहां वहां से जांच करके रिमूव कर दिया गया है, और भी अगर आप बतायेंगे और नोटिस में लावेंगे तो उनकी जांच करके रिमूव किया जा सकेगा।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि मदनगंज में आम बाजार में इसकी कई दूकाने हैं और मदनगंज की जनता ने बार बार इसको हटाने की मांग की है लेकिन फिर भी हटाई नहीं गई हैं ?

श्री अमृतलाल यादव—यह मेरी जानकारी में नहीं है। माननीय सदस्य ने सूचना दी है तो इसकी जांच कराऊंगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—भारत में निर्मित विदेशी शराब का क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष—यह आपको पता नहीं चल सकता ।

श्री अमृतलाल यादव—क्या आशय है, आप यही चाहते हैं। भारत में निर्मित विदेशी शराब का आशय यह है कि एक तो शराब विदेशों में बन कर आती है और यहां भारत में उसी नुस्खे की शराब उन्हीं चीजों से यहां बना लेते हैं । वह नुस्खा तो विदेशी है लेकिन बनाते हैं देशी लोग । और फरमाइये । (हंसी)

श्री जवानसिंह—दोनों के टेस्ट में क्या अन्तर है ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री एच. के. व्यास ।

प्रश्न संख्या ३८

जयपुर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लिमिटेड को सस्ती दर पर बिजली देना

श्री हरिकृष्ण व्यास—Will the Minister for P.W.D. be pleased to state :—

(a) Is it a fact that electric energy was being supplied to the Jaipur Spinning and Weaving Mills Ltd., at the rate of -/1/6 per Unit as against the Government order of charging it at -/2/- per unit?

(b) Is it a fact that the Accountant General has objected to this practice?

(c) What steps have the Government taken to rectify this irregularity?

(d) At what rate are the Mills being charged at present?

(e) What steps does the Government propose to take to recover the past dues at the proper sanctioned rate?

श्री शाह अलीमुद्दीन (उप-मंत्री)—(a) Electric energy was being supplied to the Jaipur Spinning and Weaving Mills Ltd., at the rate of -/1/6 per unit, as per former Jaipur Government Order No. 1059/SC., dated 6-7-46. Thus it was not contrary to Government order for charging at the rate of -/2/- per unit.

(b) No.

(c) The concession has since been withdrawn.

(d) The Mills are being charged at -/2/- per unit if the consumption exceeds 20,000 units per month, otherwise -/2/- per unit.

(e) Proper procedure would be adopted for realisation of dues.

श्री हरिकृष्ण व्यास—"बी" के उत्तर में यह कहा गया कि ए.जी. ने कोई ओब्जेक्शन नहीं लिया है। ओडिट रिपोर्ट ५५, जो सदन की मेज पर रखी गई है, उसमें इस किस्म के ओब्जेक्शन दर्ज हैं । क्या माननीय मंत्रीजी बताने की कृपा करेंगे कि किस आधार पर उन्होंने कहा कि ओडिट ओब्जेक्शन नहीं है ?

Page No 11

श्री शाह अलीमुद्दीन--Because we directly received nothing from the Accountant General.

श्री हरिकृष्ण व्यास--I am referring to a paragraph of the Audit Report, submitted by the A.G. and accepted by the Rajasthan Government, submitted to the H.H. the Rajpramukh and subsequently placed on the table of the House and in which such an objection was raised. So with reference to this I want to know from the Hon'ble Minister-in-charge as to what is the basis of the reply given that no objection was taken by the A.G.

श्री शाह अलीमुद्दीन--If my colleague will put definite question I will find out and reply.

श्री हरिकृष्ण व्यास-- Here is a definite question, which is this; "(b) Is it a fact that the Accountant General has objected to this practice?"

श्री शाह अलीमुद्दीन--The reply has been given 'No', which is on some basis and reasons.

श्री हरिकृष्ण व्यास--I want to know the reasons and basis on which the statement was made here by the Hon'ble Minister and which is contrary to the facts published in the Audit Report.

श्री शाह अलीमुद्दीन--You have referred the Audit Report and the reply cannot be given unless you put a specific question.

श्री हरिकृष्ण व्यास--What is the basis of reply made here?

श्री शाह अलीमुद्दीन--That I will enquire, my dear friend.

श्री हरिकृष्ण व्यास--Is it a fact that Government has accepted the facts as submitted in the Audit Report by the A.G.?

श्री शाह अलीमुद्दीन--This cannot be said.

श्री हरिकृष्ण व्यास--Is it a fact that Government has ordered; say, in the month of July, 1954 stating that all thermal stations in Rajasthan will supply electricity to various concerns at annas two per unit?

श्री शाह अलीमुद्दीन--What the Government has taken decision I have referred in reply to your question.

श्री हरिकृष्ण व्यास--Whether there is Government order stating that all thermal stations in Rajasthan, when energy is supplied to private concerns,

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

they charge at annas two per unit and the order issued in the month of July, 1954? Is it so or not ?

श्री शाह अलीमुद्दीन--Do you want order for particular firm or a general order?

श्री हरिकृष्ण व्यास-- Order for particular firm in 1954. I am asking for general order. The same order is intended to apply for all thermal stations of Rajasthan. So, is there any such Government order issued?

श्री शाह अलीमुद्दीन--I am not in a position to tell that there was such an order. But the final order of the Government is that annas -/2/- per unit may be charged from the firm if the consumption exceeds 20,000 units per month otherwise annas three per unit. Before any order was passed it has not come to my otice. If my friend put a definite question I will find out and reply...

श्री हरिकृष्ण व्यास--What is the date of the order which has just been referred?

श्री शाह अलीमुद्दीन-- 16th January, 1956.

श्री हरिकृष्ण व्यास--Is it a separate order or repeating the earlier Government orders?

श्री शाह अलीमुद्दीन-It has been passed by the Government.

श्री हरिकृष्ण व्यास- अध्यक्ष महोदय, इस कठिनाई का क्या करें ? डेफिनिट रिप्लाई भी नहीं देते हैं और पोस्टपोन भी नहीं किया है इसको और न आंडिट रिपोर्ट के बारे में ही जवाब देते हैं। क्या यह सही है कि आज उनसे दो आने प्रति युनिट मे ही चार्ज किया जा रहा है ?

श्री शाह अलीमुद्दीन--२० हजार से ज्यादा खर्च करते हैं तो उनसे किया जा रहा होगा ।

श्री हरिकृष्ण व्यास--क्या माननीय मंत्रीजी यह बताने की स्थिति में हैं कि अगस्त महीने के बिल किस रेट से चार्ज हुए हैं ?

श्री शाह अलीमुद्दीन--यह सेपरेट क्वेश्चन है। अगर आप सेपरेटली पूछेंगे तो न्क्वायरी करके बता दूंगा ।

श्री हरिकृष्ण व्यास--क्या यह सही है कि आज भी उनके बिल २ आना की रेट से चार्ज नहीं हुए हैं ?

श्री शाह अलीमुद्दीन-- मेरी जानकारी में नहीं है ।

Page No 13

श्री हरिकृष्ण व्यास--क्या यह सही है कि २ आना चार्ज करने के संबंध में सरकार की आज्ञा आया हुई थी उसको स्टे कर दिया गया है ?

श्री शाह अलीमुद्दीन--मेरी जानकारी में यह बात भी नहीं है ।

श्री अध्यक्ष--फिर अंग्रेजी में पूछ लीजिए ।

श्री हरिकृष्ण व्यास--अब जब कि इनके कुछ भी नोटिस में नहीं है तो जानकारी कैसे प्राप्त करें, एक भी महीने का २ आने से नहीं हुआ । इनका क्या करें ? प्रिविलेज मोशन लावें तो इलाज हो सकता है । बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है । यह आप पोस्टपोन करें तो टाइम दे दें ।

श्री अध्यक्ष--जवाब दे रहे हैं ।

श्री हरिकृष्ण व्यास--वे तो कह रहे हैं जानकारी में नहीं है । क्या सरकार निश्चित उत्तर दे सकती है कि २ आना रेट से इस फर्म का बिल चार्ज हुआ है ?

श्री शाह अलीमुद्दीन--इसके मुतल्लिक सेपरेट नोटिस दें तो पूरी जानकारी करके उत्तर दे सकता हूं । उनसे २ आने की रेट से जरूर चार्ज हो रहा है जिनका कन्जम्पशन २०,००० से ज्यादा है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास--२०,००० से कम होगा तो ३ आने चार्ज होगा । मेरा डेफिनिट क्वश्चन है कि-- "At what rate are the Mills being charged at present? Mills are specified, namely, the Jaipur Spinning and Weaving Mills Ltd., It is question (d).

इसका उत्तर आप दे सकते हैं क्या निश्चित तौर पर ?

श्री शाह अलीमुद्दीन--Yes. I have already replied that the Mills are charged at annas two per unit if the consumption exceeds 20,000 units and that the Mill is charged annas three per unit otherwise; the concession granted under the Jaipur Government has now been withdrawn.

श्री हरिकृष्ण व्यास-- The withdrawal has taken effect from what date ?

श्री शाह अलीमुद्दीन-- The decision has been taken. It must have taken effect.

श्री हरिकृष्ण व्यास-- I am not concerned about this "must". I want to know as from what date has the withdrawal been given effect to or it has been given effect to at all.

श्री शाह अलीमुद्दीन--This requires separate notice, my dear friend.

श्री हरिकृष्ण व्यास-- So, my question still remains, Mr. Speaker, as to at what rate the Mills are being charged at present ? I want to know whether they are charged 2 annas if the consumption is 20 000 and three annas if less; or not ?

श्री शाह अलीमुद्दीन--The Mills are charged according to the Government order.

(हंसी)

श्री अध्यक्ष-- You will not try my patience, I think. Next.

श्री हरिकृष्ण व्यास-अध्यक्ष महोदय, इस पर निश्चित उत्तर देने दीजिए, मैं कल मोशन लाऊंगा। २ आने ३ आने के बारे में एक बार फिर कमिट कर लेने दीजिए।

श्री अध्यक्ष--ऑर्डर प्लीज़ !

श्री हरिकृष्ण व्यास-- डेफिनिट कमिटमेंट हो जायगा तो बेटर है।

प्रश्न संख्या ३६

श्री अध्यक्ष--श्री भैरूसिंह। (अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ४०

सार्वजनिक निर्माण विभाग में रोड रोलर्स तथा सरकार द्वारा दिया जाने वाला किराया

श्री हरिकृष्ण व्यास-- Will the Minister for P.W.D. (B & R) be pleased to state:—

(a) What is the total number of Road Rollers at present under use in the Department?

(b) What is the hire charges that the Government is required to pay for them?

(c) What is the total amount paid in respect of hire charges for the year 1955-56?

(d) What steps has the Government taken to procure its own Road Rollers?

(e) What is the cost of a Road Roller, say, like Skoda or Avling and Balfour?

(f) Did the Government invite any tenders for the supply of Road Rollers If so, why were no purchases made?

श्री शाह अलीमुद्दीन (उप-मंत्री)--(a) 139. (100 of Deptt. and 39 on rent).

(b) Rs. 1,268/5/6 per day.

(c) Rs. 2,72,854/-

(d) Indents were placed with the D.G. S. & D., New Delhi.

(e) Rs. 35,000 approximately.

(f) Yes. An order was placed with the firm for 21 units, but as the import licence could not be arranged, the order had to be cancelled. An indent for the supply has now been placed with the D.G. S. & D., New Delhi.

Page No 15

श्री हरिकृष्ण व्यास--(ई) में जो उत्तर दिया है ३५००० रुपये का, यह कौनसे मेक की कीमत है, स्कोडा की या एवलिंग को या दोनों की एक कीमत है ?

श्री शाह अलीमुद्दीन--यह एप्रोक्सीमेट वेल्यू है दोनों की जिसके बारे में आपने रेफर फरमाया।

श्री हरिकृष्ण व्यास--दोनों की कीमत है या एवरेज वेल्यू है ?

श्री शाह अलीमुद्दीन--एवरेज कीमत समझ लीजिए ।

श्री हरिकृष्ण व्यास--कौनसे मेक की कीमत कम है और कौनसे की ज्यादा ?

श्री शाह अलीमुद्दीन--ऐसा है कि कीमत ज्यादा है एवलिंग की और कम है स्कोडा की ।

श्री हरिकृष्ण व्यास--एवलिंग की कीमत कितनी है और स्कोडा की कितनी है ?

श्री शाह अलीमुद्दीन--एवलिंग की ३६३०५ F. O. R. Bombay. और स्कोडा की 31,000 plus Rs. 2,000 approximately for. . . .and accessories. F.O.R. Jaipur.

श्री हरिकृष्ण व्यास--यह डी.जी. एस. एन्ड डी. के पास आर्डर कब प्लेस किया गया ?

श्री शाह अलीमुद्दीन--यह इसका फैसला होने के बाद । पहले इम्पोर्ट लाइसेंस नहीं मिल सका था उसके थोड़े दिन बाद में भेजा गया ।

श्री हरिकृष्ण व्यास--कब ?

श्री शाह अलीमुद्दीन--The exact date is not available.

श्री हरिकृष्ण व्यास--ईयर ?

श्री अध्यक्ष--That is not available.

श्री हरिकृष्ण व्यास--मैं ईयर पूछ रहा हूं । Whether it is 1955 or 1956.

श्री अध्यक्ष--डेट मालूम होती तो ईयर भी मालूम हो जाता ।

श्री हरिकृष्ण व्यास--यह तो मालूम होगा कि सन् ५५ में या ५६ में कब आर्डर प्लेस किया गया ?

श्री शाह अलीमुद्दीन--५६ में ।

श्री हरिकृष्ण व्यास--सन् ५६ से पहले क्या स्टेप लिया गया ?

श्री शाह अलीमुद्दीन--उससे पहले रोड रोलर्स की कमी थी । Some have been purchased in 1955 and further road rollers are being purchased.

Page No 16

श्री हरिकृष्ण व्यास--सन् ५५ में कितने रोड रोलर्स खरीदे गये ?

श्री शाह अलीमुद्दीन--सेपरेट क्वश्चन करेंगे तो कितने खरीदे गये, कब खरीदे गये और कैसे खरीदे गये यह सब बता दूंगा ।

श्री हरिकृष्ण व्यास--क्या यह सही है कि ५५-५६ में एक भी रोड रोलर नहीं खरीदा गया ?

श्री शाह अलीमुद्दीन--यह गलत है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास--अच्छा साहब ।

श्री अध्यक्ष--दूसरा प्रश्न नहीं पूछना चाहते क्या ?

श्री हरिकृष्ण व्यास--काफी देर बाद एक कमिटमेंट आया है ।

प्रश्न संख्या ४१

पावर हाउसेज् की नियमावली बनाकर प्रमाणित करवाना

श्री हरिकृष्ण व्यास--Will the Minister for P.W.D. (E. & M. Deptt.) be pleased to state:—

(a) Is the Government aware that the Power Houses are under law required to prepare their Standing Orders and get them certified from the certifying authority?

(b) Has the Government prepared Standing Orders for the Power Houses run by it?

(c) If not, what steps do the Government propose to take now to get such Standing Orders framed and certified ?

श्री शाह अलीमुद्दीन (उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण विभाग)--(a) The Standing Orders have been prepared and are being finalised now by the Department.

(b) Yes.

(c) After finalisation of these Standing Orders, further action will be taken according to rules.

श्री हरिकृष्ण व्यास--स्टेंडिंग ओर्डर एक्ट राजस्थान में कब से लागू है ?

श्री शाह अलीमुद्दीन--This is a separate question. I cannot reply now.

Page No 17

श्री हरिकृष्ण व्यास--इस कानून के अन्तर्गत बिजलीघर में स्टेंडिंग आर्डर कब तक तैयार होना चाहिये था ?

श्री शाह अलीमुद्दीन--उसके लिये रूल्स मौजूद हैं, मुलाहिजा फरमाइये ।

श्री हरिकृष्ण व्यास--रूल्स के मुताबिक लगभग ३ साल की देरी हुई है, उसका क्या कारण है ?

श्री शाह अलीमुद्दीन-- देरी आपके ख्याल से हुई है हमारे ख्याल से नहीं ।

श्री हरिकृष्ण व्यास--अध्यक्ष महोदय, जब रूल्स और एक्ट को ओर संकेत करते हैं तो कहते हैं कि मुलाहिजा फरमाइये और जब उनको मुलाहिजा फरमा कर कहता हूं कि देरी हुई है तो कहते हैं कि देरी नहीं हुई है । या तो वे तारीख बतावें कि अमुक तारीख को ओर्डर हुआ है या यह देरी कैसे हुई ?

श्री शाह अलीमुद्दीन--हमारे स्टेंडिंग ओर्डर के मुतलिक जितने भी ओर्डर हैं they have been completed and are being finalised. Of course there are some technical difficulties which are to be made up.

श्री हरिकृष्ण व्यास--क्या जो स्टेंडिंग ओर्डर्स लागू किये जाने चाहिये थे वे सर्टिफाइड कर दिये हैं सरकार ने पावर हाउस के मुतलिक ?

श्री शाह अलीमुद्दीन--After finalisation it will be certified.

श्री हरिकृष्ण व्यास--तो इसमें ३ साल की देरी करने का क्या कारण है ?

श्री शाह अलीमुद्दीन--यह तो जनाब फरमाते हैं । मैं कब एडमिट कर रहा हूं कि ३ साल की देरी हुई ।

श्री हरिकृष्ण व्यास--क्या यह सच है कि लेबर डिपार्टमेंट ने पी० डब्ल्यू० डी० को यह लिखा है कि कानून के मुताबिक आपको बहुत पहले कर लेना चाहिये था और आपने ३ साल की देरी की है ?

श्री शाह अलीमुद्दीन--में इतने शोर्ट नोटिस में जवाब नहीं दे सकता । लम्बा नोटिस हो तो जवाब दे सकता हूं ।

श्री हरिकृष्ण व्यास--सरकार की समझ के मुताबिक यह स्टेन्डिंग ओर्डर कब तक करने की आवश्यकता थी ?

श्री शाह अलीमुद्दीन--बहुत जल्दी करेंगे ।

श्री हरिकृष्ण व्यास--कब तक हो जाना चाहिये था ?

श्री शाह अलीमुद्दीन--आपका सवाल इतना कोना बनाता हुआ है कि जवाब मुहैया नहीं हो सकता इतने शोर्ट नोटिस में ।

Page No 18

श्री हरिकृष्ण व्यास--अध्यक्ष महोदय, इसमें लिखा है :--

"Is the Government aware that the Power Houses are under law required to prepare their Standing Orders and get them certified from the certifying authority ? If the Government is aware of this position are they also aware of the last date by which this should be done ?

क्या आप इस स्थिति म नहीं हैं कि इसके लिये कौनसी लास्ट डेट थी यह बता सकें ?

श्री शाह अलीमुद्दीन--I have replied to your question. Now it is a question which requires special notice and it is not relevant to the question which you have asked.

श्री हरिकृष्ण व्यास--यह जो स्टेन्डिग ग्रोर्डर बताया गया है यह क्या सर्टिफाइड ग्रोथोरिटी को भेज दिया गया ?

श्री शाह अलीमुद्दीन--अब भेजा जायगा ।

श्री हरिकृष्ण व्यास--क्या विभाग ने उन्हें फाइनल कर लिया है ?

श्री शाह अलीमुद्दीन--फाइनल कर रहे हैं ।

श्री हरिकृष्ण व्यास--यह कब से अन्डर फाइनेलाइजेशन है ?

श्री शाह अलीमुद्दीन--प्रेजेन्ट टेन्स का इस्तेमाल किया है, हो रहा है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास--कब से शुरू किया गया है ?

श्री शाह अलीमुद्दीन--जब से शुरू किया गया ।

(हंसी)

श्री हरिकृष्ण व्यास--(हंसी से लोटपोट होते हुए) क्या सरकार के ध्यान में यह बात है कि लेबर डिपार्टमेंट ने इस सिलसिले में ······ (मारे हंसी के अवरूद्ध कण्ठ हो आगे बोल न सके और बैठ गये)

(सदन में हंसी की लहर)

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति

श्री अध्यक्ष--सभा की कार्यवाही आरम्भ होने से पूर्व मैं सदस्यों को सूचित करता हूं कि रावत श्री शंभूसिंह, विभाजन संख्या १३६ ने २४ सितम्बर १६५६ से ३० सितम्बर, सन् १६५६ तक विधान सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की आज्ञा के लिये प्रार्थना की है ।

Page No 19

[श्री अध्यक्ष]

क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता।

राजस्थान विधान सभा सदस्य (निर्योग्यता निवारण) संशोधन विधेयक, १९५६
(पुर:स्थापन)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (प्रभारी मन्त्री)--अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान लेजिस्लेटिव असेम्बली मैम्बर्स (रिमूवल आफ डिस्क्वालिफिकेशन) संशोधन विधेयक, १९५६ पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रार्थना करता हूं ।

श्री अध्यक्ष--क्या सदन की अनुमति है कि उपरोक्त विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता--अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं ।

राजस्थान कृषि ऋणिता निवारण विधेयक, १९५७ (अग्रतर खण्डश: विचार-विमर्श)

श्री अध्यक्ष--यस। इनका कोई संशोधन मन्जूर है आपको ?

श्री दामोदरलाल व्यास--जो अमेन्डमेन्ट्स उन्होंने पेश किये थे उनमें से अमेन्डमेन्ट (च) 'बैंक' के पहले वर्ड 'शिड्यूल्ड' यानी 'शिड्यूल्ड बैंक' कर दिया जाय, यह मुझे स्वीकार है ।

Although it is not his amendment, but that will I think cover his intention.

(श्री सचिव, राजस्थान विधान सभा से)

What is the word in Hindi for "Scheduled", Mansaramji.

(शब्द कोष देखने के पश्चात्)

Schedule is all right. It is legal. 'Scheduled Bank.'

श्री जवानसिंह--परिशिष्ट ।

श्री दामोदरलाल व्यास--'शिड्यूल्ड बैंक' रख दिया जाय।

Page No 20

श्री अध्यक्ष--That will be looked into. Otherwise that is the amendment to which you agree?

श्री दामोदरलाल व्यास--Yes. I disagree with all his other amendments.

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि क्लाज ४ (ङ) इस रूप में कि, "निर्वाह सम्बन्धी कोई दायित्व न्यायालय की डिक्री के अधीन या अन्यथा है," इस रूप में स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज (ङ) स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लाज (च) को इस रूप में स्वीकार किया जाय "किसी शिड्यूल्ड बेंक को देय कोई दायित्व"।

(स्वीकृत)

क्लाज "च" स्वीकार किया गया।

We take his (Shri H. K. Vyas) amendments as withdrawn.

(ञ) पर भी?

श्री हरिकृष्ण व्यास-- नहीं यह तो मानी नहीं है।..........

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि क्लाज के सब-क्लाज (ञ) में श्री हरिकृष्ण व्यास का जो संशोधन है उसे स्वीकार किया जाय।

(मतदान के पश्चात्)

ना पक्ष जीता।

श्री हरिकृष्ण व्यास--ना तो कोई बोला ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष--Is there any estoppel?

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

प्रश्न यह है कि सब-क्लाज (ञ) स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

सब-क्लाज (ञ) स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि सब-क्लॉजेज (छ), (ज), (झ), (ट) और (ठ) स्वीकार किय जायें।

(स्वीकृत)

[श्री अध्यक्ष]

सब-क्लॉजेज (छ), (ज), (झ), (ट) और (ठ) स्वीकार किये गये ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लाज ४, संशोधित रूप में, स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

क्लॉज ४, संशोधित रूप मे, विधेयक का अंग बना ।

(विराम)

क्लॉज ५, श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या मूव करना चाहते हैं ?

श्री हरिकृष्ण व्यास--अध्यक्ष महोदय, क्लॉज ५ के सब-क्लॉज (३) में मेरा यह संशोधन है कि इस उप-खंड के अन्त में निम्नलिखित शब्द जोड दिये जायं । "बशर्ते कि अवधि बीत जाने पर भी यदि प्रार्थी न्यायालय के समक्ष यह प्रमाणित कर पाये कि वह उपयुक्त कारणों से समय पर आवेदन न कर सका तो उसके प्रार्थना-पत्र को विचारार्थ लिया जायगा ।"

सब-क्लॉज (३) जिस रूप में है, अध्यक्ष महोदय, उसका सम्बन्ध सब-क्लॉज (१) से है। कार्यवाहियों को रोकने के सम्बन्ध में आवेदन-पत्र अथवा वाद-पत्र या एप्लीकेशन हो उस एप्लीकेशन की अवधि ६ महीने रखी गई है।

सब-क्लॉज (१) में लिखा है :

"....यदि ऐसा वाद-पत्र या वाद या प्रार्थना-पत्र इस अधिनियम के प्रारम्भ के समय चल रहा हो तो ऐसे प्रारम्भ के ६ महीनों के अन्दर न्यायालय को, उसे ऋण निवारण न्यायालय के समक्ष धारा ६ के अधीन आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने का अवसर देने के लिये, कार्यवाही रोकने के हेतु, आवेदन कर सकेगा ।" तो ऐसे प्रारम्भ के ६ महीनों के अन्दर न्यायालय को, उसे ऋण निवारण न्यायालय के समक्ष क्लॉज ६ के अधीन आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने का, अवसर देने के लिये कार्यवाही रोकने के हेतु आवेदन कर सकेगा। सब-क्लॉज (३) में यह कहा गया है कि यदि इस ६ महीनों की अवधि में यानि सब-क्लॉज (१) में उल्लिखित अवधि के भीतर आवेदन प्रस्तुत नहीं करता है तो फिर उसके बाद ऋणी ऐसी कार्यवाही रोकने के हेतु, तत्पश्चात् आवेदन करने या क्लॉज ६ के सब-क्लॉज (१) के अधीन आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने का अधिकारी नहीं होगा ।

सब-क्लॉज (३) के अंत में जो शब्द जोड़ने के लिये मैंने अपना संशोधन रखा है, माननीय अध्यक्ष, वह यह है कि ६ महीनों की अवधि बढ़ जाने के बाद भी यदि कोई प्रार्थी न्यायालय के समक्ष इस बात को प्रमाणित करे या करा पाए कि किसी विशेष और मोजूं कारणों के कारण वह अपना आवेदन-पत्र प्रस्तुत नहीं कर सका तो वैसी स्थिति में उसके आवेदन-पत्र पर इसके बावजूद भी विचार किया जाना चाहिये और इसके लिये प्रोविजन करना चाहिये। मैं यह निवेदन करूंगा कि ऐसी एक दूसरी धारा में किया भी गया है और उसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। वह धारा ८ है। मैं आपका इस धारा की तरफ ध्यान आकर्षित करूंगा। ऋणदाताओं द्वारा दावों का प्रस्तुत किया जाना। इस धारा के

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

सिलसिले में प्रथम उप-धारा (१) के अंत में जो पैराग्राफ है वह क्या है, अध्यक्ष महोदय ? आप उस पर गौर फरमावें। इसमें साफ लिखा है : "परन्तु यदि ऋण निवारण न्यायालय इस बात से संतुष्ट होजाय कि कोई ऋणदाता समुचित एवं पर्याप्त कारण से अपना दावा प्रस्तुत करने में असमर्थ था तो वह खर्चे संबन्धी ऐसी शर्तों पर, जो वह उचित समझे, अवधि बढ़ा सकेगा और दावे को पुनर्जीवित कर सकेगा।" इस उप-धारा (१) में इस बात का उल्लेख है कि यदि दो महीने की अवधि है, उस दो महीनों की अवधि के बाद जो तारीख मुकर्रर हो उस दिन दावा प्रस्तुत नहीं करे तो इस प्रकार प्रस्तुत नहीं किया गया प्रत्येक दावा ऐसे ऋणी या ऋणियों के विरूद्ध सब प्रयोजनों के लिये और सब अवसरों के लिये उन्मुक्त हुआ माना जायगा।

इस प्रकार का क्लॉज ८ सब-क्लॉज (१) में प्रोविजन है। इसमें दो महीनों की मियाद दावे को पेश करने की समाप्त होने के बाद भी वह अपना क्लेम पेश कर सकता है, इस प्रकार का प्रोविजन इसमें क्लॉज ८ के सब-क्लॉज (१) के नीचे डाला गया है कि यदि ऋण निवारण न्यायालय इस बात से संतुष्ट हो जाय कि कोई ऋणदाता समुचित एवं पर्याप्त कारण से अपना दावा प्रस्तुत करने में असमर्थ था तो वह खर्चे संबन्धी ऐसी शर्तों पर जो वह उचित समझे, अवधि बढ़ा सकेगा और दावे को पुनर्जीवित कर सकेगा। जब हमने ऋणदाताओं के संबन्ध में क्लॉज ८ के सब-क्लॉज (१) में दो महीनों की मियाद होते हुए भी जिसे बन्धन के रूप में उल्लेख कर दी है, फिर भी उसके नीचे प्रोविजन डाला है कि अगर ऐसी स्थिति हो जाए और ऋणदाता न्यायालयों के समक्ष समुचित एवं पर्याप्त कारण से अपना दावा प्रस्तुत करने में असमर्थ था तो वह दावे को पुनर्जीवित करा सकता है।

इसलिये मेरी यह दरख्वास्त है कि जो सब-क्लॉज (३) क्लॉज ५, की है उसमें हमने इसी प्रकार का उल्लेख किया है और ६ महीनों की अवधि दी है कि जो कोई इस अवधि में अगर अपना आवेदन-पत्र प्रस्तुत नहीं करेगा तो अपने अधिकारों से वंचित हो जायगा। लेकिन इसके साथ हमने कोई प्रोविजन नहीं रखा है और वह प्रोविजो होना चाहिये जिससे दावा करने वाले और दूसरों को समान अधिकार प्राप्त हों, जो होने चाहियें। ऋणदाताओं को यदि हम अवधि देते हैं और उनके लिये प्रोविजन डालते हैं तो इसमें भी प्रोविजन होना चहिये जो आवश्यक है। यदि हम ऋणदाताओं के लिये ऐसी शर्त डालते हैं तो हमको दोनों के लिये बराबर शर्त डालनी चाहिये। इसीलिये मैंने अपना संशोधन प्रस्तुत किया है। मैं आशा करता हूं कि माननीय मन्त्री महोदय मेरे इस संशोधन को स्वीकार करेंगे और दोनों को बराबर की स्थिति में रख कर बराबर की तराजू में तोलना चाहिये। इन शब्दों के साथ में अपना संशोधन क्लॉज ५ के सब-क्लॉज (३) में पेश करता हूं और आशा करता हूं कि माननीय मन्त्री इसको स्वीकार करेंगे।

श्री दामोदरलाल व्यास--माननीय अध्यक्ष, मैं आशा करता था कि इस पर ज्यादा वाद विवाद नहीं होगा क्योंकि सदन के बाहर भी इस बारे में काफी बातचीत हो चुकी थी। इस एमेंडमेंट के बारे में मुझे यही कहना है कि मैं इस एमेंडमेंट को स्वीकार नहीं कर सकता। इसकी वजह यह है कि जब डेटर अदालत में आता है वह इन्सोल्वेन्ट की प्रोसीडिंग चलाता है तो वह अपना अधिकार जानता है। He can obtain a stay order from the Debt Reconciliation Court और उसको रिलीफ मिल सकता है। इसलिये उसको काफी समय मिलता है और ६ महीने का समय

[श्री दामोदरलाल व्यास]

जो दिया गया है, वह काफी है। ६ महीनों का समय इस रूप में दिया है कि इस एक्ट के फोर्स में आने के बाद, ६० रोज देने व इन्सोलवेन्ट डिक्लेअर होने से पहले, इतना काफी समय है कि इतना काफी समय देने के बाद भी Under section 5 of the Limitation Act for some sufficient and reasonable cause नहीं बना सका है तो फिर समय दिया जाना बिल्कुल गैर वाजिब होगा। इसका नतीजा यह होगा कि रोजमर्रा लोग समय पर दरख्वास्तें पेश नहीं करेंगे और जो डेटरों को फायदा प बना चाहिये, नहीं पहुंच सकेगा और स्टे ऑर्डर आदि जो कुछ भी भेजा जाना चाहिये, नहीं भेजा जावेगा।

माननीय सदस्य ने क्लॉज़ ८ के सब-क्लॉज़ (१) की बात कही वह दूसरी बात है। उनको क्लेम पेश करने का समय दिया गया है। from the date of the notice which the Debt Reconciliation Board will issue. मगर यहां पर प्रश्न यह है कि जिस अदालत में शुरू से दावा दायर है और कार्यवाही चल रही है, उसको पूरी तरह से मालूम रहता है; he is given sufficient time to put up his claim and obtain stay orders from the proper court. इसलिये मेरे खयाल से इसकी कोई जरूरत नहीं और मैं से एमेंडमेंट में जो शब्द जोड़ने की मांग की गई है "for sufficient reasons" उसको रीज़नेबल नहीं मानता हूं।

श्री अध्यक्ष--(श्री एच. के. व्यास से) Are you withdrawing?

श्री हरिकृष्ण व्यास--आप मत ले लीजिये।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ५ के सब-क्लॉज़ (३) पर जो संशोधन श्री एच. के. व्यास ने रखा है उसको स्वीकार किया जावे।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ५ को स्वीकार किया जाए।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ५ विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉजेज़ ६, ७, ८ व ६

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉजेज़ ६,७,८ और ६ स्वीकार किये जावें।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ६,७,८ और ६ विधेयक के अंग बने।

(विराम)

क्लॉज़ १० श्री एच. के. व्यास।

श्री हरिकृष्ण व्यास—इस क्लॉज में अध्यक्ष महोदय, मेरे तीन अमेन्डमेन्ट्स हैं, तीनों को अलग अलग मूव करूं ?

श्री अध्यक्ष—(राजस्व मंत्री से) आपको इनमें से कोई मन्जूर है क्या ?

श्री दामोदरलाल व्यास—Not a single one. It is more for publicity than anything else.

श्री हरिकृष्ण व्यास—अध्यक्ष महोदय, मेरे तीनों अमेन्डमेन्ट्स हैं उनमें अलग अलग विषय हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि इसमें से एक का ताल्लुक रेट आफ इन्टरेस्ट से है, दूसरा अवधि से है और तीसरा मूलधन से है।

श्री अध्यक्ष—मैं तो क्लॉज बाई क्लॉज रख रहा हूं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—अध्यक्ष महोदय, सबसे महत्वपूर्ण क्लाज १० है।

श्री अध्यक्ष—आप तो पहले ४ का कह रहे थे, जो पीछे रह गया।

श्री हरिकृष्ण व्यास—अध्यक्ष महोदय, क्लॉज ४ तो जुरिस्डिक्शन बनाने या नहीं बनाने के बारे में था। रिलीफ देने के बारे में तो क्लॉज १० है। इसलिए मेरा निवेदन है कि मेरे अमेन्डमेन्ट के अलग अलग भाग हैं, इसलिए इनको अलग अलग ले लिया जाय तो दुरुस्त रहेगा।

श्री अध्यक्ष—१० के उप-खंड (१) के भाग (ङ) में आपका अमेन्डमेन्ट है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—अध्यक्ष महोदय, खंड १० के उप-खंड (१) के भाग (क), (ख), (ग) व (घ) में कोई अमेन्डमेन्ट नहीं है।

श्री अध्यक्ष—(ङ) में है वह मूव करिये।

श्री हरिकृष्ण व्यास—अध्यक्ष महोदय क्लॉज १० के सब-क्लॉज (१) के पैरा ३ की लाइन (२) में शब्द 'बारह' के बजाय 'बीस' कर दिया जाय। अध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज के तीसरे पराग्राफ में मेरा अमेन्डमेन्ट है "ऋण निवारण न्यायालय" अन्तिम लेन देन अथवा व जनवरी १९५२ दोनों से जो पहले हो उससे पिछले बारह सालों में हुए "इस बारह साल" की जगह "बीस" शब्द जोड़ दिये जांय।

इस प्रकार सबसे पहले मेरा जो संशोधन है अध्यक्ष महोदय, वह क्लॉज १० के सब-क्लॉज (१) के पैराग्राफ ३ में है। इस संशोधन को मैंने प्रस्तुत क्यों किया यह समझाने के लिये यह आवश्यक है कि क्लॉज १० की जो स्कीम है उसके बारे में चन्द शब्द कहूं। क्लॉज १० की स्कीम इस प्रकार की है कि एक जनवरी १९५२ इसके पहले पहले जितना कर्जा हो गया है या लास्ट ट्रान्जेक्शन अब हुवा वह कर्जा है उनको और आजतक हुए पुराने सब ट्रान्जेक्शन्स को रिओपन करने का अधिकार ऋण

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

निवारण न्यायालय को दिया जायगा। यह अधिकार १२ साल की अवधि तक के लिये दिया गया है जो कि पेराग्राफ ३ में उल्लिखित है ऋण निवारण न्यायालय अन्तिम लेन देन अथवा जनवरी, १९५२ दोनों से जो पहले हों, उससे पिछले बारह सालों में हुए तमाम लेन देन को खोलेगा और प्रत्येक ऋण जो मूलत: दिया गया है की राशि व तारीख का निश्चय करेगा और निम्न रीति से हिसाब तैयार करेगा और यदि एक से अधिक ऋणदाता हों तो प्रत्येक का अलग अलग हिसाब करेगा।

पहला जो भाग इस क्लॉज का है वह भाग अध्यक्ष महोदय, इस बात से संबन्ध रखता है कि कितने अरसे पुराने ट्रान्जेक्शन रिओपिन हो सकते हैं। उसके बाद के ट्रान्जेक्शन रिओपिन होते हैं आगे चल कर जिसमें मूलधन का हिसाब अलग और ब्याज का अलग। जो कुछ लेन देन होगा क्रेडिट या डेबिट उसी रूप में उन खातों में जुडता जायगा। अंत में एक धारा का और समावेश किया गया है। उसमें यह है कि १ जनवरी १९४३ के पहले का जो कर्जा होगा उसमें मूलधन में ४० प्रतिशत कम हो जायगा और ब्याज जोडते समय ६ फी सदी सिक्योर्ड लोन और ९ फी सदी अनसिक्योर्ड लोन इससे ज्यादा नहीं होगा।

अध्यक्ष महोदय, क्लॉज १० के चार अंग हैं और चारों अंगों के प्रति पूरी तरह से मिलजुल कर दृष्टिकोण न अपनाया तो बहुत कठिनाई होगी, मेरे संशोधन का मतलब समझने में अथवा उसकी आवश्यकता समझने में।

अध्यक्ष महोदय, आज जिस समय कि हम कानून पास कर रहे हैं वह समय है करीब करीब १९५६ का अन्त। जल्दी से जल्दी भी अगर यह कानून लागू हो तो मैं समझता हूं १९५७ के पहले यह कानून लागू नहीं हो पायेगा। अब हम कल्पना करें १ जनवरी, १९५२ के पहले ट्रांजेक्शन रिओपिन किये तो लास्ट-ट्रांजेक्शन है उससे पहले १२ साल के ट्रांजेक्शन रिओपिन किये। १९५७, ५६, ५५ के ट्रांजेक्शन रिओपिन होंगे वह तो जाने दीजिए जो अरलियेस्ट डेट है १ जनवरी, १९५२ उससे १२ साल पहले यानि १९४० तक के ट्रांजेक्शन रिओपिन हो पायेंगे इस कानून के अन्तर्गत और इससे पहले के ट्रांजेक्शन रिओपिन नहीं हो पायेंगे।

आगे चल कर यह कानून कहता है १९४३ का कर्जा है उसके मूलधन में ४० प्रतिशत राहत देनी है। और ट्रांजेक्शन हो रहा है १९४० तक का। जहां तक राहत देने का सवाल है १९४३ के पहले के कर्जे के लिये ट्रांजेक्शन रिओपिन कर रहे हैं १९४० तक के। सन् ४० से ४३ तीन साल के पीरियड का जो कर्जा है उसके तो मूलधन तक ही यह कानून लागू होगा। बाकी किसी पर लागू नहीं होगा। क्योंकि १९४३ के पहले के जो कर्जे हैं उनके मूलधन में ४० फी सदी कमी कर देंगे। असलियत में चीज यह होगी कि अदालतें मजबूर हो जायेंगी और १९४० के ट्रांजेक्शन रिओपिन नहीं हो सकेंगे क्योंकि १९४० का तो मूलधन करार हो गया। ४३ के कर्जे तक के मूलधन में रिलीफ देना चाहते हैं। लेकिन मेरे संशोधन का मतलब यह होगा कि अगर हम १२ के बजाय २० साल कर देते हैं तो १९४० के बजाय १९३२ तक के आंकडे पहुंच जाते हैं। आठ साल मियाद और पीछे धकेल दी जाती है। आप कल्पना कीजिये १९२९ में बहुत बडा आर्थिक संकट सारी दुनिया में आया था भारत में भी वह आर्थिक संकट पड़ा था। इतने भयंकर रूप में पड़ा था कि उस समय नाज की कीमत कपास की कीमत और एग्रीकलचरिस्ट कोमोडिटिज की कीमतें बहुत बुरी तरह से गिरी थीं।

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

और इतनी बड़ी गिरावट आई थी कि बड़े बड़े बेंक, लेंड मोरगेज बेंक तक लड़खड़ा गये और और भी दूसरी संस्थाओं का दिवाला लगभग निकल चुका था। जिस कपास की कीमत इन्डेक्स नम्बर १०० थी, उसका इन्डेक्स नम्बर ६।। आ गया सन् ३७ में। इतनी बड़ी गिरावट मध्य प्रदेश में और दूसरे इलाकों में हुई, जहां कपास पैदा होता है। अनाज में भी गिरावट आई, चार से आ गुना, तो सन् २९ से ३७ का यह विश्व व्यापी आर्थिक संकट का समय था और ऐसा भंयकर था कि उस समय के कर्जे के मूलधन में कमी करने की आवश्यकता है और ३२ से लगाकर ४३ तक के जो कर्जे हैं उनको वास्तव में राहत मिल जावेगी। उनको राहत मिलने का तात्पर्य यह है कि आर्थिक संकट जरा देहातों के अन्दर जो एग्रीकल्चर कामोडिटीज हैं उनकी कीमतों में भंयकर गिरावट पैदा होने के कारण बड़े बड़े किसानों को भी सूदखोरों के पास जाना पड़ा उनके चंगुल में फंसना पड़ा और जिसके मूलधन में कमी करने के लिये ४० प्रतिशत कमी की है उनको वास्तविक राहत मिलेगी। नहीं तो दिखावे के रूप में कहेंगे कि ब्याज, मूलधन कम कर दिया। पर यह किसके लिये कम किया? केवल तीन वर्ष के ट्रान्जेक्शन के लिये ४० से ४३ तक।

इस स्थिति में मैं समझता हूं कि सारे के सारे मूलधन को कम करने का जो प्रोवीजन है, उस मूलधन को कम करने वाले सब क्लाज का कोई मतलब नहीं रहेगा व्यवहार में।

श्री अध्यक्ष--(ङ) और मूव कर दीजिये।

श्री हरिकृष्ण व्यास--वह अलग विषय है। वह इन्टरेस्ट की रेट से सम्बन्ध रखता है। पर इसके आगे एक संशोधन मूलधन के बारे में और है। तो यह तीनों अलग अलग हैं। एक मंजूर करें, दूसरा न करें तो एक एक ही तय हो जावे तो अच्छा है।

श्री दामोदरलाल व्यास--आप मूव तो कर लीजिये साहब।

श्री अध्यक्ष--इस क्लॉज् के सारे संशोधन आप पहले मूव कर दीजिये।

श्री हरिकृष्ण व्यास--तो आप जैसी आज्ञा दें वैसा ही कर दूं। क्लॉज १० के सब-क्लॉज के भाग (ङ) के अन्दर दो संशोधन और हैं वे मैं मूव कर देता हूं।

तो ब्याज की दर से सम्बन्ध है दूसरे का और इस क्लॉज १० के सब-क्लॉज १ के भाग (ङ) से ताल्लुक रखता है। सब क्लॉज १ के भाग (ङ) में यह लिखा है--

"ब्याज के हिसाब में प्रतिभूत ऋण की सूरत में ६ प्रतिशत सालाना, अप्रतिभूत ऋण की सूरत में ९ प्रतिशत सालाना या पार्टियों के दरमियान तय पाई हुई, या यदि ऋण किसी दीवानी अदालत की डिग्री या हुक्म के तहत देय है, तो ऐसी डिक्री या हुक्म में दर्ज, दर से जो सबसे कम हो, मूलधन का तत्समय भुगतान योग्य बकाया पर, ब्याज ऋणी के नामे लिखा जावेगा।"

अब मूलधन के और ब्याज के अलग अलग एक्ट तैयार हो रहे हैं, तो इन एक्ट्स के सिलसिले में यह खंड जिसमें यह दर्ज है कि ब्याज की दर जो उसमें दर्ज है, वह सिक्योर्ड लोन पर ६ प्रतिशत हो और अनसिक्योर्ड लोन पर ९ प्रतिशत हो।

Page No 27

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

अब इसमें मेरा संशोधन यह है कि सिक्योर्ड पर ३ प्रतिशत और अनसिक्योर्ड पर साढे चार प्रतिशत रक्खा जावे।

और सका कारण मैं यह बताना चाहता हूं कि अभी बैंकों का जिक्र हुआ था और बैंकों का जिक्र हुआ तो बैंकों की जो रेट है वह हिन्दुस्तान में भी और दूसरे देशों में भी अभी ज्यादा से ज्यादा साढे चार प्रतिशत है। अब जो इन्क्रीज की गई है। बैंक रेट अभी कुछ ही महिनों पहले बैंक आफ इन्गलैन्ड ने भी इन्क्रीज की थी तो अब भी वह ज्यादा से ज्यादा साढे चार प्रतिशत है। ऐसी सूरत में अगर सारे के सारे कर्जों को स्टेन्डर्डाइज करना चाहते हैं तो बैंक को आधार मान कर हमें ब्याज की दर को भी उतना ही मुकर्रर करना चाहिये और इसलिये मैंने यह रक्खा है कि सिक्योर्ड जो कर्जा है, उस पर तीन प्रतिशत और जो अनसिक्योर्ड हो उस पर साढे चार प्रतिशत सूद की दर होनी चाहिये। और यह मेरा संशोधन है। कोई यह कहेगा कि यह जो दरें हैं शायद बहुत कम हैं। मैं आपसे अर्ज करूं कि यह कम नहीं, बहुत से जो भारत सरकार द्वारा ऋण लिये जाते हैं आज भी, उनमें भी साढे चार परसेन्ट इन्टेरेस्ट की रेट लगाई जाती है। बहुत सी सोसाइटियां हैं जिनमें भी साढ़े चार परसेन्ट ऋण की दर लगाई जाती है और इस प्रकार से यदि हम देखें कि जो रूरल क्रेडिट सर्वे के बारे में विचार चल रहा है उसमें भी इसके हल का निश्चित उल्लेख नहीं है, पर उनका भी इशारा यह है कि सारे का सारा कोआपरेटिव ढंग से संगठित काम किया जावे तो यदि कोआपरेटिव ग से संगठित काम किया जावे तो कोआपरेटिव की दर की रेट की दर भी साढ़े चार प्रतिशत है। तो हम एक समानता ला रहे हैं, जिससे कोआपरेटिव मूवमेन्ट एन्करेज हो और दूसरी चीज यह भी एन्करेज की जाय कि क़र्ज़े की दरों के बारे में भी असमानता न रहे। मौजूदा जो नया क़र्ज़ा हो रहा है सोसायटीज के ज़रिये अथवा दूसरी स्कीमों के ज़रिये। तो इन सब चीज़ों को एकांगी रूप में न देखते हुए पूरे ढांचे में इसे फ़िट करना पड़ेगा और ब्याज की दरें भी उस सूची के अन्तर्गत ही मुक़र्रर करनी पड़ेगी। इस दृष्टि कोण से ब्याज की दरों के सम्बन्ध में मेरा संशोधन भी न सिर्फ़ आवश्यक है बल्कि उस के बारे में मैंने जो तथ्य दिये हैं, उनको देखते हुए मन्त्री महोदय स्वीकार भी करेंगे।

तीसरा जो मेरा संशोधन है वह उप-खण्ड (२) से सम्बन्ध रखता है। उप-खण्ड दो में इस बात का उल्लेख है कि एक जनवरी, ४३ के पहले जो क़र्ज़े हैं उनसे लधन का ४० प्रतिशत भाग कम करदेंगे। मेरा यह संशोधन है कि यह उप-खण्ड (२) जिस रूप में है उस रू में से तो हटा दिया जावे और मैंने उसका रिड्राफ्ट करके एक संशोधन के रूप में प्रस्तुत किया है उस रू में रख लिया जावे। मैं अपना संशोधन पढ़ता हूं। वह इस प्रकार है कि :—

खण्ड दस के सब-क्लॉज (२) के एवज में निम्न सब-क्लॉज़ रक्खा जाय :—

"(२) खण्ड ६ के अधीन दिये गये आवेदन-पत्र की तारीख को जो मूलधन उपरोक्त प्रावधानों के अधीन वाजिब बकाया करार दिया जावे उसमें से ऋण निवारण न्यायालय ऐसे मूलधन को निम्न आधार पर कम करेगी :—

१ जनवरी, १९५७ के पूर्व परन्तु १ जनवरी, १९५० के पश्चात् लिये गये ऋण में . . . . . २५ प्रतिशत कमी।

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

१ जनवरी, १९५० से पूर्व परन्तु १ जनवरी, १९४३ के पश्चात् लिये गये ऋण में .....३३ सही १ बटे ३ प्रतिशत कमी।

१ जनवरी, १९४३ के पूर्व परन्तु १ जनवरी १९३८ (यानी युद्ध काल का मन्दीकाल) के पश्चात् के ऋण में......५० प्रतिशत कमी।

१ जनवरी, १९३८ के पूर्व के ऋण......७५ प्रतिशत कमी।"

अर्ज करूं कि मैं ने जो यह संशोधन रक्खा है उस पर माननीय मन्त्रीजी ने कहा जरूर था कि यह संशोधन पब्लिसिटी की दृष्टि से वैज्ञानिक आधार नहीं है।

मैंने अर्ज किया कि मेरे माननीय मित्र ने अभी कहा जरूर था कि यह संशोधन पब्लिसिटी की दृष्टि से है, वैज्ञानिक आधार पर नहीं है। मैं बताना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, यह जो जो तारीखें मुकर्रर की है, अर्थात जो जो रिलीफ की दरें मुकर्रर की है उन सब का बहुत वैज्ञानिक आधार है। वह वैज्ञानिक आधार क्या है? वह वैज्ञानिक आधार इस प्रकार का है कि जिसका संबंध देश में होने वाली घटनाओं से है, देश में होने वाली आर्थिक स्थिति से है।

मूलधन में कमी करने का कारण क्या है? कारण यह है, अध्यक्ष महोदय, कि कीमतों की बढ़ाव और गिरावट को जब स्थिति पैदा होती है, और कीमतों के बढ़ाव और गिरावट का प्रभाव मनीवैल्यू पर होता है, और मनीवैल्यू बदल जाती है। और मनीवैल्यू बदलने के कारण पुराने और नये मनी के रूप में वापस देने की नौबत आये तो वास्तव में जितना रुपया लिया है उससे कई गुना ज्यादा रुपया देने की नौबत आजाती है। इस प्रकार से ऊंची और नीची स्थिति होने के कारण। अब यह स्थिति जैसे जैसे क़र्ज़ पुराने होते जाते हैं वैसे वैसे और लागू होती जाती है।

दूसरा मूलधन को कम करने का करण क्या है? वह दूसरे का कारण है, ब्याज को सीमित करना। जिसको हम सामन्तवाद कहते हैं, उस सामन्तवाद का प्रहरी है, उस सामन्तवाद का आवश्यक अंग है सूदखोर, मनीलैन्डर और जो यह उसका इन्ट्रेस्ट का तरीका है वह खेती के अन्दर पूंजी को पनपने नहीं देता है। वह किसान के पास मालमत्ता बचने नहीं देता है वह कौन सा तरीका प्रयोग में लाता है? वह इस तरीके को प्रयोग में लाता है कि एक बार खाता खुल जाय तो ब्याज पर ब्याज लगाकर, खाते को ठीक रूप से नहीं तैयार करे और लगातार किसान को क़र्ज़ के बोझ के मातहत दबाये रखता है, और कानून को तोड़ने की नीयत से अथवा पुराने जो कानून बने हुए हैं उनके मातहत राहत किसान को नहीं मिल पाये, इसके लिये खाते रोज के रोज खोलता रहता है।

अब इन दोनों के बीच में समावेश करें तो जैसा कि मैंने अर्ज किया कि सन् १९३२ में, आर्थिक संकट हुआ था, सन् १९२९ से १९३१ तक आर्थिक संकट रहा था; तो उसके बाद में एक स्टेज थी देश के अन्दर जिसको हम कह सकते हैं रुपये की कीमत के अन्दर बढ़ावा होता जा रहा है और वह पीरियड १९३२ से १९३९ तक का है। १९३९ में लड़ाई शुरू होगई थी, अध्यक्ष महोदय। १९३९ में जो लड़ाई

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

शुरू हुई उसकी बदली हुई परिस्थिति में पैक्ट के जमाने से सन् १९३८ से ही पैदा होना शुरू होगया था। तो मैंने जो पहला पीरियड रखा है, वह ३८ से पहले के जमाने का है। प्रीवार पीरियड (Prewar period) उसे मैं कहूंगा। उस प्रकार के पीरियड में एक किस्म की कीमतें थीं। एक किस्म की देश के अन्दर आर्थिक स्थिति थी।

उसके बाद १९३८ से लगाकर १९४३ तक का पीरियड है। हालांकि यह लड़ाई का पीरियड था लेकिन चूंकि हम यह राजस्थान के लिए कानून पास कर रहे हैं, इसलिये राजस्थान में लड़ाई के असरात पड़े, कीमतें बढ़ीं, स्केरसिटी हुई अनाज की, यह सब हमारे यहां १९४३ के बाद शुरू हुए हैं जहां तक कि राजस्थान का सम्बन्ध है। भारत के बड़े बड़े औद्योगिक केन्द्र हैं बम्बई या कलकत्ता उनमें लड़ाई शुरू होते ही सन् १९४० में असर होता गया है, लेकिन राजस्थान के जो फीगर्स हैं उनका मुलाहिज़ा फ़रमायेंगे तो पता लगेगा कि यहां पर उसका प्रभाव, मैं निवेदन करना चाहता हूं, सन् १९४३ से होता है। तो सन् १९३८ से १९४३ तक का दूसरा पीरियड है।

तीसरा पीरियड सन् १९४३ से १९५० तक का रखा है, और १९५० में हमारा संविधान बना। लड़ाई के जमाने में जो पैदा हुई स्थितियां थीं वे स्थितियां, यद्यपि सन् १९४५ में लड़ाई खत्म हुई लेकिन, धीरे धीरे लगभग १९५० में खत्म हुई ऐसा हम कह सकते हैं। दूसरी साइकिल शुरू हुई और दूसरी साइकिल में १९५७ की पहली जनवरी तक हम गिनते हैं। १९५७ की १ ली जनवरी तक क्यों गिनते हैं? मैं अर्ज करूं कि एक दूसरा कानून और अब हम बनाने जा रहे हैं, शायद उसकी सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट भी आज या कल सदन के सामने प्रस्तुत की जाने वाली है, या कुछ ही दिनों के अन्दर सदन के सामने प्रस्तुत की जाने वाली है, वह है बोहरगत कानून। मैं निवेदन कर रहा हूं कि १ जनवरी, १९५७ तक बोहरगत कानून लागू हो जायगा। उसके बाद की स्थिति में उस मूलधन में रिलीफ़ देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब तक बोहरगत का कानून लागू नहीं होता है और जब तक मनी लैन्डिंग पर कन्ट्रोल नहीं होता है तब तक के अर्से के लिये मूलधन में रिलीफ़ देना भी आवश्यक है और वह होगा। अलबत्ता यह जरूरी है कि अलग अलग पीरियड के लिये अलग अलग स्टेज होनी चाहिये और इसीलिये ५७ की १ जनवरी के पहले वाले और ५० की १ जनवरी के बाद वाले यानी १९५० से १९५७ तक के पीरियड के लिये २५ परसेन्ट, १९५० से १९४३ के पीरियड के लिये ३३ १।३ परसेन्ट, सन् १९४३ से १९३८ यानी जो प्रीवार और पोस्टवार के बीच का अर्सा है उसके लिये ५० परसेन्ट यानी १९३८ से पहले प्रीवार पीरियड में ऐसी संकटमय स्थिति थी कि जिस स्थिति की कल्पना आर्थिक दृष्टि से हम करना चाहें तो करना बहुत हद तक कठिन होता है, लगभग असम्भव होता है उसके लिये ७५ परसेन्ट, इतना स्केलिंग डाउन मूलधन में किया जाना चाहिये। यह आंकड़े, तारीखें और पीरियड्स सारे के सारे देश की आर्थिक स्थिति से सम्बन्ध रखने वाले हैं, बाजार की क़ीमतों से सम्बन्ध रखने वाली हैं और तीसरा आधार राजस्थान में बोहरगत पर कन्ट्रोल हो या नहीं हो, इस बात से सम्बन्ध रखने वाली हैं।

दूसरा जो मेरा संशोधन है वह यह है कि उप-खण्ड (दो) को बिल्कुल रिड्राफ्ट करके जैसा मैंने सुझाया है उस रूप में कर दिया जाय।

और एक संशोधन इसी धारा में है। वह भी मूव करदूं।

श्री अध्यक्ष--कर दीजिये अब, वह एक ही बाकी रहा है।

श्री हरिकृष्ण व्यास--जो जो मेरा लास्ट संशोधन है वह उप-खण्ड (६) में है, अध्यक्ष महोदय।

उप-खण्ड (६) में यह दर्ज है कि--

"इस अधिनियम की किसी बात का यह मतलब नहीं लगाया जावेगा कि ऋणदाता को अदा की गई कोई रकम वापस लौटानी होगी या......"आगे कुछ और अंश है।

मेरा संशोधन इसी दूसरी लाइन से सम्बन्ध रखता है। मैं ने यह संशोधन रखा है, अध्यक्ष महोदय, कि--

"शब्द 'वापस' तथा 'लौटानी' के बीच शब्द 'न' जोड़ दिया जाय।"

और इसकी आवश्यकता क्या है? क्लॉज़ १० में दोनों के अलग अलग हिसाब किताब के बारे में व्यवस्था की गई है, दोनों के यानी मूलधन के और ब्याज के। अब मान लीजिये कि १००) रु० एक किसान ने लिये, और कई सालों से वह खाता चलता रहा, और उससे बड़े पैमाने पर खर्चा वसूल किया जाता रहा। लेकिन बाद में ऋण न्यायालय या ऋण निवारण न्यायालय के पास मामला आया तो उसने मूलधन के १००) रु० अलग से दर्ज कर दिये और ब्याज का खाता अलग खोल दिया। कितना ब्याज वसूल हो चुका है वह तो उसके नाम पर क्रेडिट किया जायगा और ६ परसेन्ट या ९ परसेन्ट के हिसाब से ब्याज केलक्यूलेट करके डेबिट किया जायगा। ऐसा करते हुए यदि ऐसी स्थिति है कि मूलधन भी पूरा हो जायगा और ६ परसेन्ट या ९ परसेन्ट जो भी ऋण के ब्याज की दर हो उस ऋण की दर से जितना भी कानूनन वाजिब ब्याज हो वह पूरा होगया उससे ज्यादा रुपया ऋणदाता वसूल कर चुका है, ऐसा अगर हिसाव में आये तो हमें किस बात का डर होना चाहिये कि सिलेक्ट कमेटी ने जो क्लॉज अभी रखा है वह इस रूप में रखा है, अध्यक्ष महोदय, कि इस अधिनियम की किसी बात का मतलब यह नहीं लगाया जायगा कि ऋणदाता को अदा की गई कोई रकम वापिस लौटानी पड़े। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि ऋणदाता की तरफ़ से इतनी परेशानी होने की कोई आवश्यकता नहीं। हमें तो सिर्फ़ यही कह देना चाहिये कि इस अधिनियम की किसी बात का मतलब यह नहीं लगाया जायगा कि ऋणदाता को ज्यादा पहुंच गये उस रुपये को वापिस नहीं लौटाना पड़ेगा। लौटाना पड़ेगा या नहीं लौटाना पड़ेगा यह तो न्यायालय तय करेगा। आपको तो करना यह चाहिये कि इतने रूपये की लिमिट जो मूलधन की है, वह पूरी हो जाय और स्टेन्डर्ड रेन्ट भी पूरा हो जाय इससे भी ज्यादा रुपये ले लिये हों तो जिस प्रकार आप ऋणी से कहना चाहते हैं कि हिसाब से अगर कम हुए तो जो पैसा बचेगा वह देना पड़ेगा तो गवर्नमेन्ट एक रेग्युलेटिंग बोडी है। एक सेठ और एक कृषक के बीच में दखल देने वाली सरकार है और ऋण की रकम से ज्यादा ब्याज की रकम न हो। लेकिन हिसाब कितना होने के बाद स्टेन्डर्ड रेट से देना हो तो? इसके लिये मेरा यह कहना है कि अगर ऋण-दाता ने ज्यादा वसूल करलिया है तो राज्य को ऐसा कहना चाहिये कि अगर ज्यादा ले लिया है तो उसको वापिस देना पड़ेगा। ऐसा राज्य सरकार कहने की स्थिति में न हो ऐसी बात नहीं है। ऐसा कोई मतलब न लिया जाय कि ऋणदाता ने ले लिया इसलिये उसकी रिटर्न नहीं करना पड़ेगा। इसलिये मैंने यह

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

मामूली सा संशोधन प्रस्तुत किया है। रकम वापिस लौटाना, यहां 'वापिस' और 'लौटाने' के बीच में 'न' शब्द जोड़ दिया जाय। "वापिस न लौटाना" हो जायगा। 'न' शब्द जोड़ने के बाद जो भी डिस्क्रिशन होगा वह अदालत करेगी। न्यायालय के सामने इस तरह से हम ऋणी और ऋणदाता दोनों की स्थिति ठीक तरह से रख पायेंगे।

ऐसे मेरे ४ संशोधन हैं। जिनका ताल्लुक बिल की जो सारी की सारी महत्वपूर्ण धारा है, यह समझ लीजिये कि जो इस कानून का एक शरीर है, लेकिन धारा १० जो है वह इसका हार्ट है। वह धारा तो अधिकार देने वाली थी और यह धारा १० है वह राहत पहुंचाने वाली धारा है। यह सारे बिल की जान है और इसलिये इस पर पूरा ग़ौर करके राजस्व मन्त्रीजी इसको स्वीकार करने की कोशिश करेंगे। हालांकि उनको थोड़ीसी कठिनाई जरूर होगी, लेकिन सारे पहलुओं पर अगर वे विचार करेंगे तो उनको मालूम हो जावेगा और सदन के माननीय सदस्य भी इन बातों पर विचार करेंगे और उनको स्वीकार कराने में मदद करेंगे, ऐसी आशा है। अन्त में मैं इन चार मेरे संशोधनों को प्रस्तुत करके निवेदन करूंगा कि उनको स्वीकार किया जाय।

श्री दामोदरलाल व्यास—अध्यक्ष महोदय, चार अमेन्डमेन्ट्स क्लॉज १० में माननीय सदस्य ने प्रस्तुत किये हैं। उनमें से मैं एक को भी स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं हूं। उन्होंने जो कारण दिये हैं नं० १ धारा १० की......

श्री अध्यक्ष—१२ की जगह २० चाहते हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास—क्लॉज १० के सब-क्लॉज (१) के पैराग्राफ़ ३ में यह दलील दी है कि १२ साल के बजाय २० कर दिया जाय और उसको कम करने की मंशा यह है कि इस सन् ५२ के पहले सन् ४० आवेगा बारह वर्ष के पहले के हिसाब से और जो इन्ट्रेस्ट है उसको रिड्यूस करने का प्रोविजन रखा है उसको रिड्यूस नहीं कर सकेगा। उनका इन्टेरप्रिटेशन ग़लत है। ज्यादा एप्लीकेशन्स होंगी उन्हीं को खोलने का अधिकार होगा लेकिन कौमन ला में और सिविल ला में जो अधिकार हैं, औरिजिनल डेट निकालने के लिये १० साल २० साल पिछले कितने अकाउन्ट्स खोल सकते हैं They will have to determine what is the principle amount and what is the interest charged and then they will decide यह कहना कि कोर्ट को खोलने का अधिकार नहीं रहेगा यह ग़लत है। और बिला वजह डर लग रहा है। यह बात जरूर है कि सन् ४० के पहले के अकाउन्ट्स खोल नहीं सकेगी। प्रिन्सिपल अमाउन्ट कितना है, कितना इन्ट्रेस्ट चार्ज किया है, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट है या सिम्पल इन्ट्रेस्ट है, किस प्रकार से लिया गया है इसकी जांच के लिये कोर्ट को इन्हरेन्ट पावर्स होंगे। वह फ़ैसला करेगा। अतः इस अमेन्डमेन्ट को लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी और मैं इसको स्वीकार नहीं करता हूं।

दूसरा आपका संशोधन इन्ट्रेस्ट की रेट पर है। जैसा मैंने पहले अर्ज किया कि ये अमेन्डमेन्ट्स पब्लिसिटी के लिहाज़ से ही पेश किये गये हैं। ४॥ परसेन्ट अनसिक्योर्ड पर दिलाना चाहते हैं। जहां तक मुझे मालूम है सिक्योर्ड पर ७॥ परसेन्ट बैंक चार्ज है। हमने सिक्योर्ड पर ६ परसेन्ट रखा है और

[श्री दामोदरलाल व्यास]

अनसिक्योर्ड पर ९ परसेन्ट रखा है। मैं समझता हूं कि यह वाजिब है और इसको कम करने की आवश्यकता नहीं है।

तीसरा अमेन्डमेन्ट बड़े जोरों से रखा है स्लाइडिंग स्केल्स के बारे में। प्रिन्सिपल को रिड्यूस करने की मंशा है, वह यह है कि ऐसी ऐबनोर्मल सरकम्स्टान्सेज पैदा हो जांय, किसानों की प्रोड्यूस की प्राइसेज इतनी गिर जांय कि उनको काश्त का खर्चा चलाना मुश्किल हो जाय या खुद के घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो जाय और खर्चा चलाने के लिये कर्ज लेना पड़े तो ऐसे जमाने में उनको रिलीफ देना जरूरी हो जाता है इसलिये हमने जो पीरियड लिया है उसको ध्यान में रखते हुए सन् ४३ के पहले का जो पीरियड है उस पर ४० प्रतिशत कमी हो जावेगी। सन् ४३ के बाद प्राइसेज राइज हुई हैं और आगे भी होती गई हैं कि उसके लिये यह कहा जाय कि प्रोड्यूस की कीमत किसानों को कम आती है और इस कारण से प्रिन्सिपल में से रिड्यूस किया जाय मैं उससे सहमत नहीं हूं। जहां जहां भी कानून बने हैं, सी. पी. बम्बई, मध्यप्रदेश... जहां जहां भी इस प्रकार के कानून हैं, जहां प्रिन्सिपल पर रिडक्शन इसी आधार को मान कर दिया है। सन् १९४३ के पीरियड के पहले के पीरियड का दिया है और बाद का नहीं दिया। उसकी वजह यह है कि सन् ४३ के बाद प्राइसेज काफी बढ़ी हैं और सन् ४३ के बाद के प्राइसेज इन्डेक्स को देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि जहां ३९-४० में इन्डेक्स १४० थे वहां ५०-५१ में ५०८ हैं। और आज कल तो और ज्यादा है। फूड प्रोड्यूस हैं और दूसरे प्रोड्यूस हैं उनकी कीमतें बढ़ रही हैं इसलिये इस हिसाब से इन्डेक्स ज्यादा हैं। इसलिये मैं नहीं समझता कि ऐसा कोई कारण है कि ४३ के बाद भी रिडक्शन दिया जाय। इस सम्बन्ध में स्टेजेज बतायीं। कहा गया कि वार शुरू हो गई। मैं निवेदन करूंगा कि वार शुरू हो जाने से ही उसका एक दम असर किसानों पर नहीं पड़ा था लेकिन उसका असर धीरे धीरे पड़ता है। वार के पहले किसानों की प्रोड्यूस की कीमतें कम हो गई थीं, इकोनोमीकली किसान हिट हार्ड थे इसलिये उनको ४३ से पहले के पीरियड पर रिडक्शन दे दिया है। जैसा माननीय सदस्य ने कहा वैसा मैं मुकर्रर करना मुनासिब नहीं समझता।

और फोर्थ अमेन्डमेन्ट है। अगर बोहरा का सारा पैसा अदा हो गया है, सेटलमेन्ट ही नहीं डिस्चार्ज भी हो गया है लेकिन इस अमेन्डमेन्ट द्वारा यह चाहा गया है कि सेक्शन १० में जो केल्क्यूलेशन किया गया है उसको वापिस लाया जाय। मैं अदब के साथ अर्ज करूंगा कि ऐसा सिद्धान्त नहीं माना जा सकता है और यह इक्वीटेबिल भी नहीं है और यह कान्स्टीट्यूशनली भी जाइज नहीं होगा। डेटर और क्रेडीटर ने ले लिया देदिया इन्ट्रेस्ट पे कर दिया और डिस्चार्ज हो गया और फिर कोर्ट देखेगी कि ज्यादा तो नहीं ले लिया है। जो प्रिन्सिपल आप एडाप्ट करना चाहते हैं That is most unfare, unjustified and therefore I am not prepared to accept any amendment.

श्री हरिकृष्ण व्यास—अध्यक्ष महोदय, मुझे सिर्फ एक ही बात अर्ज करनी है। बाकी तो जो कारण मंत्रीजी ने दिये हैं उनके बारे में मुझे खास नहीं कहना है लेकिन जो आखरी बात उन्होंने कही उसमें जान बूझ कर मेरे संशोधन को तोडने मरोडने की कोशिश की गई है। जहां किसी के कर्जे का खाता खोला गया है और वह कर्जा रिएलाइज हो गया है, उसका सेटलमेन्ट हो गया ह उसके बारे में तुम कहते हो कि उसको रीओपिन करो, एसा मंत्रीजी के कहने का तात्पर्य था। मेरे संशोधन का

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

मतलब यह नहीं है। मेरे संशोधन की मंशा यह है कि जब दोनों का अकाउन्ट सैटिल हो उस समय न्यायालय को यह पता लगे कि इसमें डेबिट एन्ट्रीज और क्रेडिट एन्ट्रीज दोनों हैं। लेकिन उसमें डेबिट की एन्ट्री ज्यादा है तो उसके लिये तो आपने प्रोविजन कर दिया कि इस इस तरह से वसूली कर दी जायगी। लेकिन उस खाते के अन्दर यदि क्रेडिट की एन्ट्रीज ज्यादा हैं तो ऋणदाता को कहना चाहिये कि इतनी रकम वापिस ऋणी को लौटा दें। यदि ऐसा प्रोविजन किया जाता है तो इसमें कौनसा विधान आडा आता है। जब आपने ट्रान्जेक्शन सैटिल कर दिया कि आज तक जितने खाते लेनदेन के हैं, वे सब जुडिस हो गये। अब उसके बाद जब फाइनल डिटरमीनेशन होगा कि अब यह पोजीशन है। यदि ऋणी का पैसा ज्यादा आता है तो ऋणदाता को कहना चाहिये कि वह पैसा लौटा दें। यदि ऋणदाता का पैसा ज्यादा निकलता है तो आपने ऋणी को कह ही दिया है कि वह पैसा दे दो। मेरा संशोधन यह नहीं है कि पुराना मामला रीओपिन करो। लेकिन मतलब यह है कि यदि ऋण न्यायालय के सामने ऐसा सवाल पैदा हो कि ऋणी का पैसा ज्यादा निकलता है तो ऋणदाता से ऋणी को वापिस दिलवाना चाहिये। ऐसा न करके आप ऋणदाता को स्पेशल फेवर क्यों करना चाहते हैं? आप ऐसा मत करें। कम से कम एक संशोधन स्वीकार करके तो आप उदारता का परिचय दो। आपने शायद गलतफहमी के कारण इसको अस्वीकार कर दिया था। गलतफहमी के बारे में अर्ज किया है। डीडवाने के सदस्य के यह बात समझ में आगई। जब ट्रान्जेक्शन सैटल करना आपने दे दिया है तो उस पर लिमिटेशन मत रखो। It shall not mean like this यह न्यायालय पर छोड़ो। न्यायालय यदि इस नतीजे पर पहुंचे कि क्रेडिट एन्ट्रीज ज्यादा हैं तो वह कहेंगे कि वापिस लौटा दो। इसमें आपको क्या परेशानी है? इन शब्दों के साथ मैं अपना संशोधन उपस्थित करता हूं। यदि मंत्रीजी इसको नहीं मानें तो इस पर मतदान लेलें।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्लॉज १० के सब-क्लॉज (१), (२) और (६) में जो संशोधन श्री हरिकृष्ण व्यास ने रखे हैं उन्हें स्वीकार किया जाय ....

श्री हरिकृष्ण व्यास—सब-क्लॉज (८) के पैराग्राफ ३ में २० साल वाला।

श्री अध्यक्ष—वह भी आ गया न।

प्रश्न यह है कि इन संशोधनों को स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गये।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज १० को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज १० विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज ११

[श्री अध्यक्ष]

क्लॉज ११ में एडीशन चाहते हैं क्या ? The original clause 11 is to be deleted or a new clause is desired to be added ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—Addition of new clause 11A.

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्लॉज ११ स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

क्लॉज ११ विधेयक का अंग बना ।

(विराम)

A new clause is desired to be inserted by Shri H.K. Vyas after clause 11.

श्री हरिकृष्ण व्यास—अध्यक्ष महोदय, क्लॉज ११ में पुनः भुगतान की योजना तैयार करना और ऋण की सम्पत्ति के हस्तान्तरण के लिये इस प्रकार का तरीका व्यक्त किया है कि यदि उसके पास संपत्ति हो और एवजाने में देना चाहे तो देकर कर्जे से अपने आप को मुक्त करे, अथवा इन्स्टालमेन्ट्स मुकर्रर हो जावें और यदि इन्स्टालमेन्ट्स मुकर्रर हो जावें तो वह एक तरह से डिक्री का रूप धारण करेगी । वह इस प्रकार के कर्जे से कैसे छूटे, इसकी व्यवस्था की गई है ? लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि सारा हिसाब किताब करने के बाद भी एक किसान की ऐसी परिस्थिति हो सकती है कि हिसाब सही है, लेकिन आर्थिक तौर पर देने लेने को उसके पास कुछ नहीं है तो उसके लिये क्या होगा ? आपने कह दिया कि मूलधन में कमी करदो, ब्याज में स्टेन्डर्डाइज कर दिया लेकिन सामने वाले के पास देने को कुछ है ही नहीं तो वह अपना चमड़ा तोड़कर तो देने से रहा । तो ऐसी स्थिति में क्या होगा ? दूसरे राज्यों में, क्योंकि मंत्रीजी ने बंबई और सी. पी. का उदाहरण दिया था, क्या हालत है उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं । मैं बम्बई की मिसाल आपके सामने देना चाहता हूं । बम्बई राज्य के कानून में इस बात की व्यवस्था है कि यदि ऋण अनेबिल टू पे है और न्यायालय यदि संतुष्ट हो जावे कि वह देने योग्य नहीं है तो वह इन्स्टालमेन्ट्स को स्केल डाउन करेगा बल्कि अंत में यह स्थिति हो जायगी कि यदि वह कुछ नहीं दे सकता है तो सारा ऋण बेबाक कर देगी । आपके कानून में इस बात की कमी है । आपने यह किया है कि ब्याज ज्यादा न लें, मूलधन में कमी करदी जाय लेकिन उसके बाद कर्जदार की यदि ऐसी हालत है कि सारी रियायतों के बाद भी खुद के खाने के लिये और बाल बच्चों को खिलाने के लिये भी कुछ नहीं है और उसके सिर पर कर्जा कायम है तो उससे भी राहत दिलाने की व्यवथा होनी चाहिये । यह व्यवस्था बम्बई के कानून में है । मेरा संशोधन इस सिलसिले में यह है कि धारा ११ ए जोड़ी जाय जो इस प्रकार है :

> "यदि किश्तें निश्चित होने के पश्चात् भी वह व्यक्ति भुगतान न कर पावे और न्यायालय संतुष्ट हो जाय कि ऋणी किश्तें चुकाने में असमर्थ है तो न्यायालय उक्त किश्तों को उस व्यक्ति की आर्थिक दशा देखकर और भी कम कर देगी । "

एक दृष्टिकोण यह है कि ऋणी के सिलसिले में यदि अन्याय हुआ है ऋणदाता को तो उसके लिये राहत देनी चाहिये । दूसरा दृष्टिकोण सामाजिक और न्यायोचित है । बम्बई राज्य के

Page No 35

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

कानून में जिस दृष्टिकोण का समावेश किया है, वह यह है कि यदि ऋणी ऋण देने की स्थिति में नहीं है तो उसको राहत देनी चाहिये । और उसको राहत देने की कोई व्यवस्था हमारे इस कानून में नहीं है । यह इस कानून की बड़ी कमी है । यह बिल सिलेक्ट कमेटी के सामने प्रस्तुत हुआ था उस समय मूल बिल में इस बात का उल्लेख था । लेकिन बाद में इस बात को छोड़ दिया गया और ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई कि यदि ऋण देने में असमर्थ है तो उसको क्या राहत दी जाय । यह स्थिति न्यायालय के सामने आ सकती है ।

मैं यह चाहूंगा कि यदि मेरे पहले के संशोधन इस बिनाह पर अस्वीकृत किये हैं कि बम्बई के कानून में उनका समावेश नहीं है और आपको दूसरे प्रान्तों के पद चिन्हों पर चलना है तो मैं बताने को तैयार हूं कि बम्बई के कानून में इस बात की व्यवस्था है कि यदि ऋणी देने में असमर्थ है तो न्यायालय को अधिकार है कि फरदर स्केल डाउन करे या कंपलीटली रिलीव करे । यह हमारे कानून में क्यों नहीं हो, इसलिये मैंने यह संशोधन रखा है । मुझे आशा है कि मंत्री महोदय अपने चीफ व्हिप से सलाह करके इसे स्वीकार करेंगे ।

श्री मानसिंह महार—माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे मित्र ने क्लॉज ११ जोड़ने की जो बात रखी है वह मेरे कुछ कम समझ में आई है, इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं ।

श्री अध्यक्ष—क्लॉज ११ का या ११ ए. का ?

श्री मानसिंह—११ ए. का । अध्यक्ष महोदय, मेरे मित्र ने जो दलील दी है, वह इस प्रकार की है कि इससे ऐसा दीखता है कि वे काश्तकारों के बड़े हितैषी हैं, वे काश्तकारों को बहुत कुछ उठाना चाहते हैं, लेकिन अगर हम इस बात की वास्तविकता की ओर जायेंगे तो पता चलेगा कि इससे खराबी ही है । चाहे आज इस सदन में बैठ कर कुछ भी कानून पास कर दें जो कुछ करने जा रहे हैं, ये ऐसी बातें हैं कि इनके करने से काश्तकारों के पैरों में कुल्हाड़ी मारी जाती है ।

आज गांवों में काश्तकारों को कर्ज देने के लिये कोई बैंक वगैरह का कोई इन्तजाम नहीं किया हुआ है और न रुपया देने का और कोई इन्तजाम ही किया गया है, इतना होते हुए भी गांवों में किसानों को गांवों में रुपया लेने का एक मात्र जरिया बोहरों का है, उसको भी आप बन्द करने जा रहे हैं । इससे तो आप किसानों का हित करने के स्थान पर अहित कर रहे हैं, आज जो रुपया उनको किसी तरह बोहरों से मिल जाता है, उस जरिये को भी आप यह कानून पास कर के बन्द करने जा रहे हैं । इस सिस्टम से गांवों में इकोनोमिक कन्डीशन अच्छी तरह से चलती है । हां ब्याज अगर ज्यादा हो और उसमें कमी करना हो तो यह माना जा सकता है, ऐसा किया जा सकता है पर मेरे समाजवादी मित्र ने कहा है कि मूलधन को बिल्कुल खत्म कर दिया जाय । मैं समझता हूं कि साम्यवादी समाज में भी इस प्रकार की बात नहीं होगी । वह उस साम्यवाद समाज की कल्पना कर रहे हैं, जहां गांवों के गांव सामूहिक रूप से रहते हैं । वहां जिस प्रकार का एकतन्त्र शासन और इकोनोमिक स्थिति है वह आज के युग में देखी गई है । उन देशों के नेताओं की आपसी बातें चलती हैं कि ये सिद्धान्त केवल सिद्धान्त के लिये हैं । हमें केवल सैद्धान्तिक नहीं बनना चाहिये, हमें वास्तविकता की ओर जाना चाहिये । अगर यह धारा जोड़ देंगे तो गांवों में किसानों को किसी से भी एक भी पैसा उधार नहीं मिलेगा ।

[श्री मानसिंह महार]

दूसरी बात सोचने की है वह यह है कि आज के युग में हम इस प्रकार की बातें करते हैं तो मैं इसको एक प्रकार की असमानता ही मानता हूं । अगर इस प्रकार की राहत पहुंचाना है तो प्रत्येक वर्ग को पहुंचाना चाहिये । इसलिये इस बिल के थर्ड रीडिंग पर अपने विचार जो हैं वे प्रकट करूंगा ही, पर क्लॉज ११ ए. जोड़ने की जो बात है उसका मैं विरोध करता हूं और निवेदन करूंगा कि सदन कहीं आवेश में आकर इस प्रकार का क्लॉज पास न कर दे ।

श्री मक्तिलाल मोदी—माननीय अध्यक्ष······

श्री अध्यक्ष—आप समर्थन करेंगे या विरोध ?

श्री मुक्तलाल मोदी—मैं तो श्री एच. के. का समर्थन करूंगा । माननीय अध्यक्ष, ग्यारहवें क्लॉज के 'अ' का जो संशोधन श्री एच. के. व्यास ने रखा है उस का समर्थन करना चाहिये । आज के युग को देखते हुए हालांकि हमारे भी बोहरेपन का ही धंधा है, मैं तो बोहरेपन का धंधा नहीं करता लेकिन मेरे बाप जरूर करते थे, फिर भी मैं इसके खिलाफ हूं । हम लोगों का ब्याज पर ब्याज ले कर भी पेट नहीं भरता है, तो काटा काटते हैं, महार साहब हैं, वे यह धंधा करते हैं....

श्री मानसिंह महार—मैं यह धंधा नहीं करता ।

श्री मुक्तिलाल मोदी—करते कैसे नहीं, करते हैं । तो माननीय अध्यक्षजी, यह जो संशोधन श्री एच. के. व्यास ने रखा है वह बिलकुल ठीक है । ब्याज के ऊपर ब्याज और आठ आना, एक रुपया सैंकडा पर तय किया हुआ है, पर काटे का ब्याज ढ़ाई रुपया-तीन रुपया सैंकडे के हिसाब से लिया जाता है ।

श्री अध्यक्ष—वह क्लॉज पास हो चुका, जिस पर आप बोल रहे हैं ।

श्री मुक्तिलाल मोदी—वही बता रहा हूं । अगर किसी काश्तकार के पास से मूल रुपये के जितना ब्याज वसूल हो जाता है और थोड़ा बहुत बाकी रहता है और कोर्ट में वह चीज जाती है और उस काश्तकार के लड़के की स्थिति ऐसी आ जाती है कि खाने, पीने और पहनने के लिये भी उसको पैसे नहीं मिलते हैं और न्यायालय उसको माफ कर देता है तो कोई बात नहीं है । उसके पूरे खाते देखने के बाद कोर्ट को यह तसल्ली हो जाय कि उसका मूल धन है, उतना ब्याज वसूल हो चुका है तो कोर्ट उसके मूलधन के कर्ज को रद्द कर सकता है तो यह बिलकुल ठीक है, उस कर्ज को रद्द कर देना चाहिये ।

श्री एच. के. व्यास ने जो प्रस्ताव रखा है, वह बिलकुल वाजिब है । अगर न्यायालय तय करे कि उसके पास कुछ नहीं है तो उसको उस ऋण से मुक्त कर देना चाहिये । यह वाजिब संशोधन है, इसे स्वीकार कर लेना चाहिये ।

इसलिये मैं, श्री एच. के. व्यास ने जो संशोधन रखा है, उसका समर्थन करता हूं ।

श्री दामोदरलाल व्यास—माननीय सदस्य जो जोधपुर से आये हैं उन्होंने जो संशोधन पेश किया है, उसे मैं इसलिये स्वीकार नहीं करता कि यह वैसे आम कानून से खिलाफ है और यह ऐसी टेन्डेन्सी डेब्टर्स में पैदा करेगा कि जितना कर्ज फिर बाकी रह गया वह देने की फिक्र ही नहीं करेंगे। श्री एच. के. का यह अमेंडमेंट......

श्री एच० के० व्यास—माननीय अध्यक्ष, इस प्रकार किसी को संबोधित करना कहां तक ठीक है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—I am sorry । जोधपुर से आने वाले सदस्य....

श्री अध्यक्ष—He can tolerate it by Mr. Muktilal Modi but not from yon.

श्री एच० के० व्यास—दूसरे मेम्बर मेरे ऊपर एतराज करते हैं ।

श्री दामोदरलाल व्यास—किसानों को मिल जाय वह तो मिल जाय बाकी रुपया....

श्री अध्यक्ष—टोटल रिलीफ तो नहीं होगा ।

श्री दामोदरलाल व्यास—अगर इस अमेंडमेंट को स्वीकार कर लेते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि टोटल इन्ट्रेस्ट जोड़ने के बाद जितनी रकम निकलेगी, उसकी ज्यादा इन्स्टालमेंट्स मुकर्रर की जायं, with due regard to his capacity of payment और सब बातों को अदालत गौर करेगी ।

श्री अध्यक्ष—For some sufficient reasons if he is not in a capacity to pay, then the instalments may be reduced.

श्री दामोदरलाल व्यास—इन बातों को देख कर इन्स्टालमेंट्स मुकर्रर करेगी । और फिर उसकी केपेसिटी मुकर्रर कर दी तो फिर दो साल बाद उसकी केपेसिटी के अनुसार घट जावेगी and after two years the same process should be repeated. और वह उसकी केपेसिटी हर साल घटती जावेगी because he wants to get reduction in his instalments. मेरे खयाल से यह बोहरों के साथ अन्याय होगा और कर्जदारों की बुरी आदत डालने में ज्यादा प्रोत्साहन देगी । बम्बई के एक्ट के बारे में कहा गया और इन्सटेन्स साइट किया । मगर वे इस बात को भूल गये कि बम्बई में यह एक्ट जो है that Act applies only to those people who are incapable of paying their debts. मगर हमारे यहां पर यह एक्ट जो है, इसमें और उसमें फर्क है । हमारे यहां पर यह किसानों की जो परिभाषा रखी गई है, उस पर लागू होगा और हर एक किसान को इससे रिलीफ मिलेगा । यह बात बंबई के एक्ट में नहीं है । वहां पर तो उसी को फायदा होगा जिसकी पेइंग केपेसिटी नहीं होगी । इसमें और उसमें यह फर्क है । हमेशा यह होना चाहिये कि बोहरों के रुपये कर्जदार अदा करें और हमको उनकी ऐसी आदत नहीं डालनी चाहिये कि वे बोहरों के रुपये अदा ही न करें ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय अध्यक्ष, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस को जल्दी में अगर यों ही टाल दिया जायगा तो इसका इस बिल पर बुरा असर पड़ने वाला है । माननीय मंत्री महोदय ने फरमाया उसमें एक बात तो सही कही कि बम्बई का एकट है, वह केवल एक ही केटेगरी के लोगों को हित पहुंचाता है और उन्हीं के लिये है, और वह जो unable to pay और हमने जो एक्ट बनाया है, वह हर प्रकार के Agriculturist के लिये लागू होता है । चाहे वह एबल हो या अनएबल हो । इसलिये जो मतलब निकाला वह गलत निकाला और वह गलत कैसे निकाल लिया कि हमने जो एक्ट बनाया है, उसमें दोनों केटेगरीज दी गई हैं, एबल और एनअबल । लेकिन यहां पर जो कानून बनाये हैं वे सब एबल टू पे के लिये ही बनाये हैं । बड़े जोर से कह गये कि पेइंग केपेसिटी देख कर बनेगा । मैं यह कहूंगा कि Settlement of Account करने के बाद जो रकम बकाया रहेगी उसकी ही तो डिग्री दी जाएगी और उसको चाहे तो आप किश्तों के रूप में बांट सकते हैं या किसी तरह से वसूल कर ली जावे ।

श्री दामोदरलाल व्यास—यह तो कानून जानने वाले जानते हैं Paying capacity इस्टालमेण्ट मुकर्रर करते समय देखी जाती है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—उसकी पेइंग केपेसिटी कितनी है और वह कितना सालाना दे सकता है। Not being able to pay यह नहीं देखा जाता । इस्टालमेण्ट मुकर्रर करने का मतलब यह है :— That he shall have to pay. At the most he can disburse the payment over a long period but what about those who are unable to pay. That is the problem and that problem is escaping the attention of my hon'ble friend sitting opposite. बम्बई का एक्ट केवल एक ही केटेगरी को लेकर चलता है और हम दोनों केटेगरीज़ को लेकर चलते हैं । एबल टू पे के लिये आपने इन्स्टालमेण्ट मुकर्रर के लिये प्रोविजन रखा है । मैं नहीं जानता था कि माननीय मंत्रीजी ने बंबई के एक्ट की धाराओं को कहां तक पढ़ा है, मगर अब उनकी बातें यहां सुनने के बाद मुझे कुछ कुछ शक होगया है कि उन्होंने इनको अच्छी तरह नहीं पढ़ा और पढ़ा है तो समझा नहीं । उसका क्लॉज ३१ इस प्रकार है:— Bombay Agricultural Debtors' Relief Act, 1947:

"(31). Notwithstanding any custom, contract, award or decree of a Court to the contrary, the amount found due under section 22 from a debtor shall be further scaled down in the manner hereinafter provided":

अब राजस्व मंत्री जरा गौर से सुनें । 'एबल टू पे' और 'एनअबल टू पे' के लिये है, यह सब साबित हो जावेगा:
"If all the debts found due by the debtor after taking into account the provisions of section 22, are unsecured."

उनके पीछे कोई जमानत नहीं है:

"Such debts shall be further scaled down pro rata to the paying capacity of the debtor."

इसमें इन्स्टालमेण्ट का उल्लेख नहीं है:

"Pro rata to the paying capacity of the debtor."

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

अगर डेटर (Debtor) की पेइंग केपेसिटी कम है या पेइंग केपेसिटी नहीं है तो उसको छूट कर दी जावे। यदि है तो ज्यादा रखा जावेगा और सिक्योर्ड डेट के बारे में भी साफ दर्ज किया गया है, "(3) If the total amount of such debts is more than sixty per cent of the value of the property belonging to the debtor such debts shall be further scaled down prorata to the paying capacity of the debtor."

यानी उसकी प्रोपर्टी को उसके अगेंस्ट में सिक्योर कर रखा है। अगर वह ६० प्रतिशत से कम हो तो The Debt shall be prorata scaled down मिलेगा।

इसलिये मैं यह कहूंगा कि हमने कानून को दुरुस्त करने के लिये कार्य जरूर किया है, मगर दुरुस्त करने चले थे, मगर उसके स्कोप को और ज्यादा बढ़ा दिया, मगर उसके साथ साथ एक-केटेगरी के लोग जो अनएबल टू पे हैं उनको भूल गये। इसलिये इससे आप ऐसी स्थिति पैदा करेंगे कि कोई भी व्यक्ति कर्जा देने की सोचेगा नहीं। इसके अलावा जब न्यायालय संतुष्ट हो जाएगा कि किसान देने की स्थिति में नहीं है और आप किसान को कहेंगे कि देना चाहिये तो किसान मानने वाला नहीं है और फिर भी आप उसको देने के लिये मजबूर करेंगे तो आप उसको शरणार्थी बनायेंगे। उसको, ऐसी स्थिति में आप मकान छोड़ कर जाने के लिये बाध्य करेंगे। हकीकत में हुआ यह कि आप इसका स्कोप बढ़ाना चाहते थे, वह तो बढ़ गया, लेकिन अनएबल टू पे वाले लोग इसमें छूट गये। इसलिये मैं माननीय राजस्व मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इसको गंभीरतापूर्वक सोचे और मेरे संशोधन पर पुनः विचार करके स्वीकार करें। इसकी दरख्वास्त करूंगा और अगर वे इसको स्वीकार नहीं करते हैं तो मैं माननीय अध्यक्ष, आपसे निवेदन करूंगा कि इसको सदन की सम्मति के लिये छोड़ने का प्रस्ताव करूंगा।

माननीय अध्यक्ष, राजस्व मंत्री तो सुनते ही नहीं साहब।

श्री दामोदरलाल व्यास--मैंने सब अच्छी तरह से सुन लिया है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्लॉज ११ (ए) पर जो संशोधन श्री हरिकृष्ण व्यास ने रखा है उसे स्वीकार किया जाये।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज १२ को स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

क्लॉज १२ विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज १२ (ए), श्री एच० के० व्यास।

श्री हरिकृष्ण व्यास--अध्यक्ष महोदय, मेरा, यह, इस अधिनियम के अन्दर आखिरी संशोधन है, जिसको मैं प्रस्तुत करता हूं और कुछ ऐसा मालूम होता है कि राजस्व मंत्री कहीं इसको मानलें और कहीं उनको यह कहने के लिये कि एक संशोधन तो स्वीकार कर लिया जाता, ऐसा मौका कहीं न टल जाए; इसलिये यह आखिरी संशोधन पेश करता हूं और आशा करता हूं कि इसको तो जरूर स्वीकार करेंगे; क्योंकि यह तो स्वीकार करने योग्य ही है। इसमें डूंगरपुर से आये हुए माननीय मित्र भी मेरे इस संशोधन के समर्थन में जरूर कुछ कहेंगे और उससे भी यह संशोधन स्वीकार करने में मदद मिलेगी। वह संशोधन इस प्रकार है कि इसके आगे १२ (अ) नई धारा जोड़ दी जावे :—

इस अधिनियम के लागू होने के पश्चात् ऋण के एवजाने के रूप में किसी से शारीरिक श्रम करवाना (जैसे कि सागडी प्रथा) एक अपराध होगा, जिसके लिये २ वर्ष तक के कारावास का दण्ड दिया जा सकेगा। और किस्म के कर्जे का उल्लेख सब जगह हो गया है। रुपये के रूप में अथवा कोमोडिटीज के रूप में। चारा हो या घासफूस हो, किसी भी रूप में हो, उन सब चीजों का उल्लेख होगया है। लेकिन उस एरिया में जिस एरिया का जिक्र मैं कर रहा हूं और उस एरिया से आये हुए मेरे माननीय मित्र भी मेरी साक्षी देंगे कि राजस्थान में एक ऐसा इलाका है, जहां कर्जे का संबंध मनुष्य के शरीर से माना हुआ है। अध्यक्ष महोदय, डूगरपुर राजस्थान का इलाका है; जहां सागडी प्रथा नाम की एक प्रथा प्रचलित है। जहां कर्जे के एवज में मनुष्य को लगातार उस आदमी की नौकरी करनी पड़ती है। वह उसकी केवल चार आना तनख्वाह लगा देता है, इस तरह से वह नौकरी छोड़ कर जा सकता नहीं, वह उसके बन्धन में एक प्रकार से जकड़ा रहता है; वह एक तरह से उसका दास है। दास प्रथा आज भी चालू है, उस इलाके में मनुष्य के शरीर को बांधने की प्रथा चालू है, कर्जे के एवज में, जिसका नाम है सागडी प्रथा। इस प्रथा का अन्त हो, मेरे ख्याल से इसमें दो राय नहीं हो सकतीं। अगर हम इस राय में एक मत हैं तो आज मौका है, इस प्रकार की प्रथा को अन्त करने का। जब कर्जे के सिलसिले में कानून बन रहा हो, एक धारा ऐसी बढ़ा दी जाय जिससे कर्जे में किसी मनुष्य के शरीर को काम में नहीं ले सकते; अगर कोई इस प्रकार का काम लेता है तो वह कानून से दण्डनीय माना जायगा। मेरी ऐसी मान्यता है कि यह मामूली प्रश्न नहीं, कम से कम उस इलाके के लोगों के लिये बहुत बडा प्रश्न है। आज जो इस बात की ओर टकटकी लगाये बैठे हैं, आज देश में इस प्रकार की तब्दिलियां हो रहीं हैं, परिवर्तन हो रहे हैं; वे भी यह सोच रहे हैं; हमको भी कुछ न कुछ इस दास प्रथा से मुक्ति मिलेगी। आज जब कि हम इस प्रकार का कानून पास करने जा रहे हैं, ऐसी स्थिति में एक कलम के जरिये लाखों उस इलाके के रहने वाले लोगों का फायदा पहुंचा सकते हैं तो अवश्य पहुंचाया जाना चाहिये। जिस प्रथा को आज हम मानवता के खिलाफ मानते हैं, उसको स्वीकार करने में मैं समझता हूं, किसी का एतराज नहीं होना चाहिये। अभी अभी मैंने देखा अध्यक्ष महोदय, उस इलाके से आये हुए माननीय सदस्य इस बात की साक्षी दे रहे थे; माननीय राजस्व मंत्री को बातचीत करते हुए कि ऐसी प्रथा उनके इलाके में चालू है। मैं आशा करता हूं कि माननीय राजस्व मंत्री इसे स्वीकार करेंगे ताकि उस इलाके के रहने वाले जो इस प्रथा से पीड़ित हैं उनको राहत मिल सके। आज किस 'सोश्यलिस्टिक पेटर्न आफ सोसाइटी' का आप नारा लगा रहे हैं, उसके उद्देश्य की पूर्ति भी इससे हो सकती है। इसके अलावा कम से कम एक संशोधन तो स्वीकार करने का क्रेडिट भी वे लेलें। मैं आशा करता हूं यह संशोधन ऐसा है कि इसको सर्व सम्मति से पास किया जा सकता है। इन शब्दों के साथ, मैं, मेरा संशोधन सदन की स्वीकृति के लिये प्रस्तुत करता हूं।

Page No 41

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री)—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह संशोधन जो माननीय सदस्य ने प्रस्तुत किया है, उसको मैं स्वीकार नहीं करता। कारण इसका यह है कि इसकी कोई आवश्यकता है ही नहीं जिससे मौजूदा कानून में इस प्रकार का संशोधन लाया जाय। हों सकता है कि इस प्रकार की प्रथाएं जोधपुर या डूंगरपुर में हों····

श्री हरिकृष्ण व्यास—जोधपुर में तो नहीं है, डूंगरपुर में है।

श्री दामोदरलाल व्यास (जारी रखते हुए)—जहां कहीं भी हों, इस प्रकार की प्रथाएं हैं। इस प्रकार जो फोर्स लेबर, जबरदस्ती काम लेने की प्रथा है उसके लिए तो ऑलरेडी कानून बना हुआ है, पीनल कोड में प्रोवीजन है...He is liable to punishment. Punishment has been prescribed. इस कानून के अन्दर इस बात को दर्ज करना कोई आवश्यक नहीं। अगर इस प्रकार का कन्ट्रेक्ट होता है कि क़र्ज के एवज में वह सर्विस देगा अगर सर्विसेज नहीं देता है तो उसको फ़ोर्स नहीं किया जा सकता। कन्ट्रेक्ट का स्पेसिफ़िक एनफ़ोर्समेन्ट नहीं होता कानून के मुताबिक किसी को किसी कार्य के लिये मजबूर नहीं किया जा सकता। मैं यह अर्ज कर देना चाहता कि इन चीज़ों के लिये आलरेडी कानून है, उसके अन्दर सज़ा दी जा सकती है। इसलिये इस संशोधन को इस बिल में स्वीकार करना कोई मायने नहीं रखता। इसके लिये तो जनरल कानून है। फ़ोर्स्ड लेबर किसी से लेना कानूनन मना है, उस पर सज़ा मिल सकती है और राजस्थान में तो सजायें भी हुई-हु। मैं समझता हूं इस बिल में इस प्रकार के संशोधन को कोई आवश्यकता नहीं; इसलिये मैं इसे मन्जूर नहीं करता।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १२ ए. को स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

(विराम)

खण्ड १५ से २२

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज १५, १६, १७, १८, १९, २०, २१ और २२ को स्वीकार किये जायं।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १५ से २२ विधेयक के अंग बने।

(विराम)

क्लॉज़ेज़ २४ से २७

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड २४, २५, २६ और २७ को स्वोकार किये जायं।

(स्वीकृत)

खण्ड २४ से २७ विधेयक के अंग बने।

(विराम)

खण्ड १, शीर्षक व भूमिका

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १ मय शीर्षक व भूमिका के स्वीकार किये जायं।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १ मय शीर्षक व भूमिका विधेयक के अंग बने।

Page No 42

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री)--माननीय अध्यक्ष, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान कृषि ऋणिता निवारण विधेयक, १९५६ को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष--प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि ऋणिता निवारण विधेयक, १९५६ को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित हुआ।

डूंगरपुर कानून लेख (विखण्डन) विधेयक, १९५६

(विचार विमर्श एवं पारित)

श्री अध्यक्ष--श्री दामोदरलाल व्यास।

श्री दामोदरलाल व्यास--अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि डूंगरपुर कानून लेख (विखण्डन) विधेयक, १९५६ को विचारार्थ लिया जावे।

श्री अध्यक्ष--प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि डूंगरपुर कानून लेख (विखण्डन) विधेयक, १९५६ को विचारार्थ लिया जावे।

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया जाता है।

(विराम)

Clause 2 Shri Bhairon Singh..

श्री दामोदरलाल व्यास--इसमें कोई ऐसी बात तो है नहीं। डूंगरपुर में लेख की एक लाग लगती थी, उसको इस कानून के द्वारा बन्द किया गया है। यही मामला है सारा का सारा।

श्री अध्यक्ष--श्री भैरूंसिंह!

(अनुपस्थित)

श्री दामोदरलाल व्यास--इस विधेयक को पारित किया जावे, यह मैं प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि डूंगरपुर कानून लेख (विखण्डन) विधेयक, १९५६ को पारित किया जावे।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित हुआ।

राजस्थान जागीर सम्बन्धी निर्णय तथा कार्यवाही (वैधकरण) संशोधन विधेयक, १९५६

(विचार विमर्श एवं पारित)

श्री दामोदरलाल व्यास--मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान जागीर सम्बन्धी मिर्णय तथा कार्यवाही (वैधकरण) संशोधन विधेयक, १९५६ को विचारार्थ लिया जावे।

(विराम)

श्री अध्यक्ष--प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि राजस्थान जागीर सम्बन्धी निर्णय तथा कार्यवाही (वैधकरण) संशोधन विधेयक, १९५६ को विचारार्थ लिया जावे।

(स्वीकृत)

उक्त विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

श्री दामोदरलाल व्यास--मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान जागीर सम्बन्धी निर्णय तथा कार्यवाही (वैधकरण) संशोधन विधेयक, १९५६ को पारित किया जावे।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि राजस्थान जागीर सम्बन्धी निर्णय तथा कार्यवाही (वैधकरण) संशोधन विधेयक, १९५६ को पारित किया जावे।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

राजस्थान हिन्दू सार्वजनीन प्रन्यास विधेयक, १९५६

(विचारार्थ)

श्री दामोदरलाल व्यास--मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान हिन्दू सार्वजनीन प्रन्यास विधेयक, १९५६ को विचारार्थ लिया जावे।

श्री अध्यक्ष--प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ, श्री चांदमल मेहता। There are two proposals for circulating this Bill for eliciting public opinion, given notice of by Shri Chandmal Mehta and Shri Bhaironsingh. So Shri Chandmal Mehta will receive priority.

श्री चांदमल मेहता--अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस बिल को तीन माह में जनमत के लिये प्रस्तुत व प्रसारित किया जावे।

Page No 44

[श्री चांदमल मेहता]

अध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है। इस बिल के द्वारा राजस्थान के, प्रत्येक गांव में असर होने वाला है। राजस्थान में कोई भी गांव ऐसा नहीं होगा कि जहां कोई मन्दिर न हो। तो जहां कहीं भी कोई मन्दिर है, चाहे वह जैन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे वह हिन्दू धर्मावलम्बी का हो, उस पर यह कानून लागू होगा।

अध्यक्ष महोदय, इस कानून के माफिक यह आवश्यक रक्खा गया है कि जितने भी इस तरह के धार्मिक और पुण्यार्थ से चलने वाले स्थान या संस्थाएं जो भी हैं, उनका रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक होगा। इसमें यह भी व्यवस्था की गई है कि रजिस्ट्रेशन के लिये कुछ निश्चित बातें होंगीं, जिनके बारे में आवेदन-पत्र देना होगा और इसके सम्बन्ध में असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार जांच करेगा।

अध्यक्ष महोदय, इस तरह की अगर कोई धारा आती है तो इसका नतीजा यह होता है कि इससे आम जनता को बड़ी कठिनाई होने वाली है।

(श्री जवानसिंह, सभापति, पदासीन)

देहातों में इस तरह के बहुत कम आदमी मिलेंगे जो पढ़ना लिखना जानते होंगे और राजस्थान में ऐसी मान्यता है कि जिस देहात में भले ही दस बीस आदमी हों, पर जब तक वहां मन्दिर न बन जावे तब तक यही मानेंगे कि वास्तव में वहां बस्ती है ही नहीं। इस तरह की मान्यता हमारे राजस्थान में है। तो इस तरह कि धारा होने की स्थिति में हालत यह होने वाली है कि प्रत्येक गांव में मन्दिर के लिये भी एक आवेदन-पत्र देना ही पड़ेगा। उनको इसके लिये वकील बनाना पड़ेगा और इसके साथ रजिस्ट्रेशन का खर्चा भी देना होगा और वकील सिर्फ इस बात के लिए ही नहीं बनाना पड़ेगा कि उस आवेदन-पत्र में जो कुछ भी बातें पूछी गई हैं, उनका खुलासेवार जबाव ही दे दे, पर उसकी जांच के लिये भी उसे पैरवी करनी पड़ेगी और उसकी जांच में कुछ ऐसी बातें हैं कि जिनमें एक नहीं कई बार उसकी सार सम्हाल करने वाले या ट्रस्टियों को उसके सम्बन्ध में आने जाने की आवश्यकता हो सकती है और इसके सम्बन्ध में शहादतें देने की आवश्यकता हो सकती है। इसमें यहां तक भी व्यवस्था की गई है कि कोई भी इस तरह का प्रन्यास है तो उसके उद्गम, प्रकार और उद्देश्य की भी जांच की जावेगी और अलावा दूसरी बातें भी हैं। उसके उत्तराधिकारी, उसकी व्यवस्था और उस की सम्पत्ति के बारे में भी और अन्य कई प्रकार की जांच की जावेगी। इसका मतलब यह होगा कि बहुत बड़ा एक दफ्तर राजस्थान व्यापी मसले को देखने भालने के लिये इसके सम्बन्ध में खुलेगा। तो इस तरह से एक ओर हर गांव में इस तरह का लोगों पर भार पड़ने वाला है कि रजिस्ट्रेशन फीस दें तो दूसरी ओर यह भार भी पड़ने वाला है कि जिस तरह से सेल्स टैक्स, इन्कम टैक्स और दूसरे टैक्सों के बारे में व्यापारी लोग वकील करते हैं, वैसे ही प्रत्येक देवस्थान के व्यवस्थापक वकील करें और जांच करावें। इस सारी स्थिति का नतीजा यह होने वाला है कि उनके ऊपर एक बहुत बड़ा आर्थिक बोझा पड़ेगा और दूसरी ओर जो है, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार फलेगा, फूलेगा और उनके सामने इस भ्रष्टाचार को लेकर बहुत बड़ी कठिनाइयां आवेंगी।

[श्री चांदमल मेहता]

रजिस्ट्रेशन के साथ साथ कुछ दूसरी बातें भी हैं, जो आवश्यक रक्खी गई हैं । रजिस्ट्रेशन की जांच के बाद में उनके और कामों में भी दखल देने की बात रक्खी गई है। मिसाल के तौर पर अगर कोई देवस्थान है और उसमें अगर दस बीस रुपया साल का खर्चा है, हजार का खर्चा है, चाहे पांच हजार का है; इस विधेयक की धारा के माफिक उन्हें एक निश्चित नीति के माफिक हिसाब रखना पड़ेगा। यह बड़ी मुश्किल की बात होगी कि जिन गांवों में और जिन स्थानों पर पढ़े लिखे आदमी नहीं मिलते, उनमें एक निश्चित नीति और तरीके पर हिसाब रक्खा जावे । यह भी व्यवस्था है कि उनके लिये एक बजट बना कर देना पड़ेगा देवस्थान कमिश्नर को उस बजट को किस रूप में देना होगा, उसका क्या रूप होगा, उसका हेडिंग क्या होगा, क्या व्यवस्था होगी, यह भी सब कालम बाई कालम देना होगा और इसके बाद में जहां वकीलों की आवश्यकता होती है, वहां यह भी जरूरी होगा कि प्रत्येक देवस्थान को ऐसे व्यक्ति भी रखने होंगे जो हिसाब के जानने वाले हों और वह भी कैसा रखना होगा कि जो सरकार की बताई हुई प्रणाली से हिसाब रखने वाला हो, वह रक्खो । इसका नतीजा यह हुआ कि उस देवस्थान पर रजिस्ट्रेशन के भार के साथ और भार आ सकता है, हिसाब को रखने के बारे में और बजट को पास कराने के बारे में और दूसरे कामों के बारे में । इसका नतीजा यह होने वाला है...

(श्री लालसिंह शक्तावत, उपाध्यक्ष, पदासीन)

कि जिनकी आमदनी पहले से ही कम है, उन पर आर्थिक बोझा पड़ेगा और उस स्थिति में उन देवस्थानों का अहित होने की सम्भावना हो सकती है ।

और जो इस तरह की धाराएं हैं रजिस्ट्रेशन की, अकाउन्ट की, बजट पेश करने की, देवस्थान को जो भी समय समय पर आज्ञा निकले, उस पर स्टेटमेन्ट्स देने के बगैर जो भी धाराएं और नियम होंगे, उन धाराओं से कोई वंचित रहना चाहे, कोई इनसे अपने को मुक्त रखना चाहे कि इस तरह की कार्यवाही हम न करें, आर्थिक कठिनाई की वजह से शायद वह न कर सके तो उन पर बहुत बड़ी पेनल्टी है। उन पर एक हजार तक का जुर्माना किया जा सकता है ।

तो यह सारी बातें ऐसी हैं कि जो बातें बहुत बड़े भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली हैं । ये सारी बातें अधिकारियों की जेबों में पैसा भरने वाली हैं । गरीब लोगों की जेबों में से कहें या उन लोगों की जेबों में से जो देवस्थान की निधि के बारे में यह मान्यता रखते हैं कि उसके एक एक पैसे की कीमत है, एक एक पैसे का उपयोग किया जाय, यह पैसा जाने वाला है। उस देवस्थान की निधि का इस तरह से पैसा बरबाद होने वाला है, और भ्रष्टाचार के रूप में प्रयोग में आने वाला है, और जनता को इस तरह से बड़ी कठनाई पड़ने वाली है ।

यह मैंने चर्चा संक्षेप में उन छोटे छोटे प्रन्यासों की की है जो कि इसके अन्तर्गत आते हैं और उनके ऊपर जो कठिनाई पैदा होती है, इस संबंध में ।

अब मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो बड़े प्रन्यास हैं, उनके ऊपर क्या असर पड़ने वाला है । उपाध्यक्ष महोदय, जहां कि इस बिल की जो धाराएं हैं, उनमें से कुछ धाराओं की चर्चा मैंने की । उनके अलावा कुछ और धाराएं ऐसी हैं, जिनमें असिस्टेन्ट कमिश्नर और देवस्थान कमिश्नर

[श्री चांदमल मेहता]

को अधिकार है कि वे उस संपत्ति के बारे में जांच कर सकते हैं, वहां के काम काज को देख सकते हैं, जवाब तलब कर सकते हैं। उसमें उनको यह भी पावर्स हैं कि अगर कोई प्रन्यास है और उसकी संपत्ति बेची जाय तो वह बेची नहीं जा सकती है, जब तक कि असिस्टेंट कमिश्नर देवस्थान उसकी सम्मति न दे दे। यह धारा इसलिये है कि एक तरह से असिस्टेन्ट कमिश्नर देवस्थान के द्वारा ऐसी बातें होंगी कि जिन के जरिये बहुत बड़ा असर हो सकता है। कहने को तो यह कहा जायगा और स्टेटमेंट आफ आबजेक्ट्स (Statement of objects) में भी यह दिया गया है कि यह सारी बात इसलिए कर रहे हैं कि देवस्थानों की व्यवस्था अच्छी नहीं है, वह ठीक हो। तो मैं आज राजस्व मंत्रीजी से यह पूछना चाहता हूं कि जो देवस्थान आज आपके सीधे नियन्त्रण में हैं, क्या उनकी व्यवस्था ठीक है? क्या उनके संबंध में आपने जांच करने की कोशिश की है? क्या आप यह दम भरते हैं कि इस बिल को पास करवाने के पहले एक निष्पक्ष जांच कमीशन इस तरह का नियत करेंगे कि जो देवस्थान सीधे राजस्थान सरकार के नियन्त्रण में हैं, उनकी जांच करे कि उनकी स्थिति क्या है? जो पहले ट्रस्टीज के अन्डर में थे, उस वक्त जो उनकी स्थिति थी और आज जो उनकी स्थिति है, उसमें क्या अन्तर है? मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो देवस्थान राजस्थान सरकार के सीधे नियन्त्रण में हैं, उनकी ऐसी सोचनीय हालत है कि जिन देवस्थानों में लाखों और करोड़ों रूपये जमा थे, जिनको आमदनी काफी ज्यादा थी और प्रति वर्ष उसमें से कुछ न कुछ बचता था, उनकी आज यह स्थिति हो गई है कि दैनिक, मासिक और वार्षिक खर्चा जो पहले था, उसमें काफी कटौती करनी पड़ी है। उनकी आज यह स्थिति हो गई है कि जो जमाशुदा पूंजी थी, वह समाप्त हो गई है और उनका दैनिक खर्चा चलाने के लिए भी उनको कर्जा लेना पड़ता है। जैसी स्थिति आज सीधे राजस्थान सरकार के नियन्त्रण में जो देवस्थान हैं, उनकी है तो जो आज ट्रस्ट की तरफ से चल रहे हैं मंदिर, उनके ऊपर भी सरकार का नियन्त्रण हो गया तो क्या स्थिति होने वाली है? शायद अपने जवाब में राजस्व मंत्री यह कहेंगे कि सिर्फ आलोचना करने की दृष्टि से यह बात कही जाती है। इसलिये मैं चन्द देवस्थानों की मिसालें दूंगा, और, उपाध्यक्ष महोदय, आपके जरिये माननीय राजस्व मंत्री तक और सदन तक यह बात पहुंचाना चाहता हूं, यह बतलाऊंगा, कि राजस्थान सरकार के सीधे नियन्त्रण में जाने के बाद में इन देवस्थानों की कैसी स्थिति होती है। उपाध्यक्ष महोदय, श्री केसरियाजी का एक बहुत बड़ा तीर्थ है। वह जैनों का ही नहीं बल्कि उसे मात्र मेवाड़ के सब लोग मानते हैं। जब से वह राजस्थान सरकार के नियन्त्रण में आया है तब से उसकी बड़ी खराब हालत हो गई है, बल्कि मैं यह कहूं तो अत्युक्ति नहीं होगी कि जिस केसरियाजी के मंदिर में लाखों और करोड़ों की संपत्ति थी और जिसकी आमदनी इतनी बड़ी आमदनी थी कि वह उसके खर्चे से कई गुना ज्यादा थी। आज उसकी आमदनी का ह्रास हो रहा है। उसकी जो लाखों, करोड़ों की संपति थी, उसको एक तरह से समाप्ति हो गई है और आज यह स्थिति पैदा हो रही है कि उसके ऊपर जो कुछ खर्च होता था, उस खर्चे में एक तरह से कमी आने जैसी स्थिति हो रही है। इस केसरियाजी के मंदिर की एक बहुत बड़ी रकम लोगों को कर्जे पर दे दी गई है, मैं यह नहीं कहता कि राजस्थान सरकार ने दी या पहले से दी हुई है, या पहले दिया हुआ कितना है और बाद में दिया हुआ है वह कितना है, लेकिन यह मैं निश्चित तौर से कह सकता हूं कि लाखों की संपति श्री केसरियाजी की कर्जे पर दी हुई है। मैंने एक दफा विधान सभा में एक प्रश्न पूछ कर यह जानना चाहा था कि आखिरकार

[श्री चांदमल मेहता]

जो कर्जा दिया हुआ है उसकी स्थिति क्या है? मुझे जो कुछ आंकड़े मिले हैं, जो सरकार की ओर से आंकड़े मिले हैं, उनके ऊपर मैं यह कहने की स्थिति में हूं कि लाखों की रकम आज लोगों में बाकी है, उस बकाया रकम की वसूली के बारे में सरकार की ओर से कोई सक्रिय कदम उठाया गया हो, ऐसी बात नहीं है। यह बात जरूर है कि चूंकि विधान सभा में प्रश्न उठाया गया है तो कोई न कोई जवाब तो देना ही पड़ता है, इसलिए आम तौर पर उसका जवाब दिया गया है और इस तरह का जवाब दिया गया है कि पी. डी. आर. के तहत उसकी वसूली की कार्यवाही जारी है। उपाध्यक्ष महोदय, आज वह कर्जा काफी बड़ी संख्या में है, वह जब ड्यू होता है तो उसको ड्यू हुए ही काफी वक्त निकल गया है। उसके बाद भी आपका कर्जा वसूल नहीं हुआ है। उसके लिये जो यह कहा जाता है कि पी.डी.आर. के तहत कार्यवाही जारी है, यह सिर्फ कहने की बात है। सच बात तो यह है कि देवस्थान के मातहत जो मंदिर हैं, उनकी ऐसी स्थिति हो गई है कि उनका कोई धनी-धोरी नहीं रहा है। इसका कारण यह है कि जो भी पदाधिकारी वहां आते हैं या इस प्रन्यास में जो नियुक्त किये जाते हैं, वे ऐसे आदमी होते हैं; जिनको कि कुछ धन्धा करना होता है, घर बनाना होता है, उसकी देख-रेख की बात से कोई मतलब नहीं होता है। वह तो यह चाहते हैं कि जो भी माल मता हो सके, उनके अधिकार में रहे। वे तो यह मानकर चलते हैं कि देवस्थान का पसा प्रसादी है, और प्रसाद को खायेंगे तो फलेंगे फूलेंगे। इसी विचार धारा को लेकर इस तरह के आदमी वहां भेजे जाते हैं। इस तरह से देवस्थान की सम्पति का बहुत बड़ा ह्रास हो रहा है।

मैं एक दूसरी मिसाल और देना चाहता हूं। अधिक मिसालों के लिये वक्त नहीं है। हमारे किशनगढ़ में गोस्वामीजी का एक मन्दिर है। वह गोस्वामीजी का मन्दिर किशनगढ़ स्टेट के वक्त में सरकार के क़ब्ज़े में आगया था। जब तक किशनगढ़ स्टेट में सरकार के क़ब्ज़े में था, उसकी बहुत अच्छी व्यवस्था थी। और व्यवस्था की ही जानकारी नहीं, उसका मेरे से निजी सम्बन्ध रहा है इसलिये मन्दिर की मुझे कुछ अधिक जानकारी है। उस मन्दिर की यह हालत थी की जब राजस्थान बना, उसके पहले तक उसके पास कोष में ३० हज़ार रुपया जमा थे। उस टाइम में उसकी यह स्थिति थी कि जितनी आमदनी होती थी, उससे खर्च कम होता था, और प्रति वर्ष कुछ न कुछ बचत होती थी। राजस्थान सरकार के नियन्त्रण में जब आया, राजस्थान बनने के बाद, तो उसकी कुछ विचित्र स्थिति हो गई। उस मन्दिर की प्रमुख गद्दी बताई जाती है। वह गोस्वामीजी की प्रमुख गद्दी थी। उस गद्दी की आमदनी का इतना ह्रास हुआ है कि जो बचत उस वक्त थी जब कि वह किशनगढ़ स्टेट के क़ब्ज़े में था, आज उस गोस्वामीजी के मन्दिर की उस बचत से चौथाई बचत नहीं रह गई है, और चौथाई बचत की क्या बात यह हालत हो गई है कि ५, ६ महीनों तक मन्दिर के पुजारियों को तनख्वाह नहीं मिली। उस मन्दिर की यह हालत हुई कि जो कुछ वहां उत्सवों के मौक़े पर, जन्माष्टमी या अन्नकूट के मौक़ों पर, उस ज़माने में खर्च किया जाता था उसका आज १।४ हो रह गया है। और यह सारा करने के बाद भी, यह सारी कमियां करने के बाद भी, आज स्थिति यह है कि उस मंदिर पर कर्जा है। आज मंदिर की स्थिति यह है कि थोड़ी सी भी चीज बाज़ार में जाते हैं तो उधार नहीं मिलती है। यदि मिलेगी भी तो उसका बाज़ार से रे ज़ग्द होगा, उससे सवाये रेट पर मिलेगी जब कि पहले उसका इतना क्रेडिट था कि जिस टाइम भी चाहो १० हजार तक का सामान मिल जाता था क्रेडिट पर। इस मंदिर के बारे में मंत्री महोदय शायद यह कहेंगे कि उनको जानकारी नहीं है, इस मंदिर की स्थिति के बारे में तो इसी विधान सभा में कई बार

[श्री चांदमल मेहता]

सवाल पूछे गये हैं। बड़ी बड़ी ऐसी बातें हुई हैं कि उस मन्दिर के गांव के गांव लोग हड़प कर गये हैं और इतना होने पर भी उनके (सरकार के) कानों पर जूं तक नहीं रेंगी है। वह जूं क्यों नहीं रेंगी है, क्योंकि उन्होंने कुछ आदमियों से मिलकर जो मन्दिर के गांव थे, खास तौर से मैं उस गांव का नाम ले दूं केजरार उनका गांव था, हड़प लियागया था और पांच साल से राजस्थान सरकार के हाथ में यह आया है उसके बाद ही वह गांव मन्दिर के क़ब्जे से निकल गया है और दूसरे लोगों ने उस पर क़ब्ज़ा कर लिया है।

जहां राजस्थान सरकार के नियन्त्रण में जो मन्दिर हैं, उन मन्दिरों की यह हालत है कि गांव के गांव दूसरे लोग आग हड़प कर जांय और राजस्थान सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाय, उसके बारे में कई बार ध्यान आकर्षित किया गया, सवाल पूछ कर, कट मोशन रखकर, उसके बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई तो यह मानना पड़ेगा कि राजस्थान सरकार द्वारा आज तक किस तरह का नियन्त्रण किया जाता है। उन देवस्थानों को जो स्थिति है, वही इन देवस्थानों की होने वाली है। जो देवस्थान राजस्थान सरकार के सीधे नियन्त्रण में हैं उनको जो हालत हुई है, वही हालत क्या उससे भी बदतर हालत उनकी होने वाली है जिनके बारे में यह राजस्थान हिन्दू प्रन्यास विधेयक लागू होने जा रहा है।

माननीय उपाध्यक्ष, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें इस तरह की धाराएं हैं, उन धाराओं के मुताबिक असिस्टेन्ट कमिश्नर का जितना दखल होगा उसका यह नतीजा होने वाला है कि जो ईमानदार ट्रस्टीज आनरेरी काम करते होंगे, जिनका कि कुछ लेन देन नहीं है, वे ट्रस्टीज असिस्टेन्ट कमिश्नर और इस राजस्थान सरकार के परिणामस्वरूप त्यागपत्र दे देंगे और उनके स्थान पर ऐसे आदमी नोमीनेट होने वाले हैं जो कि असिस्टेन्ट कमिश्नर और दूसरे अधिकारियों से सांठ-गांठ रखते हैं और उनको (मन्दिरों की) सम्पत्ति में वे भी हिस्सा लें और दूसरों को भी खिलायें और इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि किस तरह के इस विभाग के अधिकारीगण हैं। मैं इसके लिये आपको एक मिसाल देना चाहता हूं कि किस प्रकार से ये अधिकारीगण अनधिकारपूर्ण चेष्टा करते हैं। देवस्थान विभाग के अधिकारी हैं जो खास तौर पर देवस्थान के पैसे के बारे में जांच करने के लिये जाते हैं वे क्या करते हैं ? उसकी एक मिसाल देना चाहता हूं। एक अधिकारी सिरोही पहुंचते हैं, वहां के जो लोग हैं मन्दिर के, उनसे कहा जाता है कि अमुक समय पर, अमुक जगह पर, कार का इन्तज़ाम किया जाय। उनको बड़ी हैरानी होती है कि कार का इन्तज़ाम कैसे करें। जब रजिस्ट्रेशन हो जायगा तो यही हाल आगे भी होने वाला है कि अगर ट्रस्टी रहना है तो कार का इन्तज़ाम करना पड़ेगा और अगर नहीं रहना है तो फिर मैनेजमेन्ट ऐसे आदमी के हाथ में देना पड़ेगा जो खुद भी खायेगा और दूसरों को भी खिलायेगा। खाओ, खिलाओ और मौज करो। यही हालत होने वाली है। मैं आपको एक मिसाल दे रहा था। वहां के लोगों ने किसी तरह से मिल कर महाराजा से मांग कर उनके लिये कार का इन्तज़ाम किया। जब अधिकारीगण वहां होते हैं तो उनको सैर करने की भी जरूरत पड़ती है और उसके लिये भी कार की आवश्यकता पड़ती है। आबू की सैर और दूसरी जगह की सैर उनको करायी जाय। मैं समझता हूं कि माननीय मन्त्री महोदय के पास इस सम्बन्ध की बातें पहुंच चुकी होंगी। जो फ़ायदा हम सोचने जा रहे हैं वह फ़ायदा होने वाला नहीं है बल्कि उसका उल्टा असर होने जा रहा है। माननीय राजस्व मन्त्रीजी शायद यह कहेंगे कि इस प्रकार का कानून दूसरी जगह है और उसी प्रकार का क़ानून हम यहां ला रहे हैं।

[श्री चांदमल मेहता]

यह बेजा बात नहीं है। मैं यह मानता हूं कि दूसरी जगह कानून हैं और मैं यह भी मानता हूं कि हमारी सरकार दूसरी जगह की नक़ल करने में पोछे नहीं रहती है और जो वास्तविकता होती है उसमें वह जाना नहीं चाहती है। जिस आधार पर यह कानून बनाया गया, बम्बई का जो कानून है उसके आधार पर यह कानून बनाया गया है, आप यह देखिये कि बम्बई की स्थिति क्या है, वहां का शासन कैसा है। और अपने यहां का जो ढांचा है उसमें जिस तरह का ढांचा बम्बई का है, वहां कितनी प्रगति हुई है और यहां क्या प्रगति हुई है, वहां के कानून यहां पर फ़िटइन हों उससे यहां पर कितनी भूल हो सकती है, इसको सोचना चाहिये। हमारे राजस्थान में यहां जनतन्त्रीय प्रणाली को आये थोड़ा समय हुआ जब कि बम्बई में सन् ३१ से जनतन्त्रीय प्रणाली चल रही है। वहां पर जमी हुई शासन व्यवस्था है। जिस तरह से यहां राजस्थान में अधिकारियों की प्रवृत्ति, जिस तरह के भ्रष्टाचार का बोलबाला और पार्टीबाजी के आधार पर क्या क्या काम किये गये हैं और किये जाते हैं, उनके लिये मैं अपनी ओर से कुछ कहना नहीं चाहता, माननीय मन्त्री लोग स्वयम् जानते हैं और उसको अन्यायप्रियता ही कहा जाय तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।

मैं यह कहना चाहूंगा उपाध्यक्ष महोदय, कि जो नकल इस कानून में बम्बई के कानून से की गई है इस कानून में कुछ धारायें तो ऐसी हैं कि जो बम्बई के कानून में भी नहीं हैं और वहां इस कानून में कानून की दृष्टि से उन धाराओं को रखकर एक प्रकार का बन्धन डाल दिया है। कुछ धारायें इस में बढ़ाई गई हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं कि बार बार जांच करा ली जाती है ट्रस्ट के बारे में, सम्पत्ति के बारे में, सम्पत्ति के उद्गम के बारे में, रजिस्ट्रेशन के बारे में, उन सब को रिओपन करने का अधिकार क्या बम्बई के कानून में है ? लेकिन हमारे यहाँ हमारे अधिकारियों के हाथ खोल दिये गये हैं, मौका आने पर वे बड़े बड़े अधिकारियों पर हाथ डाल सकें और गोलमाल कर सकें। इस कानून में यह व्यवस्था की है कि इसको रिओपन भी किया जा सकता है। इस तरह की और भी धाराएं हैं। उन धाराओं के जरिये हमारे अधिकारियों को छूट और अधिक हो जाती है और हमारे यहां के अधिकारियों को खुल कर कार्यवाही करने का मौक़ा मिल जाता है। कुछ धाराएं ऐसी हैं कि इन प्रन्यासों पर जो आर्थिक भार पड़ता है उससे भी वे धारायें ज्यादा आर्थिक भार डालने वाली हैं। कुछ प्रन्यास हैं जिनका खर्चा ब्याज से चलता है। जो इन प्रन्यासों के ट्रस्ट्स हैं वे यह सोचते हैं कि अधिक से अधिक ब्याज का फ़ायदा उठा कर काम चलायें। सरकार ने इस कानून में रखा है, उसके द्वारा इस प्रकार की जो प्रन्यासों को आमद है उस पर भी रोक लगा दी जाय। इसमें यह रखा है कि डे टु डे जो रकम होगी वह बैंक में जमा करानी पड़ेगी और अगर बैंक में जमा नहीं होगी तो दूसरी व्यवस्था बतलाई गई है कि किसी कोओपरेटिव सोसाइटी या गवर्नमेन्ट की सिक्योरिटीज में उसको जमा करायें और दूसरे ढंग से जमा करायें। इससे ऐसे प्रन्यास हैं जिनका खर्चा केवल ब्याज ही से चलता है तो उनकी क्या हालत होने वाली है? मिसाल के तौर पर यह मानलें कि एक प्रन्यास ऐसा है कि जिसका ३०-४० रुपया महीने का खर्चा है और वह भी पूरा होता है ब्याज ही के जरिये से, किन्तु इस कानून में इस तरह की व्यवस्था रखी है कि डे टु डे की आमद बैंक में रखें। बैंक करेन्ट अकाउन्ट में दो परसेन्ट ब्याज देता है। तो एक प्रन्यास जिसका जरिया केवल तीस रुपया महीने की आमद से है तो १०) हिसाब

[श्री चांदमल मेहता]

से तो उसकी ब्याज की आमद कम हो गई और इस प्रकार से १।३ आमदनी उसकी यों चली गई और फिर रजिस्ट्रेशन आदि का खर्चा है और आगे चल कर वकीलों का भी खर्चा उसमें आवेगा। तो इसका दूसरे माने में यह मतलब निकाल सकते हैं कि ये सब प्रन्यास हैं, वे खत्म ही हो जाने चाहियें और अगर ऐसी ही बात है तो यह कानून रखी लाना चाहिये कि जितनी मूर्तियां हैं वे सब म्यूजियम में रख दी जावें; ताकि आगे कोई झंझट न हो। पीछे से कान पकड़े जैसी बात न आवे तो अच्छी बात है।

मैं आगे चल कर जो निवेदन करना चाहता हूं, वह यह है कि जो व्यवस्था इसमें रखी गई है, उस व्यवस्था के माफिक सब ही प्रन्यास इसमें शामिल कर लिये गये हैं जो प्रन्यास बौद्धों के हैं, जो प्रन्यास जैनों के हैं, जो प्रन्यास सिक्खों के हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप की मार्फत यह बताना चाहूंगा कि जैनियों के जो प्रन्यास हैं उनमें और वैष्णव और शैवों के प्रन्यासों में काफी अन्तर है। जहां वैष्णवों के प्रन्यास हैं, वहां सेवा पूजा होती है और सेवा पूजा के साथ साथ भोग भी लगता है, लाखों की सम्पत्ति लेते हैं, लाखों का काम काज होता है। जैनियों के प्रन्यास भिन्न हैं। जैनियों का खास उसूल है और वह उसूल है अपरिग्रह का। इसका मतलब निकलता है कि किसी प्रकार का संग्रह न करने की जो प्रवृति रहती है, वह जैनियों की रहती है। जब किसी प्रकार का संग्रह करने की प्रवृत्ति जैनियों की नहीं होती है, वहां गडबड़ी करने की या होने की बात ही नहीं उठती है। फिर उन पर इस प्रकार का नियंत्रण रखना उन प्रन्यासों के साथ अन्याय होगा। ऐसे जैनियों के जो प्रन्यास हमारे देश में हैं, दूसरे दूसरे प्रान्तों में हैं, वहां दूसरे २ कानून बने हैं और जैनियों की स्थिति को देख कर उनमें खास तौर की व्यवस्था की है। हो सकता है कि बम्बई जैसे प्रान्त के कानून में न हो, लेकिन दूसरे अन्य प्रान्त हैं, जहां खास तौर पर व्यवस्था की गई है। बिहार में भी इस प्रकार का कानून है। यहां हम असिस्टेन्ट कमिश्नर को जो पावर्स देने जा रहे हैं, वहां पर इस प्रकार की व्यवस्था नहीं की गई है। वहां पर तीन बोर्ड बनेंगे। श्वेताम्बर, दिगम्बर और हिन्दुओं के बोर्ड होंगे और जो प्रणाली अपनाई गई है कि वे किस तरह से बनेंगे वह भी आज के युग के उपयुक्त और जनतन्त्रीय है। श्वेताम्बर की इलेक्टेड बोडी होगी और वे किस रूप में होंगे, इसकी भी उसमें व्यवस्था की गई है। कुछ आदमी श्वेताम्बरों की संस्था में से होंगे और कुछ उनमें से आवेंगे जो श्वेताम्बरों के प्रन्यास हैं। इसी प्रकार दिगम्बरों के लिए भी रखा है। यह सर्वोच्च बोर्ड होंगे और इन बोर्डों की निगरानी में अधिकारियों की नियुक्ति होगी और वे काम करेंगे। इसका मतलब यह है कि जो हम यहां अधिकार असिस्टेन्ट कमिश्नर को दे रहे हैं, वहां पर इस प्रकार के अधिकार नहीं दिये गये हैं। शायद राजस्व मंत्रीजी कहेंगे एक एडवाइजरी (सलाहकार) बोर्ड यहां भी बनाया गया है और वह इतना ही महत्वपूर्ण होगा जितना कि सर्वोच्च बोर्ड। उसकी काफी अहमियत आपकी निगाह में हो सकती है। बिहार की व्यवस्था यह है कि जिस तरह की व्यवस्था चाहे उसी तरह की व्यवस्था करें। जांच करने, कंट्रोल रखने के लिये अलग अलग बोर्ड बनाये गये हैं और इस दृष्टि से गडबड होने, भ्रष्टाचार होने और अन्याय होने की बात नहीं हो सकती जैसी कि राजस्थान में हो सकती है।

मैं यह बताना चाहता हूं कि मद्रास में भी ऐसा कानून है। उसको इससे भी अधिक उदार रखा है। उसमें जैनियों के लिये यहां तक व्यवस्था है कि सार्वजनिक प्रन्यास एक्ट को सरकार चाहे

[श्री चांदमल मेहता]

जिस मंदिर पर लागू करे और यदि सरकार चाहे कि उक्त एक्ट की फलां फलां धाराएं ही लागू होनी चाहियें तो वे ही धाराएं उन मंदिरों पर लागू होती हैं । मद्रास में ही नहीं बल्कि उडीसा में भी जैनियों के लिये खास तौर से व्यवस्था रखी है । तो मैं निवेदन करूंगा कि जहां जैनियों की सेवा पूजा की प्रणाली बिल्कुल भिन्न है वहां दूसरे लोगों के साथ उन पर भी यह बिल लागू करना उनके साथ घोर अन्याय होगा । यही नहीं बल्कि एक तरह से यह कहूं तो अत्युक्ति नहीं होगी कि ऐसा करना धार्मिक कामों में हस्तक्षेप करना होगा ।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जैनियों में दो वर्ग हैं; श्वेताम्बर और दिगम्बर । श्वेताम्बरों में इस तरह की व्यवस्था है कि वहां स्थानक होते हैं । जहां ५-७ जैनियों के ही घर होते हैं वहां भी स्थानक बनाते हैं । इसकी व्यवस्था इस तरह से होती है कि यदि कोई जैन साधु बाहर से आते हैं तो वे उसमें ठहरते हैं । उसके झाड़ू बुहारी की व्यवस्था के लिये या तो कोई दान देते हैं या फिर उसके निमित्त मकान के किराये आदि से काम चल जाता है या यह व्यवस्था हो जाती है कि उसके निमित्त कुछ रकम ब्याज पर जमा हो जाती है और उससे काम चल जाता है । इसके अलावा कुछ मंदिर होते हैं, उसका भी साधारणतया खर्चा चलाने की बात होती है । इन सारों को इस के अंतर्गत लाते हैं तो यह एक प्रकार की धारणा बनती है कि यह अनुचित प्रभाव सरकार और देवस्थान के अधिकारियों का हो और उनकी स्वतंत्रता छीन ली जाय, इससे अधिक और कोई अन्याय की बात नहीं हो सकती ।

जहां दूसरे प्रान्तों में यह कानून लागू है उनमें से बम्बई को छोड़ कर और कहीं भी इस तरह का प्रोविजन नहीं है । बिहार, मद्रास, उडीसा आदि स्थानों में जैनियों को खास सुविधाएं दी गई हैं । बम्बई के आधार पर राजस्थान का कानून भी ड्राफ्ट किया गया है लेकिन इसमें जिस तरह की बातें रखी गई हैं उस तरह की बातें दूसरे कानूनों में नहीं रखी गई हैं । मध्य भारत में जो कानून बना है वह कुल ही एक डेढ पेज का है । उसमें ये रजिस्ट्रेशन जैसी कोई बात नहीं है । जब दूसरी जगह ऐसी स्थिति है तो हमारे राजस्थान में इस तरह की क्या आवश्यकता है ? इस बारे में जब मंत्रीजी कुछ कहेंगे उसके बाद मेरा जवाब देना उचित होगा । लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि ओरिजिनल बिल में धर्मादा खाता के बारे में कोई धारा नहीं थी लेकिन प्रवर समिति ने बढ़ाई है । प्रवर समिति ने शायद यह सोचा हो कि इस धारा के जरिए हम बहुत बड़ा हित करने जा रहे हैं लेकिन मैं यह कहूंगा कि आप बहुत बड़ा अहित करने जा रहे हैं इसमें यह व्यवस्था की गई है कि व्यापारी लोगों से जो धर्मादा की रकम वसूल की जाती है उस पर भी सरकार का नियंत्रण हो । उसके लिये व्यापारियों की एक कमेटी बनाई जाय और उसके पास सारा रुपया व्यापारी जमा करावें और उसमें से कुछ रुपया वही कमेटी खर्च करे ।

उपाध्यक्ष महोदय, पहले मैं यह बताऊं कि धर्मादा की रकम की स्थिति क्या है ? स्थिति यह है कि जो व्यापारी लोग अपने व्यापार में लाखों करोड़ों रुपये कमाते हैं उनकी मनोवृति यह रहती है कि जहां लाखों करोड़ों रुपया कमाते हैं वहां कुछ धर्मादा भी निकाला जाय । इस तरह से छोटा बड़ा हरेक व्यापारी अपने मुनाफे में से कुछ न कुछ धर्मादा खाते में निकालता है । तो जो व्यापारी अपनी ओर से जो धर्मादा निकालते हैं उसके लिये यह मानकर चलते हैं कि इस रकम को इस तरह से रखें कि

[श्री चांदमल मेहता]

यह दिमाग में नहीं आवे कि हम खुद इसका इस्तेमाल करें । इस तरह जो खरीद बिक्री पर लाग लगाते हैं धर्मादे के रूप में, मिसाल के तौर पर मदनगंज में कोई आदमी माल बेचने आता है तो व्यापारी आढ़त दलाली लगाते हैं और साथ में धर्मादा लगाते हैं । आढत व्यापारी के चली जाती है, दलाली दलाल के चली जाती है और धर्मादा धर्मादा के काम में लगाने के लिये धर्मादा खाता में जमा हो जाता है । और इस धर्मादा खाते की रकम को व्यापारी अपनी स्वेच्छा से खर्च करते हैं और आज इस धर्मादा खाता की रकम से बहुत बड़े बड़े काम राजस्थान में हो रहे हैं । कई जगह धर्मादा की रकम से स्कूल ही नहीं बल्कि कालेज चलते हैं, कई धर्मशालाएं चलती हैं । हमारे जयपुर शहर में भी कई धर्मशालाएं इस पैसे से चलती हैं । इसके अलावा गर्मी के दिनों में कई जगह प्याऊ लगाये जाते हैं । कई जगह जानवरों के लिये भी पानी का इन्तजाम किया जाता है । ऐसे स्थानों पर जहां किसी तरह की आर्थिक कठिनाई पड़ती है वहां भी इस तरह का धर्मादा का पैसा काम में लिया जाता है। मिसाल के तौर पर जब शरणार्थी भाई अपने घरबार छोड़ कर यहां पर आये थे उस समय उनके रहने और खाने पीने की व्यवस्था धर्मादा के पैसों से की गई थी और तब तक की गई थी जब तक कि ये लोग एक स्थान पर जम कर अपने काम धन्धे में लग जायं । इस तरह से धर्मादा की रकम का बहुत बड़ा उपयोग होता है। मंत्रीजी यह कहेंगे कि इस धन का दुरुपयोग भी हो सकता है और उसको रोकने के लिये यह कानून बनाया जा रहा है । मैं मानता हूं कि कहीं इसका दुरुपयोग भी हो सकता है लेकिन आप जो धारा रखने जा रहे हैं इससे और भी अधिक दुरुपयोग हो सकता है । और जितने प्रान्तों ने इस तरह की धारा रखी वहां क्या नतीजा हुआ उसको आप देख लीजिये । मैं यह कहूंगा कि शुरू में बम्बई और मद्रास के कानून में इस तरह की धारा लाई गई कि व्यापारियों के धर्मादा की रकम पर गवर्नमेन्ट का नियंत्रण हो। जब व्यापारियों ने देखा कि सरकार इस पर नियंत्रण करना चाहती है और हम जो धर्मादा निकालते हैं और उस रकम से धर्मादा का काम करना चाहते हैं उस में सरकार अडंगे लगाना चाहती है तो उन्होंने दूसरा उपाय किया। सरकार चाहे किसी की हो, मिसाल मशहूर है कि रिश्वतखोर को चाहे किसी भी जगह भेज दो, अंधेरे में भेज दो या समुद्र की लहरें गिनने भेज दो वहां भी वह आमदनी का जरिया निकाल लेगा । एक रिश्वतखोर को लहरें गिनने का काम दिया तो वहां भी उसने तरकीब निकाल ही ली । समुद्र में जो जहाज आये उन्हें दूर ही पर रोक लिया और कहा कि अभी रुके रहो वरना लहरें गिनने में हर्जा पड़ेगा और आखिर में वहां भी रिश्वत का जरिया बना लिया । यह इसी तरह की बात है । आप नियंत्रण रखना चाहते हैं, अच्छा भी नियंत्रण हो सकता है लेकिन गड़बड़ होने की ज्यादा गुंजायश है । आखिर वहां पर व्यापारियों ने सोचा कि सरकार नियंत्रण रखना चाहती है और हमारी इसमें परेशानी है तो हम ऐसा करें ही क्यों । हमें धर्मादा देना है तो हम और रूप में दे देंगे ।

श्री कंवरलाल जेलिया--आप जो बात कह रहे हैं उसकी रोक के लिये इस कानून में ऐसी व्यवस्था की गई है ।

श्री चांदमल मेहता--मैं यह निवेदन कर रहा था कि जब बम्बई और मद्रास में इस तरह की बात आई तो व्यापारियों के दिमाग में यह बात आई कि धर्मादा करना है लेकिन

[श्री चांदमल मेहता]

सरकार की अड़ंगेबाजी नहीं सहनी है इसलिये हम धर्मादा और रूप में देंगे। पहले उन्होंने आडत की रकम जहां १२ आना सैकड़ा रखी थी वहां उसको बढाकर सवा रुपया सैकड़ा करदी और धर्मादा की रकम उड़ा दी। आज स्थिति यह है कि धर्मादे का कोई मिसयूज नहीं है। धर्मादे के आंकड़े में कोई रकम जमा नहीं है। कोई आदमी शिकायत नहीं कर सकता कि फलां आदमी ने मिसयूज किया है इसलिये उसके खिलाफ केस चलाया जाय। आज उनकी मर्जी पर है कि आदत की रकम में से चाहे तो दें चाहे तो न दें। जो देने वाले थे वे तो अब भी किसी न किसी रूप में देते हैं लेकिन जिनकी नियत में फर्क आया और जिनके लिये कानून बना उनके लिये रास्ता खुल गया। हमारे यहां व्यवस्था रखी है उसके अनुसार राजस्व मंत्रीजी कह सकते हैं कि हमने इसमें तब्दीली की है। व्यापारियों की कमेटी के हाथ में इसका काम रख दिया है। लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि इसमें कोई कठिनाई भी पैदा हो सकती है और इस तरह की कमेटियां भंग भी हो सकती हैं मौका आने पर, यहां भी मौका आने पर मिस यूज हो सकता है। मिसाल के तौर पर जयपुर में व्यापारियों की कोई कमेटी बनना मुमकिन नहीं है क्योंकि जवाहरात का काम करनेवालों की कपड़े वालों से नहीं बनती है और कपड़े वालों की मनिहारीवालों से नहीं बनती है और इस तरह से एक राय से कमेटी हो नहीं सकती। यह वहीं हो सकती है जहां संगठन हो। मंत्रीजी शायद यह कहेंगे कि संगठन बहुत जगह है। लेकिन मैं कहूँगा कि कुछ खास काम करनेवालों में संगठन हो सकता है लेकिन आम तौर पर जो धर्मादा की रकम यूज करते हैं उनके लिये संगठन नहीं हो सकता। और अगर सब का संगठन है तो हमें उनके लिये कानून बनाना पड़ेगा और लाजिमी करना पड़ेगा कि वे ऐसा संगठन बनायें। इसके बाद भी व्यापारी सोच सकते हैं कि धर्मादे की रकम उसकी इच्छा से खर्च होती है कि नहीं या उसकी मर्जी से न हो कर कमेटी की मर्जी से होती है। मिसाल के तौर पर हम सोचते हैं हम कारोबार चलाते हैं, वे यह चाहेंगे कि हमसे जो रकम वसूल होती है वह रकम हमारे द्वारा संचालित संघों द्वारा ही खर्च होनी चाहिये। इसमें मान लीजिये एक कमेटी बनाते हैं और उस कमेटी के हाथों में पैसा चला जाता है और उस कमेटी में जिन लोगों की तरफ से पैसा वसूल होता है उन लोगों की उन धर्मों को मानने वालों की संख्या कम है वे उस कमेटी में मायनोरिटी में हैं, तो इस बात के लिये बाध्य होंगे कि उस कमेटी में जिन लोगों का बहुमत है उनके निर्णय को माने और इस प्रकार आज तक उन लोगों के पैसे के जरिये अहिंसा के प्रचार के लिये कार्य चलता था, स्कूलें चलती थीं, जीव दया के लिये संस्थाएं चलती थीं वे सब बन्द हो जाती हैं और इससे उन लोगों के दिमाग में यह विचारधारा उत्पन्न होगी कि क्यों न हम लोग भी वही तरीका अख्त्यार करें जो कि बम्बई और मद्रास में अख्त्यार किया गया है। हम इस तरह की बातें सोचते हैं कि धर्मादे के पैसे का किसी तरह मिसयूज न हो तो हमें यह खर्च करने का अधिकार उन्हीं संघों के पास रखना होगा।

तो माननीय उपाध्यक्ष, मैं बहुत ही नम्रता के साथ निवेदन करूंगा कि यह बिल ऐसा नहीं कि जल्दी में पास किया जाय और न यह बिल ऐसा है कि इसे किसी की अपनी प्रतिष्ठा का विषय बनाया जाय इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि इसे जनमत जानने के लिये प्रसारित किया जाय। दूसरे तरीके के कानून आये हैं और उनको हमने इस तरह जनमत जानने के लिये प्रसारित किया है, उनके बारे में जनमत जानने का मौका दिया है, गौशाला बिल आया उस पर जनमत जानने के लिये उसे प्रसारित किया गया है तो इस धार्मिक मामले के बिल के बारे में भी जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है, जनमत जानने के लिये

Page No 54

[चांदमल मेहता]

इसे प्रसारित करना अत्यन्त आवश्यक है। तो ऐसी सूरत में इसके लिये कोई रुकावट नहीं है कि इसको जनमत के लिये प्रसारित न किया जाय। अतः इसे अवश्य जनमत के लिये प्रसारित किया जाय और जनमत आने पर हम इस पर गंभीरता से विचार करें। मैं मानता हूं कि राजस्व मंत्रीजी इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनायेंगे और इसे जनमत के लिये प्रसारित करने के लिये उदारता दिखायेंगे। वह हमेशा उदार रहे हैं, यह धार्मिक संस्थाओं का मामला है इसमें तो वे ज्यादा उदारता दिखायेंगे। ऐसी आशा करते हुए मैं यह प्रस्ताव पेश करता हूं।

श्री भैरूं सिंह (दातां रामगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान हिन्दू सार्वजनीन प्रन्यास विधेयक, १९५६ पर जनमत जानने के हेतु जनमत के लिये प्रसारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—एक प्रस्ताव पहले ही इस प्रकार का आ चुका है और वही प्रस्ताव आपका है तो आप इसे मूव न करें, उसके समर्थन में बोल सकते हैं।

श्री भैरूं सिंह—माननीय उपाध्यक्ष, जिन माननीय सदस्य ने पहले यह प्रस्ताव मूव किया है वे सत्तारूढ़ दल के सदस्य हैं, मान लीजिये कि उन पर पार्टी का विह्प इश्यू हो जाय और वे उसके डर के मारे अपना प्रस्ताव वापिस ले लें तो मेरे प्रस्ताव की क्या हालत होगी, इसलिये मुझे इण्डिपेण्डेण्टली इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—हां आप मूव करिये।

श्री भैरूं सिंह—माननीय उपाध्यक्ष, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान हिन्दू सार्वजनीन प्रन्यास बिल, १९५६ को जनमत जानने के हेतु जनमत के लिये प्रसारित किया जाय।

सबसे पहले मैं राजस्थान के माननीय राजस्व मंत्रीजी को इस बात के लिये धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने राजस्थान में सबसे पहला कदम जो प्रगति के नाम पर उठाया है वह एक अपने किस्म का अजीब ही है।

उम्मीद तो यह थी कि वह शायद जिस कुल में विश्वास करते हैं जिस कुल की परम्परा में विश्वास करते हैं, जिस कुल की परम्परा से बने हैं, पनपे हैं, उस कुल की श्रेष्ठ परम्परा को लेकर इस प्रकार की हिम्मत भी कभी नहीं करेंगे कि इस प्रकार का कानून वे राजस्थान विधान सभा में प्रस्तुत करेंगे। पर बदकिस्मती है कि वह कानून पेश हुआ। जिस समय यह कानून पेश हुआ उस समय शायद विधान सभा के सभी सदस्यों की राय थी, उनको यह आशा थी कि प्रवर समिति में यह विधेयक दिया, तो आमूल चूल परिवर्तन कर दिया जायगा और इस सदन के समक्ष इस प्रकार का प्रतिवेदन प्रस्तुत होगा कि राजस्थान में आज इस परम्परा का कानून बिलकुल आवश्यक नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष, हमें सबसे पहले सोचना पड़ेगा कि आज की इस धर्म निरपेक्ष सरकार को धर्म के मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार है कि नहीं।

श्री उपाध्यक्ष—अब यह चर्चा का विषय नहीं, वह स्टेज अब नहीं सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट इस पर आ चुकी है।

श्री भैरूं सिंह—पब्लिक ओपिनियन किन किन बातों पर लेनी है यह दिखाना पड़ेगा। इसमें यह भी एक है कि धर्म निरपेक्ष सरकार को धर्म के मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार है कि नहीं और अगर सरकार धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करती है तो जनता उसे बर्दाश्त करेगी कि नहीं।

जहां तक हिन्दू प्रन्यास का प्रश्न है इस हिन्दू शब्द की परिभाषा में, सिख, जैन और बौद्ध भी शामिल किये गये हैं। मुसलमानों का वक्फ एक्ट बना हुआ है इसलिये उनको अलग रखा है पर पारसीज को क्यों अलग रखा है यह समझ में नहीं आता, कोई कानूनी बाधा इसमें पहुंचती हो ऐसी बात नहीं पर सरकार के सामने जहां तक मैं समझता हूं एक ही दृष्टिकोण था कि जिस हिन्दू शब्द की परिभाषा में चार वर्गों को लिया है उसमें से हिन्दुओं के मन्दिरों में खूब धन है, जैनियों के मन्दिरों में बहुत संपत्ति है, सिक्खों के गुरुद्वारे, यदि राजस्थान में हैं तो उनमें भी कुछ संपत्ति मिलेगी पर बौद्धों के मठ और मठाधीश राजस्थान में नहीं हैं, उनको क्यों रखा गया है, शायद मंत्री महोदय बौद्ध मत के मानने वाले हों और परामर्शदात्री समिति आगे बना रहे हैं उसमें बौद्ध धर्म के प्रतिनिधि को परामर्शदात्री समिति में भेजेंगे, शायद इसमें हस्तक्षेप करने की दृष्टि से बौद्धमत राजस्थान में नहीं है तो भी इसके शामिल रखने का इस इरादे से विचार कर लिया हो। यह विचार कर लिया वह तो ठीक पर क्रिश्चियन्स और पारसीज को इसमें शामिल क्यों नहीं किया गया है इसका क्या कारण है ? इसके कारणों पर मैं फिर बोलूंगा।

सबसे पहले मैं इस पर अपने विचार प्रकट करूंगा कि हिन्दू प्रन्यास क्या चीज है, दुनियां क्यों धन देती है, इन प्रन्यासों के लिये और अपने धन के किस प्रकार के कार्यों की, किस प्रकार की कार्यवाही की, आशा करती है किस २ प्रकार के परोपकारी कार्यों की, उम्मीद इस धन से करती है। किसी भी मंदिर या गुरुद्वारे में जायें तो हमारे सामने एक कल्पना होती है कि धर्म क्या चीज है इस बात की बुद्धि लें और धार्मिक बुद्धि लें। तो इस प्रकार की प्रेरणा जिन स्थानों से मिलती है उनका संचालन अच्छी तरह से हो, लोगों की प्रवृति वैसी की वैसी बनी रहे। इसके लिये ज्यादा से ज्यादा लोगों ने धन दिया और इकट्ठा करके उसकी विधि पूर्वक पूजन आदि की व्यवस्था होती रहे उसका प्रबंध किया। किसी जगह अव्यवस्था भी हुई मगर जिस व्यक्ति ने ईश्वर भक्ति से प्रेरित होकर ४ लाख का धन दिया या किसी ने ५० रु० भी दिये या किसी ने ५ रु० भी दिये तो उसने भगवान को भेंट के रूप में दिये। जो रुपया दिया गया वह किसने दिया राजस्थान सरकार ने नहीं दिया, राजस्थान सरकार की किसी एजेन्सी या कम्पनी ने नहीं दिया, राजस्थान सरकार के किसी मिनिस्टर ने नहीं दिया और यदि कभी किसी मिनिस्टर ने कहीं दिया भी होगा तो वह व्यक्तिगत रूप में दिया है। किसी मंदिर या मस्जिद या गिरजे में किसी मिनिस्टर ने कुछ दिया भी होगा तो सरकार की तरफ से नहीं दिया है। अब जो व्यक्ति मन्दिर में सहायता के लिये जो कुछ देता है वह उसके लिये यह समझता है कि इस धन का दुरुपयोग नहीं हो और जो धन है वह देवता की पूजा के लिये काम आए। इसके लिये पैसा देने वाला उसके लिये एक ट्रस्ट मुकर्रर कर देता है और वह पैसे देने वाला मानों किसी ने ५ लाख रु० किसी जैन मन्दिर में दिये तो, वह यह मान कर देता है कि यह रकम अच्छे अच्छे आदमियों के ट्रस्ट के आधीन सुरक्षित है और उसको इससे कोई एतराज नहीं है। जब रुपया देने वाले को किसी प्रकार का अविश्वास नहीं तो फिर सरकार को किस प्रकार से ऐसा अविश्वास होना चाहिये। उसका तो पैसा नहीं। समझ में नहीं आता कि सरकार के

[श्री भैरूंसिंह]
अधिकारी जो तबेले बैठे हैं तीसरे, उनको किस बात की चिन्ता हो रही है। यदि उन लोगों को जो देने वाले हैं किसी प्रकार की चिन्ता होगी तो न तो जैन मंदिरों में कुछ देंगे और न कुछ गुरुद्वारों और गिरजों में ही देंगे और जो लोग देते हैं वह यह समझ कर देते हैं कि जिन स्थानों को वह रकम देते हैं, वह पैसा धर्म के प्रचार में, धार्मिक भावना के लिये जितनी भी कार्यवाही होती हैं उसमें वह ट्रस्ट खर्च कर सकता है और उसको खर्च करने का अधिकार है। समझ में नहीं आता कि सरकार को इसमें कौनसी चिन्ता पड़ी है वह पैसा देने वाले नहीं। देने वाले लोग देते हैं; फिर तबेले दूर बैठे हुओं को किस बात की चिन्ता, सरकार दूसरों पर कब्जा करने से पहले अपना मुंह दर्पण में देखे। सरकार के नियंत्रण में जितने भी मंदिर आये हैं उनकी तस्वीर कांच में देखे। सरकार अपने देवस्थान धर्मपुरे की तस्वीर देखे। उनको यह मालूम नहीं कि कितने मंदिर सरकार के हैं और जितने मंदिर सरकार के आधीन हैं उनमें किस प्रकार का घोटाला है। मैं कोई नई बात नहीं बताऊंगा और कहूंगा लेकिन मैं यह कहूंगा कि राजस्थान की पब्लिक एकाउण्ट्स कमेटी की ५५-५६ की जो रिपोर्ट है उसमें उस कमेटी ने राय कायम की है, उसको देख कर और पढ़ कर सरकार अपना मस्तिष्क टटोले और अपना चेहरा कांच में देखे तो मैं कहूंगा कि उनको पता लगेगा कि भयंकर गड़बड़ियां हैं। यदि वे कांच में अपना मुंह देखेंगे तो सरकार को मालूम होगा कि जिन मंदिरों को सरकार लेना चाहती है उन मंदिरों का इन्तजाम उन मंदिरों से बहुत ज्यादा अच्छा मिलेगा जो मंदिर अभी सरकार के पास हैं और मैं तो यह कहूंगा कि सरकार उनको लेने की हिम्मत भी नहीं करेगी। माननीय उपाध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से पब्लिक एकाउण्ट्स कमेटी की रिपोर्ट के पेज ९२ के पहले पैराग्राफ की तरफ ध्यान दिलाता हूं और उसको पढ़ कर सुनाता हूं:—

"The Committee has seen fit to include this Department under this Chapter because the Department has the distinction, which few others have, of having received little or no attention from the Government."

यह इसकी मंशा है कि यह ऐसे विभाग में से है जिस विभाग पर सरकार की बहुत कम निगाह पड़ती है।

निगाह इस बात के लिये नहीं कि घोटाला हुआ है, वह दुरुस्त हो। या इंतजाम अच्छा हो। अगर इंतजाम अच्छा हो और आपकी निगाह नहीं पड़े या कम पड़े तो कोई एतराज नहीं। मगर आपकी निगाह इसलिये वहां पर नहीं पड़ती कि आप चाहते हैं कि घोटाला होता रहे। आप उसकी तरफ देखते नहीं। माननीय उपाध्यक्ष, यदि इसी प्रकार से देख रेख रही तो मंदिरों की सारी प्रोपर्टी समाप्त हो जावेगी। इसके अलावा माननीय उपाध्यक्ष, मैं एक बात और पढ़ कर सुनाता हूं:—

The Public Accounts Committee 1954-55, could not perhaps resume the thread of the examination of this question commenced by the previous Committee and it has consequently been the privilege of this Committee to resume it.

आगे इसमें लिखा है:—

"The examination, however, revealed a regrettable lack of knowledge of the detailed working of the Department on the part of the representatives of the Government."

[श्री भैरूसिंह]

सरकार को यह भी मालूम नहीं कि मंदिर कितने हैं। यह भी मालूम नहीं कि कितनी केटगरीज में हैं, और किस किस मंदिर में कितनी कितनी संपत्ति है। जितने मंदिरों की संपत्ति है उनको किसी रजिस्टर में लिखा जाता है या नहीं और लिखा जाता है तो किस रजिस्टर में। उस प्रोपर्टी का कभी चेंक होता है या नहीं। मंदिरों में कितनी आमदनी होती है उसके लिये कोई रजिस्टर है या नहीं? कोई हिसाब होता है या नहीं या उसका ओडिट होता है या नहीं। माननीय उपाध्यक्ष, जिस सरकार के मुलाजिमों को मदिरों की आमदनी और उसके खर्चे का पता नहीं। उनके एकाउण्ट को कोई चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट जांच करता है या नहीं। उस मंदिर में कितना धन खर्च करने का अधिकार दिया गया है। वह सरकार दूसरे मंदिरों का क्या इन्तजाम करेगी। मैं तो यह कहूंगा कि सरकार इस इन्तजाम के नाम पर मंदिरों के धन पर अधिकार करना चाहती है। पी. ए. सी. ने तो अपनी रिपोर्ट में यहां तक इसका जिक्र कर दिया है कि मंदिरों की जितनी संपत्ति है वह इन्तजाम के लिये नहीं उपयोग की जाती है, वह तो सरकार के राजनैतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिये उपयोग में लाई जाती है। इस दृष्टि से मंदिरों पर हस्तक्षेप किया जाता है, इसके लिये पेज ९४ पर लिखा है:—

"Subsequent information received from the Government however reveals the following position in respect of the loans:—

सरकार ने तीन लोन दिये:—

(१) ट्रेड एण्ड कोमर्स डि० फोर्मर राजस्थान, यह फोर्मर राजस्थान उदयपुर द्वारा सन् ४८ में १५ लाख का दिया गया। उसमें से ७ लाख वसूल हुआ बाकी वसूल नहीं हुआ।

(२) सेठ श्री रामगोपाल मोहता को ५०,००० रु. का दिया गया जिसमें से एक पैसा भी वसूल नहीं हुआ।

(३) आर्य समाज, अजमेर को २,६५,००० रु. फरवरी १९५१ में राजस्थान सरकार द्वारा दिया गया उसमें से एक पैसा भी वसूल नहीं हुआ।

ये तो लाखों के आकड़े हैं। छोटों की तस्वीर देखना चाहते हैं तो वे देख सकते हैं। मुझे तो मालूम है कि क्या तस्वीर है। जिन लोगों को सरकार ने पैसा उधार दिया उनके पास से एग्रीमेण्ट तक नहीं लिखवाया गया, कब रुपयों का भुगतान वापिस होगा इसका कुछ उल्लेख नहीं, देने वाले अधिकारी को आया इस प्रकार का अधिकार था या नहीं उसका जिक्र नहीं। हम मंदिरों की प्रोपर्टी कभी रामगोपाल मोहता, कभी आर्य समाज और कभी ट्रेड एण्ड कोमर्स विभाग को दे देते हैं और उससे व्यापार भी मोहता साहब करें और सरकार को व्याज के रूप में एक पैसा भी नहीं दें। इसी प्रकार आर्यसमाज को रुपया दिया जाता है और वह भी नहीं देता है। मगर सरकार अपने मंत्रियों को कैसे कहे। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की कार्यवाही करना आज की सरकार के लिये शोभा की बात हो सकती है मगर पब्लिक के लिये यह कोई अच्छी बात नहीं। इसलिये सरकार यह सोचे कि जिन मंदिरों पर वह अधिकार करने जा रही है.....

श्री दामोदरलाल व्यास--मैं यह पूछना चाहता हूं कि कौन सी सरकार ने यह रुपया दिया ? आर्यसमाज को १९५१ में रुपया दिया गया वह वैंकटाचार्य की सरकार ने दिया या कांग्रेस सरकार ने नहीं दिया ।

श्री भैरूं सिंह--माननीय उपाध्यक्ष, १६५१ में श्री हीरालालजी शास्त्री की सरकार थी जो कांग्रेस की सरकार थी ।

श्री दामोदरलाल व्यास--माननीय उपाध्यक्ष, जो मैं कहता हूं बिल्कुल ठीक है। यह क़र्ज़ा वैंकटाचार्य की सरकार ने दिया था।

श्री भैरूं सिंह--सरकार ने इस पोइन्ट को भी कभी पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी में डिस्प्यूट नहीं किया ।

श्री दामोदरलाल व्यास--आप जो कहते हैं कि कांग्रेस सरकार ने दिया, यह ठीक नहीं है यह तो १६५१ में शास्त्री सरकार समाप्त होने के बाद वैंकटाचार्य की सरकार ने दिया ।

श्री भैरूं सिंह--यह फ़रवरी में दिया गया और उस समय शास्त्री की सरकार थी ।

श्री दामोदरलाल व्यास--नहीं थी ।

श्री भैरूं सिंह--आप देख लीजिये ।

मान लें कि आपने उसको नहीं दिया । मगर फिर भी उस स्थिति को आज ६ साल हो गये । यह सरकार अभी तक क्यों सो रही थी ? एक गरीब आदमी से तो डिक्री कराकर रुपया वसूल कर लिया जाता है मगर इनसे · · · · · ·

श्री दामोदरलाल व्यास--ओन ए पोइन्ट ओफ़ इन्फ़ोर्मेशन सर, दो वर्षों से आर्य समाज का मुक़दमा चल रहा है और दूसरे केसेज़ भी मालूम किये जा रहे हैं ।

श्री भैरूं सिंह--मैं आपका ध्यान पैराग्राफ १२७ ओफ़ दी पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी १६५५-५६ की थर्ड रिपोर्ट की तरफ़ दिलाना चाहता हूं । आप यह कह रहे हैं कि मुक़दमा दो साल से चल रहा है। मुक़दमा चलते तो दो वर्ष हुए हैं। आपने ५ वर्ष तक क्या किया ? आप इतने समय क्या कर रहे थे ? इतने समय रुपयों का पानी क्यों हो रहा था ?

उस समय चाहे किसी की सरकार हो लेकिन रुपया जो दिया गया, उसकी वसूली की कार्यवाही कर सकते थे ? कहने का तात्पर्य यह है, अगर मन्दिरों के रुपये को आप लेते हैं, तो अपने लोगों को खुश करने में उनका दुरुपयोग होगा । मैं समझता हूं · · · · · ·

श्री सोहनलाल भटनागर--उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल में कहां यह चीज है मन्दिरों का रुपया लेकर दे दिया जायगा जिसका कि माननीय सदस्य ज़िक्र कर रहे हैं ।

श्री भैरूं सिंह--अकल लगाने से लगती है। अकल से काम लेने की जरूरत है नकल से नहीं। यही स्थिति है इसलिये मुझे पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट का एक अंश और पढ़कर सुनाना पड़ेगा जिससे मैं समझता हूं माननीय मन्त्री महोदय को स्थिति स्पष्ट हो जायगी।

"It would thus appear that even the Government of Rajasthan had sanctioned a loan of Rs. 2,65,000/- in the year 1951 and the representatives of the Department did not know this. It is interesting to note that not a single penny has been received by the Department either from Seth Shri Gopal Mehta or from Arya Samaj, Ajmer, by way of interest on the loans or in part payment of the principal. It is however, not very surprising because nothing better could be expected when those guiding the destinies of the Department were found to be blissfully ignorant about the loans themselves."

यह पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट है जो इस सदन द्वारा चुनी हुई कमेटी है जिसके नोट को आपने स्वीकार किया है। माननीय उपाध्यक्ष, इसलिये ऐसी स्थिति में मुझे कहना पड़ेगा सरकार का एक दृष्टिकोण है आज चाहे वह यह कह दे कि हम तो केवल मन्दिरों का रजिस्ट्रेशन यानी पंजीयन कर रहे हैं। इसलिये पंजीयन करना चाहते हैं कि जितने भी ट्रस्ट्स हैं उनमें इन्डिपेन्डेन्ट ट्रस्टीज़ हैं। सरकार का कहना है कि जो ट्रस्टीज़ हैं वे रुपये का दुरुपयोग करते हैं। सरकार यह नहीं चाहती सरकार की यह शासन कुशलता है उसके कारण सरकार को दुःख होता है कि इस रुपये का दुरुपयोग हो रहा है। सरकार तो केवल रजिस्ट्रेशन करना चाहती है। उसको इस बात की जानकारी है फ़लां ट्रस्ट के अन्दर फ़लां मन्दिर के अन्दर हमारे पास निरन्तर शिकायतें आ रही हैं कि जनता के धन का दुरुपयोग हो रहा है, जो दान किया गया उस दान का दुरुपयोग हो रहा है जनता के धन का ठीक प्रकार से उपयोग नहीं कर सकते इसलिये सरकार को हस्तक्षेप करना आवश्यक होगया है कि इस प्रकार के धन को अपने नियन्त्रण में लें। सरकार कहती है कि कानून के लागू होने के पहले जितने भी ऐसे ट्रस्ट्स हैं उन सब का रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन करने का मतलब यह है कि व्यवस्था तो जो वहां ट्रस्टीज़ हैं वे ही करें, बजट वे ही पास करें हमको तो सिर्फ़ उसकी प्रतिलिपि भेज दिया करो। बजट बनाने के बाद भी अगर धन की आवश्यकता हो सप्लीमेन्टरी ग्रान्ट के रूप में हमें लिखकर भेज दिया करो। यह एक प्रकार का प्रलोभन दिया जा रहा है कि इस सब की व्यवस्था रखने के लिये हम १२।। परसेन्ट मन्दिर से भी लेने वाले नहीं। बड़ी उदारता है अब देखना है कि यह उदारता वास्तव में सत्य है या केवल मात्र प्रलोभन। सरकार केवल चाहती यह है कि किसी न किसी प्रकार एक दफ़ा ट्रस्टीज़ का हाथ पकड़ने दिया जाय, उसमें हस्तक्षेप करने के लिये यह पहली सीढ़ी है। इस सीढ़ी पर चढ़ने के बाद फिर मन्दिरों में घुसकर उसकी प्रोपरटी पर अधिकार करना चाहते हैं। राजस्थान की जनता इस बात को देखकर कि १२।। परसेन्ट का प्रलोभन देखकर नियन्त्रण मन्जूर कर लेगी। इसलिये हमें यह सोचना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन कर लेने से क्या सरकारी हस्तक्षेप उन पर नहीं होगा। मुझे पांच वर्ष का ज्ञान है। वह ज्ञान यह है कि सरकार कोई भी कानून प्रस्तुत करती है, छोटा सा प्रोवीजन, एक विशेष वर्ग के लोगों का नुकसान होता हो जिसका संयमित विरोध किया जाता हो उस विरोध को दबाने के लिये हमारी सरकार एक तरीका अपनाती है। वह तरीका यह होता है इस प्रकार के कन्टेस्टेबल प्रोवीजन होते हैं। उन प्रोवीजन्स को एक्ट की बोडी से उस समय हटा दिया जाता है और फिर यह कोशिश रहती है एक दो महीने बाद अमेन्डमेन्ट लाया जाता है

[श्री भरूंसिंह]

और कहा जाता है कि हमें दो महीने का अनुभव है कि इस प्रकार का संशोधन लाया जाय। आप अभी तो केवल रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं आप उसमें साढ़े बारह परसेन्ट नहीं ले रहे हैं। उसके बाद अगर पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी एतराज करेंगी कि आप उनसे कुछ नहीं लेते हैं, कमिश्नर और असिस्टेन्ट कमिश्नर को आपको वेतन देना पड़ता है। उस पर सरकार मजबूर होगी और विधान सभा के समक्ष संशोधन लाकर कानून बनाया जायगा कि आज से साढ़े बारह परसेन्ट लिया जायगा। सरकार ने इस चीज़ को अभी कानून में नही रखा है लेकिन ऐसा विचार वे जरूर रखते हैं। इस प्रकार का संशोधन विधान सभा में प्रस्तुत हो सकता है और उसको स्वीकार कराने की चेष्टा करेंगे। यह बात हमें जो मूल विधेयक प्रस्तुत किया गया था उससे मन्शा का पता लग गया। मूल विधेयक में यह साफ़ लिखा है साढ़े बारह परसेन्ट सुपरवीज़न चार्जेज़ के नाम से लेने का लिखा है। आज सरकार यह सोचती है कि हम बहुमत के आधार पर इस बिल को पास कर सकते हैं। सरकार यह देखती है कि हम निरंकुश कानून को बहुमत के बल पर पास करवा सकेंगे। आपको यह ज्ञात होना चाहिये विधान सभा के अलावा बाहर हज़ारों और लाखों चिट्ठियां माननीय अध्यक्ष, माननीय मुख्य मन्त्री और राजस्व मन्त्री महोदय को भेजी गई हैं कई फ़ोर्म्स, कई पेम्फलेट्स इस बात के विरोध स्वरूप भेजी हैं। इसके विरोध स्वरूप राजस्थान में जो सभायें हुई हैं उनकी संख्या दो हज़ार से कम नहीं। जिस चीज के विरोध के लिये दो हज़ार सभा होती हैं हजारों की संख्या में पेम्फलेट्स आते हैं तो इन बातो को देखते हुए हमें यह सोचना पड़ेगा कि सरकार के इस कानून के पक्ष में जनता नहीं है। इसके लिये सरकार ने यह सोचा कि इसमें जो कुछ कम्प्लिकेटिंग क्लॉज़ेज़ है उन्हें वापिस लिया जाय। आज यह कहा जाता है कि बम्बई में इस प्रकार का कानून है बिहार में इस प्रकार का कानून बन गया है इसलिये हमारे यहां भी होना चाहिये। मैं उनसे यह पूछता चाहता हूं कि बम्बई में गोहत्या होती है बंगाल में गोहत्या होती है बिहार में गोहत्या होती है लेकिन राजस्थान में गोहत्या नहीं होती है। तो अगर हम इन स्टेट्स की नकल करेंगे तो क्या हम बुरे कामों की भी नकल करने लग जांय। अगर हम इस तरह से बुरे कामों की नकल करने लग जायेंगे तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि जिस प्रकार आज विरोध किया जा रहा है उसी प्रकार का विरोध करने के लिये तैयार होना पड़ेगा।

(घंटी)

श्री भरूंसिंह--उपाध्यक्ष महोदय, यह घंटी किस बात की है?

श्री उपाध्यक्ष--It is becoming too general.

श्री भैरूंसिंह--यह मामला धर्म का है। धर्म निरपेक्ष राज्य में धार्मिक मामलों में इस प्रकार का हस्तक्षेप नहीं सहन किया जा सकता। आज हमारी सरकार के सामने केवल धार्मिक भावना का तो बिल्कुल सवाल नहीं वह तो अपने सामने सिर्फ़ धार्मिक दृष्टिकोण को ही रखते हैं। उनके सामने तो फ़ाइनेन्सियल स्टेट्स क्या होना चाहिये यही रहता है।

मैं बताऊं, उपाध्यक्ष महोदय, कि हमारे देश में भौतिकवादी दृष्टिकोण नहीं पनप सकता। आध्यात्मिक दृष्टिकोण ही यहां पनपेगा, आज तक वही पनपा है और हमारे देश की संस्कृति भी इसी आध्यात्मिक दृष्टिकोण पर आधारित है। आप पाश्चात्य संस्कृति के लिये कह सकते हैं कि वहां हर एक चीज़ भौतिकवाद के नाम से नापी जाती है।

श्री हरिराम निनावा--देश की स्थिति को आप बिगाड़ रहे हैं।

श्री भैरूं सिंह--मैं क्या बिगाड़, आप जैसे बिगड़े हुओं को। वह तो परमात्मा ने ही आपको बिगाड़ दिया। मेरी कोई सामर्थ्य नहीं है बिगाड़ने सुधारने की।

(हंसी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि आज सरकार जिस दृष्टिकोण से सोच रही है मुझे वह दृष्टिकोण बदलना है। इसलिये इसकी मूल भावना को आर्थिक दृष्टिकोण से नहीं आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें आप। हमारे देश की संस्कृति का मापदण्ड आध्यात्मिक है और उसी दृष्टिकोण से हमें इस विधेयक की भावना को पहचानना है। हम इसे भौतिकवादी दृष्टिकोण से नहीं देख सकते। साधु हैं, संत हैं उनकी रिद्धियां हैं, मंदिर हैं, उनकी सजावट हैं, मूर्तियां हैं, उनके जेवर हैं, हजारों लाखों रुपयों के ट्रस्ट हैं, भेंट पूजा है, सोने की जवाहिरातों की मूर्तियां बनी हैं यह सब है। पर इतने पर भी हमारा आध्यात्मिक दृष्टिकोण बदला नहीं है, सोना जवाहिरात सब कुछ है पर उस सोने को और जवाहिरात को साधुओं और सन्तों के सामने कोई वकत नहीं है, इस सारे पैसे की भी कोई वकत नहीं है। पैसा आध्यात्मिकता के सामने गौण वस्तु है। परन्तु यह धर्म के प्रसार के लिये एक साधन है, आध्यात्मिकता के प्रचार के लिये एक साधन है और वह साधन स्वयं भी धर्म है, उस धन का दान जो है वह दान भी धर्म है। जैन धर्म का साहित्य उठाकर भी आप देख लें देव द्रव्य जो है वह दान है और दान से पुण्य अर्जन होना कहा गया है। इसी तरह स्वामी विवेकानन्द और रामकृष्ण परमहंस को देख लीजिये। उन्होंने जितने साहित्य की रचना की है, उन्होंने धर्म और दान में विशेष विभेद नहीं किया है। आप दान और धर्म में विभेद की भावना पैदा करना चाहते हैं और भौतिकवाद के आधार पर इस तरह की बातें आपके दिमागों में भरी हैं। यदि यह पाश्चात्य देश में हालत होती और वहां पर यदि आप इस तरह का भौतिकवादी कानून लाते तो उस हालत में सम्भव था, मैं निश्चित रूप से कहता हूं यदि मैं भी उस मुल्क का होता और भौतिकवाद में आस्था होती तो जरूर इसका सपोर्ट करता। उनका दृष्टिकोण हर चीज को इसी भौतिकवादी दृष्टिकोण से देखने का है। पर हमारे देश की मूलभूत संस्कृति जो है वह आध्यात्मिक भावना पर आधारित है, भौतिकवाद का यहां कहीं नाम भी नहीं है और आध्यात्मिवादी संस्कृति के आधार पर यहां हमारे सारे समाज की रचना बनी हुई रही है और आज भी बनी हुई है ऐसी स्थिति में यदि आपने यह भौतिकवादी दृष्टिकोण से ओतप्रोत कानून यहां लागू करने के लिये बनाया तो मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि इसमें जबर्दस्त खामी रहेगी।

अब आगे प्रश्न आता है परिभाषा का। इस बिल में हिन्दू की परिभाषा की गई है और उसमें लिखा है हिन्दू शब्द में क्या है? हिन्दू में सिक्ख शामिल, जैन शामिल, हिन्दू में बौद्ध शामिल। मैं समझता हूं कि यदि हिन्दू की परिभाषा जो एक मामूली विषय नहीं है उसको हम एक कानूनी शक्ल देकर उस परिभाषा को संकुचित भावना से संकुचित बनाने की चेष्टा करेंगे, संकीर्ण बनाने की चेष्टा करेंगे तो मैं समझता हूं कि कानून द्वारा हम कोई अच्छा काम कर सकेंगे ऐसी बात नहीं हो सकेगी। या तो हमें यह सोचना पड़ेगा कि हिन्दू कोई धर्म है। अगर इस तरह से सोचते हैं तो हमें इस बिल में आमूलचूल परिवर्तन करना पड़ेगा। पर अगर हम यह देखते हैं कि हिन्दुस्तान में रहने वाला हिन्दू है, फिर चाहे वह किसी भी मत का मानने वाला हो, किसी भी धर्म का मानने वाला हो, यहां जो रहता है वह हिंदू

[श्री भैरूंसिंह]

है फिर तो जितने भी छोटे बड़े मत मतान्तर क्यों न हों प्रत्येक मत मतान्तर को मानने वाला भी हिन्दू है फिर वह चाहे जैन मत को मानने वाला हो, बौद्ध मत को मानने वाला हो, मुसलमान हो, आर्यसमाजी हो, पारसी हो चाहे क्रिश्चियन संस्कृति हो, कोई संस्कृति हो ये सारी जो संस्कृतियां हैं उनके एकांगी रूप को हम हिन्दू धर्म कह सकते हैं और उन सबको हिन्दू शब्द को परिभाषा में ले सकते हैं। इसे हिन्दू की परिभाषा कह सकते हैं। पर आपने इस कन्ट्रोवर्सियल शब्द को इसमें बहुत गलत अर्थ में घसीटा है। यदि आप हिन्दुस्तान में रहने वाले प्रत्येक हिन्दू को या नागरिक को हिन्दू की परिभाषा में शामिल करते हैं तो इसमें वह नागरिक या व्यक्ति फिर चाहे किसी मत या धर्म का मानने वाला हो, किसी भी संस्कृति का परिचायक हो वह एकांगी रूप में हिन्दू है और अगर अलग अलग मानते हो तो फिर हिन्दुओं के धर्म में भी कई मतों को, विभिन्न धर्मों को मानने वाले हैं। वैसे तो सिक्ख धर्म की और जैन धर्म की उत्पत्ति हिन्दू धर्म से है। जिस जिस समय हिन्दू धर्म में किसी भी प्रकार की कुरीतियों ने अपना साम्राज्य जमाया और शिथिलता आई तो उस समय हिन्दू समाज में से समय समय पर अच्छे अच्छे आदमी प्रकट हुए और उन्होंने कुरीतियों को दूर किया और चेतनता लाये, फिर उन्होंने अपने मत का भले ही कोई और नाम रक्खा हो पर यह सही है कि उन्होंने इसी हिन्दू धर्म की सेवा की और इस प्रकार उन्होंने अपने धर्म और मत का नाम अलग से रक्खा हो पर वे हिन्दू में से ही हैं और धीरे धीरे फिर गलती के कारण या अपने को स्वयं को न पहचान सकने के कारण कुछ अपने को ऐसा समझने लग गये कि हम सारे के सारे अलग हैं। आज इसी गलती को और स्वयं को न पहचान सकने की स्थिति में पड़कर यह सेकूलर कहलाने वाली स्टेट जो कि जात पांत को वैसे तो कहती है, खतम करने वाली है, खतम करना चाहती है पर वही सेकूलर कहलाने वाली स्टेट दूसरी तरह से प्रकारान्तर से उन्हीं भेदभावों का ढिन्ढोरा पीटने जा रही है। आज भी उन धार्मिक भेदभावों को अलग अलग मत मतान्तरों को मानने वाले अलग अलग व्यक्ति हैं, अलग अलग धर्म के अलग अलग व्यक्ति हैं यह मतलब होगा। इस तरह की परिभाषा के देने का। फिर इस तरह की परिभाषा का एक दुष्परिणाम और होगा। इस परिभाषा का यह मतलब होगा कि धर्म के नाम पर हिन्दू धर्म के इन अवान्तर हिस्सों में भी आपस में धर्म के नाम पर संघर्ष शुरू हो। हिन्दुओं से वे अपने आपको अलग समझने लगें, और अलग समझकर संघर्ष करने की नौबत पैदा करें। इसके लिये मेरा निवेदन करना यह है कि इस पर जनता की राय जानने की आवश्यकता है कि वे इस हिन्दू शब्द की परिभाषा से सहमत हैं कि नहीं। यदि वह परिभाषा नहीं मानते हैं और यदि सारे ही व्यक्ति धर्म की परिभाषा में शामिल होना पसन्द करते हैं तो हम उस राय को स्वीकार करें। पर इसमें कुछ लोगों को अलग किया गया है, इसमें क्रिश्चियन शामिल नहीं हैं, पारसी शामिल नहीं, मुसलमान शामिल नहीं होते। मुसलमानों के लिये कह दिया गया कि उनके लिये इन्डियन वक्फ़ एक्ट है इसलिये मुस्लिम धर्म में ट्रस्ट में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं। मानता हूं इस चीज को। यदि उनके लिये कानून है तो। यदि उनके प्रन्यास पर अधिकार है सरकार का तो कोई कानून बनाने की आवश्यकता नहीं। पर क्रिश्चियनों के लिये क्या किया ? कहा जाता है इनके लिये भी कोई एक्ट है चर्चेज़ एक्ट है पर मैं पूछता हूं उनकी शक्ति को कन्ट्रोल करने का सरकार को अधिकार है इस बिल में। इस बिल में ऐसा कोई भी उल्लेख नहीं है। लेकिन क्रिश्चियनों से तो सरकार डरती है। अंग्रेज जिस समय राज्य करते थे उस समय तो खैर ठीक था। पर आज भी उनकी बात उनके दिमाग पर शाया है। आज भी

[श्री भैरूंसिंह]

ये लोग समझते हैं कि क्रिश्चियन मिशनरी धर्म का प्रचार कर रही हैं, बलात् धर्म परिवर्तन हो रहा है, उनके द्वारा जितना भी पैसा दूसरे देशों से आ रहा है उस पर कन्ट्रोल होने की आवश्यकता नहीं। इस पैसे का भयंकर दुरुपयोग किया जा रहा है लोगों के धर्म परिवर्तन में। तो जिस पर कन्ट्रोल होना चाहिये उस पर आपकी नजर नहीं जाती, जाती भी हो तो हिम्मत नहीं पड़ रही है। तो आवश्यकता है इस पर कन्ट्रोल करने की। मध्यभारत में नियोगी रिपोर्ट में आपने देखा होगा कि उस में स्पष्ट रूप से सिफ़ारिश की गई है इन पर पूरी निगरानी रखने की और सख्त कन्ट्रोल रखने की।

(घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, यह कहने की आवश्यकता इसलिये पड़ रही है कि क्रिश्चियनों को इसमें क्यों नहीं शामिल किया गया ?

श्री उपाध्यक्ष--It is outside the scope of the Bill.

श्री भैरूंसिंह—तो मैं कह दूं क्रिश्चियनों को शामिल कर लो। पर इतने में ये लोग समझेंगे नहीं, इस वास्ते उसके समर्थन में मुझे इतना कहना पड़ रहा है।

श्री मानसिंह महार--हम तो समझते हैं।

श्री भैरूंसिंह--आप तो समझ गये, पर वे नहीं समझे हैं। तो मैं कह रहा हूं कि उन क्रिश्चियन मिशनरीज के पास भी जो प्राप्त होता है बाहर से या यहां से उसका निश्चित रूप से दुरुपयोग होता है और यह बात एक राज्य सरकार ने नहीं कई राज्य सरकारों ने मानी है। राजस्थान सरकार का भी निर्णय इससे मिलता जुलता ही है। राजस्थान सरकार के वाणिज्य मन्त्री श्री भोगीलालजी पांड्या ने एक प्रश्न के उत्तर में बताया है कि किस प्रकार की जघन्य धर्म परिवर्तन की कार्यवाही ये लोग उदयपुर डिविजन में कर रहे हैं। तो इसको हमने भी अच्छा नहीं माना है। इसलिये यह निश्चित और निर्विवाद रूप से साबित है कि इनके पास का जो पैसा खर्च होता है उसका निश्चित दुरुपयोग होता है। यह चीज बिलकुल स्पष्ट है। पर यह अजीब बात है कि इनके द्वारा इस तरह धन का दुरुपयोग होता रहे इसकी सरकार को परवाह नहीं, उस तरफ़ देखने की उसकी हिम्मत नहीं, पारसियों के द्वारा धन का दुरुपयोग हो इसकी ओर देखने की सरकार को आवश्यकता नहीं। उनको तो सीधा सादा कन्ट्रोल करना है जैन मन्दिरों पर, हिन्दुओं और वैष्णवों के मन्दिरों पर। उनको जैन मन्दिरों में लाखों की सम्पत्ति दीख रही है, वैष्णव हिन्दुओं के मन्दिरों में लाखों की सम्पत्ति दीख रही है। उनकी नीयत यह है कि किसी तरह यह सम्पत्ति एक बार हाथ में आ जावे तो उसे लूटें, खावें, पीवें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 'लूटने' और 'खाने' के शब्दों से शायद मैं समझता हूं कि सत्तारूढ दल के महानुभाव कुछ नाराज हों, लेकिन राजस्थान में ऐसे मंत्री रहें जिन मंत्रियों का हाथ राजस्थान के लड़कों को उठा उठा कर ५०-५० हजार रुपये लेने में रहा हो।

(घंटी)

यदि उन मंत्रियों के हाथ में राजस्थान का देवस्थान विभाग चला जाता है तो उन करोड़ों रुपये की संपत्ति की क्या हालत होगी। लड़के तक उडाये जा सकते हैं तो संपत्ति की तो पोटली बांध

Page No 64

[श्री भैरूसिंह]

कर सिर पर रख कर या कार में रख कर अजमेर पहुंच सकते हैं। उसमें तो वापिस लाने की बात ही नहीं है। संपत्ति का स्पष्ट रूप से दुरुपयोग हो सकता है। सरकार वह रुपये देने को तैयार नहीं है। मंदिरों में घुसने देने का कोई अधिकार देने को तैयार नहीं है।

अब प्रश्न यह आता है कि सरकार यह कहे कि मंदिरों के पास जितना भी धन है उसका दुरुपयोग हो रहा है। मैंने पहले ही कहा है कि जिन मंदिरों में दुरुपयोग हो रहा है उनका रजिस्ट्रेशन हो। रजिस्ट्रेशन की आप व्यवस्था कर दें जिससे कि उनके प्रबंध में सुधार हो। मंदिरों के ट्रस्टीज उनका प्रबंध ठीक करें तो ठीक करने का मौका उनको देना चाहिये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे संविधान में इस तरह की चीज है कि हम धर्म का प्रचार किसी भी रूप से करें लेकिन एक तो डिसऑर्डर नहीं होना चाहिये, नैतिकता के खिलाफ नहीं होना चाहिये और आम जनता के स्वास्थ्य के प्रतिकूल नहीं होना चाहिये। इन तीनों को ध्यान में रख कर हम धर्म का प्रसार कर सकते हैं। धर्म के प्रसार का मूल अधिकार हमें संविधान के द्वारा मिला हुआ है। अब प्रश्न यह आता है कि इस प्रकार के अधिकार का उपयोग हम कैसे करते हैं। उसका दुरुपयोग तो नहीं करते हैं। संविधान की मंशा है कि धर्म को अपनाने, धर्म का प्रचार करने आदि सारी व्यवस्था का इसका जो अधिकार है वह समाज का है सरकार का नहीं। सरकार ने संविधान में इन चीजों को अपने हाथ में न लेकर के समाज के हाथ में दे दिया। अब प्रश्न यह आता है कि समाज के अधिकार को सरकार अपने हाथ में ले या नहीं। समाज के अधिकार इस कारण से नहीं हैं कि वे वर्षों से चले आ रहे हैं। प्रजातन्त्र में सरकार की डिसेण्ट्रेलाइजेशन आफ पावर्स की पालिसी होती है, सत्ता के विकेन्द्रीकरण की पालिसी होती है। सत्ता को छोटे से छोटे लेवल पर बैठाने की प्रणाली होती है। इसीलिये पार्लियामेण्ट का निर्माण किया गया है, विधान-सभाओं का निर्माण किया गया है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स का निर्माण किया गया है, तहसील पंचायतों का निर्माण किया गया है और उसके नीचे पंचायतों तक चले गये हैं। मतलब यह है कि किस प्रकार से स्वशासन करने का अधिकार समाज को देना चाहिये। एक तरफ तो प्रजातन्त्र में हम इस बात की ओर अग्रसर हो रहे हैं कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण कर दें, सत्ता को इस हद तक पहुंचा देना चाहिये, कि प्रत्येक व्यक्ति यह अनुभव करने लगे कि इस राज्य का शासन चलाने में मेरा भी कुछ भाग है। उसमें मैं योग दे सकता हूं और योग देने का अधिकार है। मैं निवेदन कर रहा था कि संविधान में इसी दृष्टि से हमको यह अधिकार मिला है। यह एक समाज का अधिकार है। उस समाज के अधिकार के प्रति यदि कोई अविश्वास हो तो मैं समझता हूं कि उस अविश्वास को कम से कम इस समय निकाल देना चाहिये और देखना चाहिये कि समाज जो अधिकारों का उपयोग कर रहा है और हम जो अधिकारों का उपयोग कर रहे हैं उसके मुकाबले में वह खराब तो नहीं है। यदि वह खराब है तो मैं मानता हूं कि सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिये।

एक तरफ सत्ता का विकेन्द्रीकरण नहीं होकर सत्ता का केन्द्रीकरण हो रहा है, सेण्ट्रेलाइजेशन आफ पावर्स हो रहा है। सेण्ट्रेलाइजेशन का मतलब प्रजातन्त्र नहीं है अधिनायकवाद है, या यों कहना चाहिये कि भौतिकवादी तरीकों से आध्यात्मिक तरीकों को दूर करके अधिनायकवाद का ढांचा बनाया जा रहा है। प्रजातन्त्र की जड़ों को हिला कर उसकी जगह अधिनायकवाद को थोपा जा रहा है।

[श्री भैरूंसिंह]

यदि समाज के हितों पर कुठाराघात होता है तो निश्चित रूप से हमारी प्रवृत्ति अधिनायकवाद की ओर है और वह मूलतः प्रजातन्त्रवाद के खिलाफ होता है। हमको इन्हीं दोनों दृष्टियों से सोचना पड़ेगा कि यह जो व्यवस्था की है वह प्रजातन्त्र की जड़ों को उखाड़ने वाली व्यवस्था तो कहीं नहीं है। यदि ऐसी व्यवस्था है तो खुद सोचें और जनता को कुछ कहने का मौका दें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि इसमें आगे चलकर यह व्यवस्था की गई है कि सरकार नियन्त्रण करेगी, और नियन्त्रण ही नहीं करेगी बल्कि ट्रस्टीज को हुक्म देगी। ट्रस्टीज को हुक्म देगी किस बात का ? मैं यदि कहूं कि ट्रस्टी की एक जगह खाली हुई है और ट्रस्टीज स्वयं एक मंदिर का जिम्मेदार आदमी है तो वे किसी आदमी को नियुक्त कर दें। यदि कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं होता है तो सरकार अपनी ओर से नियुक्त करेगी। सरकार अपनी ओर से नियुक्त करेगी इसका मतलब यह होगा कि यदि कोई व्यक्ति किसी ट्रस्ट में नहीं जाना चाहता है तो सरकार को अधिकार है कि वह नियुक्त कर सकती है। तो सरकार ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त कर सकती है जो जिस धर्म के प्रचार के लिए वह ट्रस्ट बना हुआ है वह उसके बिल्कुल विपरीत भावना का हो। आप उसको ट्रस्टी तो बनाने जा रहे हैं लेकिन वह उस ट्रस्ट की भावना के प्रतिकूल विचार रखने वाला हो। विपरीत विचार रखने वाले व्यक्ति को ट्रस्टी बनाते हैं तो बताया जाय कि उस लाखों के ट्रस्ट की क्या हालत होगी। उस ट्रस्ट का क्या हाल होगा ?

केवल ट्रस्टी के नाम का ही प्रश्न नहीं है। हमारे यहां सरकार ने एक अजीब तरीका निकाला है कि असिस्टेन्ट कमिश्नर, और कमिश्नर देवस्थान जो हैं उनको अधिकार होगा कि मन्दिरों के नियन्त्रण के काम में हस्तक्षेप करें। अब यदि उनके ऐसे अधिकार हैं और उस अधिकार के ऊपर किसी प्रकार का कोई अंकुश लगाना है तो सरकार ने दिखाया है कि परामर्शदात्री समिति बना दी जाय, स्थानीय समितियां बना दी जाय। वह परामर्शदात्री समिति सारे राजस्थान के लिए बना दी। उन समितियों के द्वारा असिस्टेन्ट कमिश्नर और देवस्थान कमिश्नर इन दोनों को समय समय पर आदेश मिलते रहेंगे और वे (अ० कमिश्नर और देवस्थान कमिश्नर) उन आदेशों का पालन करेंगे। यह बहुत अच्छी है देखने में। लेकिन सरकार ने अपने हाथ में यह बात रखी कि वह नोमिनेटेड व्यक्तियों की परामर्शदात्री समिति बनायेगी और वे व्यक्ति जिस प्रकार से चाहें उस प्रकार से उस विभाग का काम असिस्टेन्ट कमिश्नर और देवस्थान कमिश्नर से कह कर करायेंगे। कहने में बहुत अच्छा लगेगा। जनता के चुने हुए आदमी आयेंगे और वे शासन करेंगे। लेकिन, माननीय उपाध्यक्ष, आज तक का जो हमारा अनुभव है, नामजद सरकार किन व्यक्तियों को करती है, उसका हमारा जो अनुभव है, उसके डिटेल्स में मैं नहीं जाना चाहता हू, क्योंकि यह चीज बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि सरकार ऐसे व्यक्तियों को मनोनीत करती है, सरकार ऐसे व्यक्तियों को अपने रिप्रेजेन्टेटिव के रूप में मानती है, सरकार ऐसे व्यक्तियों को पसन्द करती है जो कि सरकार की हां में हां मिलाते हैं। सरकार एक विशेष दल से संबंध रखती है इसलिए वे उसी दल से संबंधित व्यक्तियों को पसन्द करेगी। यहां यह प्रश्न आता है कि परामर्शदात्री समिति में चूंकि वह दल धर्म निरपेक्षता में विश्वास रखती है, धर्म में विश्वास नहीं रखती है। धर्म के प्रसार को राजनैतिक प्रसार में बाधाजनक मानती है, तो सरकार ऐसे व्यक्ति को नामजद करेगी

[श्री भैरूंसिंह]

जो व्यक्ति उनको पसन्द हैं । मैं यह बतला देना चाहता हूं कि उन्हें वह व्यक्ति पसन्द आयेगा जो उनके मत में धर्म निरपेक्ष हो, धर्म में विश्वास नहीं रखता हो । धर्म निरपेक्ष व्यक्ति ऐसे ही व्यक्तियों को पसन्द करेंगे जो कि धर्म में विश्वास नहीं करते हों· · · ·

श्री हरिराम निनामा—चेयरमैन महोदय (श्री उपाध्यक्ष), आज राजस्थान सरकार धर्म के विरुद्ध नहीं चल रही है । (घंटी) राजस्थान सरकार हर धर्म में विश्वास रखती है । धर्म में विश्वास नहीं रखने वाले व्यक्तियों को साथ में लेती है, यह कहना गलत है और झूंठ है ।

श्री भैरूंसिंह—माननीय उपाध्यक्ष, यदि कहीं इनको सामने की बेन्चों पर बिठाकर बोलाया जाय तो लोग दर्शन कर लें तो अच्छा रहे । ऐसी ऐसी बातों के सुनने का मौका कम ही आता है ।

श्री दामोदरलाल व्यास--यह बहुत खरी बात कहते हैं ।

श्री मानसिंह महार--माननीय उपाध्यक्ष, यह सदन में बिल्लियां कहां से आ गई ?

श्री हरिराम निनामा–राजस्थान सरकार किसी धर्म को नहीं मानती है, किसी धर्म में विश्वास नहीं रखती है यह आपने जो कहा है वह कहां तक सत्य है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—माननीय उपाध्यक्ष, यह 'बिल्लियां' शब्द का प्रयोग पार्लियामेन्टरी है या नहीं ? सदन में जो यह कहा गया है 'सदन में आज कहां से बिल्लियां आ गई', यह पार्लियामेंटरी है क्या ?

श्री भैरूंसिंह—इसमें क्या पार्लियामेन्टरी या अनपार्लियामेंटरी का सवाल है । दरअसल में 'बिल्ली' तो है नहीं ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—यह बहुत आपत्तिजनक शब्द है जिनका कि यहां प्रयोग किया गया है। मैं माननीय मित्र से निवेदन करूंगा कि वे इन शब्दों को वापिस लें ।

श्री भैरूंसिंह—माननीय उपाध्यक्ष, 'बिल्लियां' किसी विशेष सदस्य को तो कहा नहीं है । अगर कहा हो तो बता दें ।

श्री उपाध्यक्ष—यह ओब्जेक्शनेबल प्रयोग है, इसको विथड्रॉ कर लेना चाहिये ।

श्री मानसिंह महार—माननीय उपाध्यक्ष, मैंने किसी विशेष सदस्य को 'बिल्ली' नहीं कहा है । मुझे बिल्लियों की सी आवाज मालूम हुई थी, उपाध्यक्ष महोदय, इसीलिए मैंने कहा था कि यहां सदन में 'बिल्लियां' कहां से आ गई । मैंने किसी सदस्य से नहीं कहा । यह इस प्रकार की उनकी गलत धारणा है । मैंने यह कभी नहीं कहा कि वे सदस्य 'बिल्ली' हैं। मैंने, जो आवाज थी वह जरूर बिल्ली की बतलाई ।

श्री हरिराम निनामा—जब इधर से कहते हैं तो आपका खून क्यों गर्म होता है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—वह विथ्ड्रा नहीं हुआ, माननीय उपाध्यक्ष। आपने विथ्ड्रा करने का हुक्म दिया लेकिन उसकी तामील नहीं हुई।

श्री उपाध्यक्ष—इसको....

श्री भैरूंसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, विथ्ड्रा करने का मतलब होगा कि दरअसल उन्होंने उनको 'बिल्ली' बताया है।

राव राजा श्री सरदारसिंह—वे तो मिनिस्टर है, 'बिल्ली' थोड़े ही हैं।

श्री उपाध्यक्ष—यह रिमार्क उचित नहीं था इसलिए इसको विथ्ड्रा कर लेना चाहिए।

श्री मानसिंह महार—मैं विथ्ड्रा करते हुए फिर भी रिक्वेस्ट करूंगा उपाध्यक्ष महोदय, कि मैंने किसी को बिल्ली नहीं कहा। बिल्ली जैसी आवाज आई इसलिए इस बिल्ली को निकाल दीजिये यह मतलब था। किसी सदस्य पर आक्षेप नहीं किया और अगर 'बिल्ली' शब्द कहना ही अनपार्लियामेन्टरी मानते हैं तो मैं वापिस लेता हूं।

श्री भैरूंसिंह—तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि वैसी सूरत में ट्रस्टीज के अपोइन्टमेन्ट्स को लेकर जो गड़बड़ी हो सकती है उस प्रकार की व्यवस्था इस कानून में नहीं है। और परामर्शदात्री जो समितियें बनेंगी उनमें मनोनीत करने की बात रखी जा रही है वह, मैं समझता हूं कि बहुत ही आज के जमाने के लिए असामयिक है। कम से कम राजस्थान सरकार को यह अधिकार दिया जाय कि परामर्शदात्री समितियां बनाये और समितियों में वह सदस्यों को नामजद करेगी तो, नामजद करने के सम्बन्ध में जो आये दिन शिकायतें आती रहती हैं, दूसरी प्रकार की समितियों में नामजदगी होती है और जो शिकायतें आती हैं, सरकार अपने पिट्ठुओं को नामजद करती है, वैसी ही शिकायतें इनमें भी आवेंगी; इसलिए नामजदगी करने का जो ढंग है वह एक अनुचित ढंग होगा। इसके विपरीत जो सही और दूसरा ढंग होगा वह यह होगा कि आप उनका चुनाव करा दें। सरकार का खयाल भी यही मालूम होता है कि नामजदगी को लेकर शिकायतें आवेंगी और वे व्यक्ति कहेंगे कि चुनाव कराये जाने चाहिए। यही है आपकी मंशा भी। आपकी मंशा का द्योतक है वह यह है कि इन सारे ट्रस्टियों के बनाने में, इन समितियों के बनाने में, ट्रस्टियों का और सदस्यों का चुनाव हो जाय। एक तरफ तिरंगा झंडा हो और बोलें महात्मा गांधी जी की जय, दूसरी तरफ दीपक हो और बोलें डा० मुकर्जी की जय। उन प्रन्यासों की सारी संपत्ति पर उन जीतने वालों का अधिकार होगा और जीतने वाले जिस ढंग से चाहेंगे उसका उपयोग कर सकेंगे। जहां इतनी सारी संपत्ति पर अधिकार करने की चेष्टा करेंगे और जितने सारे राजनैतिक दल हैं इसके अखाड़ा बन जावेंगे और संपत्ति का जिस कारण से एकत्रिकरण हुआ है वहां उसका निश्चित रूप से दुरुपयोग होगा। सरकार नामजद करती है; नामजद करने से चुनाव बुरे हैं और नामजदगी चुनाव से बुरी है, इन दोनों चीजों को लेकर सरकार के समक्ष शिकायतें आवेंगी। अगर सरकार समितियों का निर्माण करती है और चुनाव करती है या नामजद करती है और ट्रस्ट द्वारा प्रन्यासों की सम्पत्ति के दुरुपयोग की शिकायतें सरकार के सामने आती हैं तो सरकार को नामजदगी करने की आवश्यकता नहीं है, इसके बनिस्बत तो सरकार अधिकारी को नियुक्त कर दे उसको म ज्यादा

[श्री भैरूंसिंह]

उचित समझूंगा । नामजदगी करने के नजारे हमने रीजनल ट्रान्सपोर्ट में देखे हैं, चार्ट देखे हैं, रिश्वतें खाते हैं और जनता के पैसे का दुरुपयोग करते हैं । जयपुर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मामले को ही ले लीजिये। उसके हिसाब किताब में लाखों रुपयों का घोटाला है, चेयरमेन का इसमें हाथ है, इसकी जांच हुई, रिपोर्ट प्रकाशित हो गई, लेकिन सरकार उनको गिरफ्तार नहीं कर सकती है क्योंकि वे एम. पी. बन गय हैं, कांग्रेस दल के एम. पी. हैं । तो यह नामजद करने का नक्शा है । ये जो नजारे हमको देखने को मिलते हैं वे अच्छे नहीं हैं । इसलिए इस प्रकार की प्रन्यासों की समितियां बना कर, उनमें नामजदगी करना अच्छा नहीं है । हां, ऐसे ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन करें जिनका काम अच्छा नहीं है, जहां पैसे का दुरुपयोग होता है, वहां उसके लिये व्यवस्था करें, देवस्थान विभाग के कमिश्नर जैसे अधिकारी उसमें हस्तक्षेप करें, उस प्रन्यास को सुधारने में उसकी सारी की सारी व्यवस्था अपने हाथ में ले लें ।

दूसरा प्रश्न आता है सरकार के जितने भी ट्रस्ट होंगे उनके खर्चे वगैरह का । आज सरकार कह रही है कि इसके रूल्स प्रेस्क्राइब करेगी । जितनी भी परामर्शदात्री समितियां होंगी उनको देवस्थान के कमिश्नर और असिस्टेन्ट कमिश्नर होंगे वे राय देंगे । मैं समझता हूं कि यदि किसी प्रकार की राय दें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है । वह राय भी अच्छी है । लेकिन राय देने से पहले हमें यह सोचना पड़ेगा कि अगर ऐसे नियम नियन्त्रण के लिए बना दिये जाते हैं कि सरकार किसी मंदिर या ट्रस्ट के लिए यह व्यवस्था कर दे कि ट्रस्ट के जितने मंदिर हैं, उनमें फलां फलां पुजारी होंगे, मर्जी आवे उसको पुजारी रखें, तो इसके लिए जनता को शिकायतें होंगी और सत्तारूढ दल अपने दल के व्यक्तियों को, अपने रिश्तेदारों और अपने मिलने वालों को पुजारी रखेगा । हम प्रगति कर रहे हैं, सेकुलर स्टेट में प्रगति कर रहे हैं, जिसमें धर्म निरपेक्ष की ओर प्रवृत्ति है । आगे चल कर यह हो सकता ह कि मंदिरों में जितने पुजारियों का अपोइन्टमेन्ट होगा, राज्य में फेयर सिलेक्शन के माफिक जिस तरह से अपोइन्टमेन्ट होता है, सिलेक्शन होता है, उसी माफिक होगा ; मैं समझता हूं कि सरकार यह कदम नहीं उठायेगी । आगे चल कर इसमें बाधा उपस्थित हो सकती है । एक पुजारी की जगह किसी एक ट्रस्ट में खाली हुई, ट्रस्ट उस जगह नियुक्ति नहीं कर रहा है, सरकार के पास उसकी शिकायत आयी, सरकार ने कन्सल्ट किया और नियुक्त करके भेज दिया । किसी रिश्तेदार को या मिलने जुलने वाले को अपोइन्ट करके भेज दिया, तो जब शिकायतें आवेंगी तो सरकार रास्ता निकालेगी । जो जगह खाली ह उसके लिए सरकार उसको गजट में निकालेगी और उसके लिए एप्लीकेशन्स इन्वाइट करेगी । गजट में, जितनी एप्लीकेशन्स आती हैं उनमें कोई जाति तो नहीं होती कि भैरूंसिंह, सन ओफ फलां, कौम राजपूत । मैं यह निवेदन कर रहा था कि कोई भी मंदिर के पुजारी के लिए दरख्वास्त दे सकता है, चाहे कोई आर्य समाजी हो, कोई मुसलमान या क्रिश्चियन भी हो, दरख्वास्त दे सकता है, जिसको पब्लिक सर्विस कमीशन के अन्दर क्वालिफिकेशन्स के आधार पर ही देखा जावेगा न कि जात पांत और धर्म के आधार पर, क्योंकि आज के युग में धर्म नाम की कोई क्वालिफिकेशन नहीं हो सकती और जहां यह चीज नहीं हो सकती है वैसी सूरत में पब्लिक सर्विस कमीशन को यह अधिकार होगा कि किसी भी व्यक्ति को चाहे वह मुसलमान हो, चाहे वह क्रिश्चियन हो, चाहे वह हिन्दू हो, चाहे आर्य समाजी हो, नियुक्त करके उस मंदिर में भेज सकती है । मुमकिन है कि मुसलमान भी सिलेक्ट हो

[श्री भैरूंसिंह]

कर आ जाय और उसको हनुमान की सेवा करने के लिए वहां मंदिर में भेजा जाय तो वह "हरि ओम् तत्सत् नमो नमन्ते त्रिकालम् भीष्म धननादहता क्लेशम्, मनु सिद्धे दुख निवारणार्थम्, मम कार्य सिद्धर्थ मम-दास्याम् शरणमभवेतु ।।" इस मंत्र को नहीं बोलेगा लेकिन जाकर वहां "ला इला इल्लिल्ला विसमिल्ला रहमान उर्र रहीम" यह पाठ करेगा क्योंकि वह उस धर्म को मानने वाला है । मंदिर के पुजारी के लिए सिलेक्शन का जो तरीका रखेंगे उस हालत में पब्लिक सर्विस कमीशन सेकुलर दृष्टिकोण को अपनाते हुए किसी विशेष धर्म को प्रोत्साहन नहीं देगा और यदि ऐसी व्यवस्था रखेंगे तो वह व्यवस्था अनकांस्टिट्यूशनल, अनडेमोक्रेटिक और अनजस्ट होगी ।

श्री दामोदरलाल व्यास—The debate should be confined to the Select Committee's Report itself. जितनी बातें कही जा रही हैं वे इससे ताल्लुक नहीं रखती हैं और मैं यह चाहूंगा कि डिबेट रेगुलेट हो, नहीं तो बहुत सारी बातें जो इर्रेगुलर कही जा रही हैं उससे समय खर्च होगा। उपाध्यक्ष महोदय, थोड़ी बहुत रोक लगनी चाहिए। बिल के जो प्रोविजन्स हैं, सिलेक्ट कमेटी ने जो रिपोर्ट पेश की, the member should not go beyond that. What he has to say he must say about the recommendations of the Select Committee and should say against the recommendations of the Select Committee, but it is not desirable that the Member should go beyond the scope of the Report itself. He must confine to that and all these irregular talks will waste time. यह क्या कि मुसलमान पुजारी बन कर आजावेगा · · ·

that is up to you, Sir, how these specially help us ?

श्री उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य को चाहिये कि वे सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट से संबंधित भाषण दें क्योंकि बहुत सी बातें जनरल हो गई हैं और कुछ इसके बाहर भी चली गई हैं ।

श्री भैरूं सिंह—कोशिश यह कर रहा हूं उपाध्यक्ष महोदय कि जो भी बातें सदन में प्रस्तुत करूं उनको समझा जाय लेकिन यहां तो बदकिस्मती यह है कि समय खर्च हो रहा है । पता नहीं, भाग कर जाना है या चाय पीनी है या इस बिल से पिन्ड छुडाना है · · · ·

श्री दामोदरलाल व्यास—I take strong objection. My objection as a matter of fact was justified. I wanted that there should not be any irrelevant talk. I never said that I wanted to go for tea.

श्री भैरूं सिंह—मैं भी सीरियस ओब्जेक्शन लेता हूं। मंत्रीजी ने कहा कि समय खर्च किया गया । यह बात उनके दिमाग में कैसे आई ? आप जैसा स्ट्रोन्ग ओब्जेक्शन ले रहे हैं उसी तरह से मैं भी स्ट्रोन्ग ओब्जेक्शन लेता हूं मंत्रीजी के यह कहने पर कि समय खर्च किया जा रहा है । खुद कह देते हैं और दूसरों के लिये ओब्जेक्शन करते हैं । पहले जिस भाषा का खुद प्रयोग करते हैं वह कैसी भाषा है ?

श्री उपाध्यक्ष—वह कोई ऐसी भाषा नहीं है । आप बिल्कुल कन्फाइन करिये ।

राज श्री हिम्मतसिंह—समय खर्च करने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता ।

श्री भैरूं सिंह (जारी)—यह बिल दो भागों में बंटा है । एक तो सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट और दूसरा मूल पोर्शन । चाहे सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट मंजूर करें और हो सकता है कि मूल मंजूर कर लें····

श्री उपाध्यक्ष—रूल १२० की तहत बहस हो रही है और उसमें यह नियम रखा है कि रिपोर्ट के संबंध में बातचीत की जावे। जो आलटरनेटिव प्रोपोजल है मैं माननीय सदस्य का ध्यान उस ओर आकर्षित करता हूं और पहले भी किया है कि नियम की पाबन्दी की जावे।

श्री भैरूं सिंह--मैं निवेदन यह कर रहा था कि जो इस प्रकार की नियुक्तियें हो सकती हैं उनके बारे में ट्रस्ट प्रोपर्टी के सम्बन्ध में सरकार अपने हाथ में नियन्त्रण ले रही है, वह किसी भी सूरत में उचित नहीं है ।

सिलेक्ट कमेटी ने एक नयी बात इस में जोड़ी है, वह यह कि जो धर्मादा खाता छोटे छोटे गांवों में भी वसूल किया जाता है उस पर भी सरकार का नियन्त्रण रहे। व्यापारियों के दृष्टिकोण से धर्मादा खाता में एक एक पैसा इकट्ठा किया जाता है, वह इसलिये किया जाता है कि गांव की छोटी छोटी धर्म से सम्बन्ध रखने वाली जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान इस प्रकार के धन से किया जाय। हमारी सरकार की आंख इस पैसे पर भी पड गई । एक छोटे छोटे से गांव में जो लोग खरीद फरोख्त करते हैं, क्रय विक्रय करते हैं, वे एक रुपये के पीछे १ पैसा या २ पैसा धर्मादा के रूप में इकट्ठा करते हैं। और वह पैसा इकट्ठा होने के बाद जाता है कबूतर खाना में, पिंजरापोल में, गौशालाओं में या और भी कई छोटे छोटे कामों में। लेकिन हमारी सरकार ने यह सोचा कि इस प्रकार के धन का दुरुपयोग होता है इसलिये उन्होंने इसके लिये नियम बनाया, सिलेक्ट कमेटी ने नियम बनाया, कि इनको गांव की समिति के सामने महावारी हिसाब देना पड़ेगा कि फलां तारीख को २ आने जमा हुए और फलां तारीख को ३ आने या १० आने, इस प्रकार हिसाब देना पड़ेगा और यदि माहवारी हिसाब नहीं दिया तो असिस्टेन्ट कमिश्नर के सामने शिकायत करेंगे कि अमुक व्यक्ति ने हिसाब नहीं दिया इसलिये चल कर उसके हिसाब को देखो । इस पर असिस्टेन्ट कमिश्नर आकर हिसाब देखेगा । मैं जानता हूं, और सभी सदस्य जानते हैं, कि जो व्यापारी कई साल से टैक्स, इन्कम टैक्स की चोरी करते हैं और इस चोरी को छिपाने के लिये हर तरह का प्रयत्न करते हैं वे धर्मादा खाते की एन्ट्री भी नहीं दिखायेंगे। यदि इस बात के लिये उनको परेशान किया जायगा तो उसके दो मतलब होंगे, या तो व्यापारी एक नियम बनायेंगे कि पैसा ले लेंगे और कहीं खातों में जमा नहीं करेंगे और यदि जमा करने की हालत में अगर उनकी तलाशी ली जायगी तो वे यह कहेंगे कि आयन्दा एक पैसा भी धर्मादा खाता में मत दो और इसका मतलब यह होगा कि एक एक पैसा करके गांव के लिये १०० या ५० रु० माहवार इकट्ठा होता था वह नहीं होगा और गांव की भलाई के छोटे छोटे काम नहीं होंगे और न सरकार उसके लिये कोई कम्पेन्सेशन देगी और छोटे छोटे काम सारे रुक जायेंगे। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन चीजों को ट्रस्ट नहीं माना जावे। यह हो सकता है कि डिक्शनरी के मायने के हिसाब से तो यदि १ पैसा भी किसी को दिया जावे तो निश्चित रूप से वह ट्रस्ट है, लेकिन एक एक पैसा करके दो आना माहवार की जहां आमदनी होती है उसको भी रेगुलेट करने के लिये कानून बनायेंगे, उस पर पाबन्दी करेंगे, तो उसका मतलब यह होगा

Page No 71

[श्री भैरूंसिंह]

कि इस प्रकार का पैसा देने वाला यह समझेगा कि कहीं लिटीगेशन में न फंस जाय। इसलिये यह आमदनी नहीं होगी।

दूसरा प्रश्न आता है इन ट्रस्टों के इन्वेस्टमेन्ट के बारे में। ट्रस्ट की पूंजी कहां जायगी? इसके लिये यह व्यवस्था की गई है कि या तो वह बैंक में जमा की जायगी या ऐसे स्थानों में जिनके बारे में ट्रस्टीज ने सरकार के नियमों के अनुसार निर्धारित तरह की जमानत लेली हैं। दोनों बातें बड़ी सुन्दर हैं। सरकार यह कह सकती है कि धन की सुरक्षा के लिये हमने ऐसा कदम उठाया है। मैं भी कह सकता हूं कि यदि इस दृष्टि से देखा जाय तो सरकार का यह कदम बिल्कुल उचित है। लेकिन यह दृष्टिकोण नहीं है। ट्रस्ट के मूलधन में से खर्चा नहीं किया जाता है। लेकिन मूलधन से जो आमदनी होती है उस पर कई ट्रस्ट चलते हैं। मैं आपके सामने एक छोटा सा उदाहरण पेश करना चाहता हूं। मैं जोबनेर हाई स्कूल में पढता था। वहां पर एक चारण सज्जन ने जोबनेर ठाकुर साहब के पास ४०,००० रु० जंमा कराये थे और उस रकम का जो ब्याज आता था उससे ४० चारण लड़के मुफ्त में पढते थे, उनका खाना पीना, कपड़ा, मकान किराया, ट्यूशन फी आदि कुछ नहीं लिया जाता था और वह सारा खर्चा ४०,००० रु० के ब्याज से मीट आउट होता था। यह नहीं था कि वह ब्याज किसी बैंक से आता था या ठाकुर साहब ने किसी की जमानत लेकर उसको रुपये दिये थे और उससे ब्याज आता था। लेकिन साधारण तरह से, ईमानदारी से, जो ब्याज का तरीका है उस हिसाब से काम चलता था। जो आदमी ईमानदार है, जिस पर कोई कलंक नहीं लगा है, ऐसे आदमी पर विश्वास है तो उसको रकम दी जा सकती है और उसके ब्याज से ट्रस्ट का काम चलाया जा सकता है। लेकिन सरकार ने इस कानून में यह नियम रखा है कि यह रकम या तो बैंक में जमा करादी जाय या जमानत लेकर दी जाय। यदि बैंक में जमा करायेंगे या जमानत लेंगे तो जिस प्रकार की आमदनी हम उस रकम से करना चाहते हैं वह नहीं होगी और ट्रस्ट का काम कठिनता से चलेगा और धीरे धीरे मूल धन खत्म होते होते एक दिन ऐसा आयेगा कि मूलधन नाम की चीज ही नहीं रहेगी और ट्रस्ट स्वयं लिक्वीडेट हो जायगा। इसलिये धन को इन्वेस्ट करने के लिये ट्रस्ट को खुली छूट होनी चाहिये। कितने ट्रस्टीज ने रुपये जमा कराये और वे खा गये और उनका आंकड़ा संतोषजनक नहीं रहा? मैं कह सकता हू कि सरकार के पास हजार में से एक भी ऐसी मिसाल नहीं होगी जिसमें यह कहा जाय कि ट्रस्ट के रुपये लोग खा गये। जैन धर्म में तो यहां तक माना है कि भगवान के चन्दन की टीकी देव-द्रव्य से लगाई जाती है। पूजा करते समय उस चन्दन का अंश नाखून में रह जाता है और नाखून को बिना धोये यदि वह मनुष्य भोजन करने बैठ जाय और उस चन्दन का अंश भोजन के साथ उसके उदर में चला जाय तो जैन धर्म के अनुसार यह एक प्रकार का जबरदस्त पाप है। तो जहां इस प्रकार की व्यवस्था हो वहां कैसे कहा जा सकता है कि इस प्रकार के धन को लोग खाने के लिये तैयार हो जायेंगे? मैं यह कह रहा हूं कि आप अविश्वास से काम न करें। समाज की परिस्थितियों को विशेष रूप से देख कर ठीक ढंग से व्यवस्था करें। लेकिन यदि समाज के ढंग को छोड़ कर काम करेंगे तो सरकार का कदम सराहनीय नहीं होगा। सरकार का कदम सराहनीय हो या नहीं लेकिन आपके तरीकों पर चल कर एक बात निश्चित है कि जितने ट्रस्ट हैं वह धीरे धीरे खत्म होने के पथ पर चलेंगे और हो सकता है कि एक दिन आयेगा जब न मन्दिर रहेंगे और न मस्जिदें रहेंगी और न गुरूद्वारे रहेंगे और आप जो भौतिकवाद

[श्री भैरूंसिह]

लाना चाहते हैं वह आजायगा। आज संघर्ष है, सत्तारूढ़ दल का मुकाबला वे ही लोग करेंगे जो धर्म में विश्वास करते हैं। उनको खत्म करने के अजीब अजीब तरीके काम में लाये जाते हैं। थोड़े दिन पहले नग्न मूर्ति का कानून आया था। मुनि लोग जो अपरिग्रह रखते हैं ऐसे लोगों पर पाबन्दी लगाई जाय, नग्न मूर्तियां होती हैं उन पर पाबन्दी लगाई जाय······

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अब ४-५ मिनिट ही और लूंगा। सरकार ने ऐसा दृष्टिकोण अपनाया है कि धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करके धार्मिक भावनाओं को खत्म कर दिया जाय। लेकिन जब ऐसे कानून का विरोध किया गया तो उसे वापिस लिया गया। सरकार ने बिना सोचे समझे इस कानून को भी उपस्थित किया है।

मैं समझता हूं, सरकार भी ऐसा समझ रही है कि यह कानून समयानुकूल नहीं है, पर कुछ बन्धुओं ने इसे प्रेस्टिज का सवाल बना लिया उनको तो वे जवाहरात, जेवर, कीमती सामान और पैसे दीख रहे हैं और देखते हैं कि कानून के नाम से, सरकार के नाम से, एक दफा हमारा उन चीजों पर अधिकार हो जाय तो फिर तो हम भी देखते हैं कि पुजारी, पण्डे वगैरह किस तरह उन चीजों को काम में लाते हैं।

अगर ट्रस्ट में दोष है, खराबी है, उसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी है तो उसको दूर कर सकते हैं, जिस ट्रस्ट में गड़बड़ी हो उसे आप अपने अधिकार में ले सकते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन करके उसे अपने नियन्त्रण में ले सकते हैं।

लेकिन आप यह जो कानून बनाने जा रहे हैं आपको इसके लिये जनमत लेना आवश्यक है। अगर जनमत चाहे कि इस तरह के सभी प्रन्यासों का रजिस्ट्रेशन हो तो उसे कोई नहीं रोक सकता फिर आप रजिस्ट्रेशन सभी ट्रस्ट्स का कर सकते हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ, माननीय उपाध्यक्ष, मैं निवेदन करूंगा कि 'हिन्दू सार्वजनीन प्रन्यास विधेयक' को जनमत जानने के हेतु प्रसारित किया जाय।

श्री मानसिंह महार—माननीय उपाध्यक्ष, मेरा प्रस्ताव यह है कि इस बिल को वापिस उसी सिलेक्ट कमेटी को रेफर किया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन के समक्ष एक ऐसा कानून प्रस्तुत होता है जिसके लिये प्रत्येक व्यक्ति को, जिसका कि अपने अपने धर्म में विश्वास है, अपने धर्म में आस्था है, उसको बड़ा भारी आघात पहुंचता है। सबसे बड़ी आघात पहुंचने की बात यह है कि यह कानून उनके द्वारा थोपा जाता है जिनके लिये धर्म कोई चीज नहीं, जिन्होंने कभी धर्म में विश्वास नहीं किया, यह कानून उन लोगों के द्वारा बनाया जा रहा है जिन्होंने कभी भगवान को नहीं माना, यह कानून उन व्यक्तियों के द्वारा बनाया जा रहा है जिन्होंने कभी न्याय को न्याय नहीं माना। तो अफसोस इसलिये होता है कि जो इस कानून को प्रस्तुत करते हैं वे तो एक प्रकार से पदलोलुप व्यक्ति हैं, वे तो कहीं की चेअरमैन-शिप को भगवान मानते हैं या किसी पद को भगवान मानते हैं या फिर चारों तरफ से सार्वजनिक रूप से पैसों के आने को भगवान समझते हैं।

[श्री मानसिंह महार]

धार्मिक स्थानों में जो पैसे आते हैं या दिये जाते हैं वे उन लोगों की जेबों में से नहीं निकलते जो कि पैसे को भगवान मानते हैं। पैसा वही लोग देते हैं जो पैसे से भगवान को ज्यादा महत्व देते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इसलिये मैं आपके जरिये माननीय मन्त्रीजी से बड़ी नम्रता के साथ निवेदन करूंगा कि इस कानून को बनाने से पहले धर्म में जिन लोगों की आस्था है उनसे विचार विमर्श करें, उनकी राय लें। इस सिलेक्ट कमेटी ने उन लोगों की राय नहीं ली है। तो उन लोगों की राय ली जाय। अगर इसे पब्लिक ओपिनियन के लिये प्रसारित करने को तैयार हों तो बहुत ही अच्छा है, पर अगर इसके लिये तैयार नहीं हैं तो सिलेक्ट कमेटी में तो इसे जरूर भेजा जाय और उस सिलेक्ट कमेटी में धर्म में विश्वास रखने वाले लोगों को बुलाया जाय, उनकी राय ली जाय और उनकी जो राय इस बारे में हो उसकी कदर की जाय। उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन्हीं लोगों के लिये कहता हूं जो वास्तविक रूप से धर्म में विश्वास करते हैं। जिन लोगों का कोई धर्म ही नहीं है उन लोगों की राय अगर कमेटी में ले भी ली गई तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसलिये इस बिल को वापिस सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाय। सिलेक्ट कमेटी में इस बिल को भेजने का मेरा यह पहला मुद्दा है।

दूसरा मुद्दा मेरा यह है कि जिस सरकार का उद्देश्य यह है कि भारतवर्ष में सब धर्मों को एकसा माना जाय वह सरकार आज एक कानून लाती है और उसके ऊपर लिखा जाता है 'राजस्थान हिन्दू पब्लिक ट्रस्ट बिल'। मैं पूछना चाहता हूं कि हिन्दुओं, जैनियों, सिक्खों और बौद्धों ने ही ऐसा कौनसा अन्याय किया है जो उन्हीं लोगों के लिये यह कानून बनाया जा रहा है, मुसलमानों के लिये क्यों नहीं बनाया जाता, ईसाइयों के लिये क्यों नहीं बनाया जाता और ये जो आपके दूसरे घिसर पिसर के धर्म हैं उनको इसमें क्यों नहीं लिया गया? क्या वजह है जो हिन्दू धर्म मानने वालों की धार्मिक सम्पत्ति पर ही आप निगाह डालते हैं, दूसरों के लिये कुछ नहीं करते?

एक तरफ तो आप डींगें हांकते हैं कि भारतवर्ष में प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार हैं, हिन्दू, ईसाई, मुसलमान सभी भाई भाई हैं, क्या यही आपके भाईचारे का नमूना है? एक तरफ तो यह बात कहते हैं और दूसरी तरफ मुसलमानों और ईसाइयों से डर कर उनको छूट दे देते हैं और केवल हिन्दुओं पर ही कुठाराघात करते हैं, यह आपका कहां का न्याय है?

तो यह दूसरा मुद्दा है जिसके आधार पर मैं यहां निवेदन करना चाहता हूं कि इस बिल को दुबारा सिलेक्ट कमेटी को भेज दिया जाय। इन बड़े बड़े मुद्दों की बातों पर विस्तार से तो फिर बाद में कहूंगा। संक्षेप में इन मुद्दों पर पहले कुछ निवेदन कर देना चाहता हूं।

तीसरा मुद्दा मेरा यह है कि इस प्रकार का कानून बनाने जा रहे हैं और इस कानून के द्वारा में ट्रस्ट और ट्रस्टीज को मुकर्रर करने का अधिकार जिन व्यक्तियों को दिया जा रहा है वे कैसे आदमी हैं? देवस्थान कमिश्नर को इसमें काफी पावर्स दिये गये हैं, एसिस्टेन्ट कमिश्नर देवस्थान को इसमें काफी पावर्स दिये हैं। इसके बारे में बड़ी नम्रता से निवेदन करूंगा कि आपकी नीति आज से नहीं, शुरू से यह रही है। आप यह कह कर टाल नहीं सकते कि बीच में वेंकटाचार की सरकार रही और वेंकटाचार ने धार्मिक प्रोपर्टी में से लोगों को लोन दे दिया था। आप यह कह कर टाल नहीं सकते, क्योंकि इन मित्रों के

[श्री मानसिह महार]

देवता तुल्य नेहरूजी की सरकार ने वैंकटाचार को मुकर्रर किया था। और हमें क्या मालूम कि आप ही राजस्थान की गद्दी पर आयन्दा भी बैठे रहेंगे? हो सकता है कि सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट को यहां की बागडोर अपने हाथ में लेनी पड़े क्योंकि जिस प्रकार की अव्यवस्था आपने फैला रखी है उससे स्पष्ट है कि····

(घंटी)

श्री उपाध्यक्ष—इसके सम्बन्ध में ही कहें।

श्री मानसिह महार—वैंकटाचार की आड में शिकार खेलना चाहते हैं इसके बारे में कह रहा हूं। माननीय उपाध्यक्ष, मैं यह निवेदन कर रहा था कि वैंकटाचार की आड में शिकार खेलना चाहते हैं वह नहीं हो सकता। राजस्थान तो फिर मांग कर रहा है कि यहां सेन्टर रूल होना चाहिये, पोपुलर मिनिस्ट्री नहीं होनी चाहिये क्योंकि उन्होंने यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन को खत्म सा कर रखा है। हमें क्या मालूम कि वैंकटाचार नहीं तो विजयवार्य या हनुमानसहाय साहब कोई भी आकर आप लोगों की जगह बैठ सकता है और इस प्रकार का लोन एडवान्स कर सकता है। इस प्रकार की डींग आप नहीं हांक सकते। इस प्रकार की आड लेकर आप शिकार खेलना चाहते हैं इसलिये यह कोई उचित बात नहीं होगी। तो मेरा तीसरा मुद्दा देवस्थान विभाग के बारे में था। माननीय उपाध्यक्ष, मैं रियासतों के समय में देवस्थान विभाग को एक आवश्यक विभाग, धार्मिक स्थानों की रक्षा के लिये, समझता था, लेकिन वर्तमान सरकार के समय में और विशेष कर हमारे वर्तमान मन्त्रीजी के युग में तो वह देवस्थान विभाग एक कृपा पात्र लोगों को रखने का विभाग है। इसमें जिस प्रकार की अवहेलना हो रही है उसके बारे में मैं दो एक मिसालें भी प्रस्तुत करूं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। उपाध्यक्ष महोदय, लाखों रुपयों की गड़बड़ी हुई है।

(घंटी)

श्री उपाध्यक्ष—बिल के सम्बन्ध में ही बोलिये।

श्री मानसिह महार—बिलकुल सही अर्ज कर रहा हूं। अगर गल्ती हो तो मुझे मन्त्री महोदय खुद चैक कर देंगे।

मैं यह निवेदन करूंगा कि सितम्बर १९५४ में मेरी जागीर रीज्यूम की गई थी। महार कलां को आज से दो वर्ष पहले रिज्यूम की गई थी, वहां से कुछ मन्दिरों के लिये, जहां से मैं सेवा पूजा के लिये पैसा देता था, लिस्ट बना कर जागीर कमिश्नर के यहां पेश की और उस सम्बन्ध में सारी जो भी फोरमेलिटीज होनी चाहिये थी उनको मैंने पूरी कर दी थी, मगर उसके बावजूद भी आज इन मन्दिर के पुजारियों को एक पैसा भी भोग-पूजा के लिये नहीं मिल रहा है। पिछले समय जब मैंने इस बात का जिक्र किया तो मन्त्रीजी ने फरमाया कि मैंने कह दिया है और वह बहुत जल्दी हो जाएगा। आप उनकी जल्दी देखिये। आज दो वर्ष तक भगवान के भोग और पूजा के लिये पुजारियों को पैसा नहीं मिले और तनख्वाह न मिले तो उनकी धर्म में क्या आस्था हो सकती है? मैं यह कहूंगा कि ऐसे अधर्मियों को हमारे धर्म में हस्तक्षेप करने का कोई हक नहीं है।

(घंटी)

[श्री मानसिंह महार]

माननीय उपाध्यक्ष, मैं एक मिसाल और दूं आमेर में महालया के सिलसिले में दो बार मेला भरता है। आप वहां की आमदनी की १० या २० वर्ष की रिपोर्ट देखलें। ५०० रु० की मेले के मेले आमदनी होती है, लेकिन गत वर्ष हमारे राजस्व मन्त्रीजी के कृपा पात्र देवस्थान में एसिस्टेन्ट कमिश्नर मुकर्रर हुए। उसके आने के बाद मेला भरा। ५०० रु० से वह आमदनी घट कर १५० या २०० रु० आगई और इस एक मेले में उनको २५० रु० की फर्स्ट क्लास साइकिल खरीद दी गई। उन्होंने कहा कि सीधा पैसा लेकर उसको पैसे के रूप में घर पर नहीं रखेंगे अतः उनको परबारी साइकिल लादी। इसलिये वह साइकिल आई और बाकी के ५०) बचे वे सब दूसरे लोगों में बांट लिये गये। आप इसको नोट करलें। यह सही है। मैं इस बात को साबित करने के लिये तैयार हूं मौका आने पर। गलत बात नहीं कहता। आप उनका नाम भी नोट करलें। उनका नाम श्री हनुमान सहाय पुरोहित है। माननीय उपाध्यक्ष जी, चूंकि मन्त्रीजी नोट कर रहे हैं इसलिये मैंने नाम बताया है। वरना ऐसे नहीं बताता। माननीय उपाध्यक्ष, जिस देवस्थान विभाग की ऐसी दयनीय अवस्था है ......

श्री दामोदरलाल व्यास—यह कोई देवस्थान की डिमान्ड नहीं है माननीय उपाध्यक्ष, जिस पर बोल रहे हैं। We are discussing only a particular Bill and the debate must be strictly confined to that Bill.

श्री उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य जो नियम हैं उनकी पूरी तौर से पाबन्दी करें। देवस्थान विभाग और दूसरे विभाग आदि हैं उनको इसमें नहीं लाना चाहिये। जहां तक इससे सीधा सम्बन्ध सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट से है सिर्फ उन्हीं बातों पर आना चाहिये।

श्री मानसिंह महार—माननीय उपाध्यक्ष, इसमें देवस्थान कमिश्नर और एसिस्टेंन्ट देवस्थान कमिश्नर को बहुत भारी अखत्यार दिये गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष—सिलेक्ट कमेटी के जो सुझाव हुए हैं, ऐसा माना गया है कि जब सिद्धान्त डिसकस हो गये तो उसकी वह स्टेज नहीं रही। सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट जो पेश हुई और जो मुख्य बातें सामने हैं उसमें जो रद्दोबदल हुए हैं उन पर बतावें। बिल के डिटेल्स हैं वे जैसे जैसे सेक्शन्स आते रहेंगे होते रहेंगे।

श्री मानसिंह महार—माननीय उपाध्यक्ष, देवस्थान कमिश्नर और एसिस्टेन्ट कमिश्नर को बहुत भारी अखत्यार दिये गये हैं, उसमें सिलेक्ट कमेटी ने काफी रद्दोबदल किया है इसलिये मजबूर होकर इस बात को सदन के समक्ष लाना पड़ता है। माननीय उपाध्यक्ष, मैं एक और बात निवेदन करूंगा और वह यह कि इस बिल पर जनरल डिसकशन नहीं हुआ और इस मुद्दे को लेकर नहीं हुआ कि सिलेक्ट कमेटी को यह रेफर कर दिया गया है। बाद में कोई दिन होगा। इसलिये १२० धारा की आड़ जो माननीय मन्त्री महोदय लेते हैं वह नहीं ली जा सकती। मैं मानता हूं कि कानून कानून होता है लेकिन इस प्रकार के आश्वासन दिये जाते हैं और वे भी आपके द्वारा, तो मैं यह कहूंगा कि आप तो उस कुर्सी पर बैठे हैं जो १२० धारा जैसी १०० धाराओं को बदल सकते हैं। जब आपने न्यायमूर्ति की हैसियत से आश्वासन दिया था तो मैं समझता हूं कि मुझे रोकना उचित नहीं होगा। यह निवेदन करते हुए मैं ..

श्री उपाध्यक्ष--पर्सनल रेफरेन्सेज नहीं होने चाहिये।

श्री मानसिंह महार--मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, इन्डाइरेक्टली ही कहूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष, तो देवस्थान विभाग में इस प्रकार की अनियमिततताएं हैं। देवस्थान विभाग हिन्दू धर्म को आगे बढ़ाने के बजाय उसको गड्ढे में डालने के लिये कायम किया गया है। ऐसी हालत में देवस्थान विभाग के कमिश्नर को इस प्रकार के अखत्यार दे दिये जावें, यह हम कभी भी बरदाश्त नहीं करेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष, जो हमारा विधान है उसमें यह कहते हैं कि हम धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। फिर क्या बात है? माननीय मन्त्री यह कहेंगे कि विधान के रूप से यह नावाजिब चीज है। हमारे विधान में जब हमारे धर्म को किसी प्रकार से मानने की स्वतन्त्रता है तो इस सरकार को, जो विधान के तहत बनी है, कोई अधिकार नहीं है कि हम हमारे देवताओं की पूजा किस तरह से करते हैं, देवताओं को कितना रुपया चढ़ाते हैं, उसकी जानकारी करें या उसके पैसे किस तरह से खर्च होते हैं उस ओर वह ध्यान दे।

इस सरकार को कोई हक नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, क्या हक हो सकता है? जिसको हमारे धर्म पर विश्वास नहीं, उस सरकार को क्या हक हो सकता है जिसका कोई धर्म नहीं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि उनको क्या अधिकार है इस ट्रस्ट बिल के पास करने का जिनके खुद का कोई धर्म नहीं? हिन्दू हैं, मुसलमान हैं, ईसाई हैं या सिक्ख हैं, क्या हैं? उन लोगों की बात कैसे मान सकते हैं? आज के युग के अन्दर इस प्रकार की बातें मेजोरिटी के आधार पर की जायगी तो मैं कहूंगा कि देश को रसातल में ले जाने वाली बात होगी....

श्री कंवरलाल जेलिया--कुछ दिनों पहले आप भी तो उसी कांग्रेस में थे?

श्री मानसिंह महार (जारी)--मेरे कोटा से आये हुए मित्र की बात मेरे दिमाग में जंची नहीं। जिस रोज मैं कांग्रेस में गया उस समय के लीडर के धर्म का हमें पता था। आज मुझे संशय है। मैं इससे अधिक कुछ कहना नहीं चाहता उपाध्यक्ष महोदय, मगर मुझे उकसाते हैं कुछ कहने के लिये, अतः मेरा आपसे निवेदन है कि आप माननीय सदस्यों को कह दीजिये कि वे मुझे डिस्टर्ब न करें ताकि मेरे मुंह से ऐसी बात न निकल सके।

श्री उपाध्यक्ष--आप तो अपना भाषण जारी रखिये, उनकी सुनिये मत।

श्री मानसिंह महार--इस बारे में मैं निवेदन कर रहा हूं। इस कानून को देखने के बाद मुझे ऐसा लगा जिस प्रकार से हमारे बाहर देहातों में कोई दिवालिया सेठ होता है वह नई नई तरकीबें ईजाद करता है, वह यह कहता है अब तो दिवाला निकलने वाला है किसी तरह से पैसा हड़पने की तरकीब अपनायी जावे, तो उसके पास जितनी भी पूंजी होती है, पैसा होता है, उसको लेकर भागने की चेष्टा करता है। इसी प्रकार की मिसाल हमारे समक्ष प्रस्तुत हो रही है। मैं यह समझता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि इस प्रकार से जो पैसा इकट्ठा किया जायगा, कहा यह जाता है कि वह पैसा देश की उन्नति के लिये लगाया

[श्री मानसिंह महार]

जायगा, देश के कल्याण के लिये वह पैसा लगेगा। उपाध्यक्ष महोदय, जहां देश के कल्याण के लिये पैसा लगने का सवाल है यदि ईमानदारी से वह पैसा वास्तव में लगता है तो मैं पहला व्यक्ति होऊंगा जो इस बात का समर्थन करूंगा। लेकिन देश के कल्याण की, हिन्दू धर्म के कल्याण की, कोई बात नहीं। यह तो निज के कल्याण की, निज की थैलियां भरने की बातें हैं। आड़ तो दूसरे लोगों की ली जाय और दूसरे लोगों को आड़ में लेकर अपना स्वार्थ सिद्ध किया जाय यह बड़ी बुरी परम्परा है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पर लान्छन आयगा कि आप तो इस बात की काट करते हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास--यह लान्छन लगाया किसने ?

श्री मानसिंह महार (जारी रखते हुए)--उपाध्यक्ष महोदय, पंचवर्षीय योजना में राजस्थान का जो पैसा खर्च हो रहा है उसमें हमारा दिवाला निकलता जारहा है। उस दिवाले को रोकने के लिये हिन्दू ट्रस्ट बिल पास करके पैसा पैदा करने की चेष्टा की जा रही है। अगर हमारा पैसा सही ढंग से खर्च हो तो हमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं, लेकिन पैसा तो बक्सी जैसे इन्जिनियरों को रखकर, अपना चुनाव प्रचार कराने के लिये उनसे काम लिया जाता है और जिनको गुढा जैसे बांध के निर्माण का कार्य सौंपा जाता है, जिसमें २०-२५ लाख रुपये लग जाते हैं और जो दीवारों में बालू भर देते हैं और पैसा हड़प कर जाते हैं, आज जब कि मैं यह बातें कह रहा हूं वे हंस रहे हैं उनको तो अफसोस होना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, वे हंसते हैं और हमारी आत्मा को जलाते हैं। हमको बड़ा अफसोस होता है कि हमारे धन का इस प्रकार दुरुपयोग किया जाता है। दुरुपयोग करके और फिर इस प्रकार हंसकर निर्लज्जता बताई जाती है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारा संविधान जिसकी हम बहुत कद्र करते हैं, जिसको हम शिरोधार्य समझते हैं, उसकी आड़ में अगर कोई आये तो हम उसको हाथ पकड़ कर हटा सकते हैं। हम तो चाहते हैं कि डेमोक्रेटिक तरीके से सही हो जाय, नहीं तो हमें धर्म की रक्षा के लिये कुछ और करना पड़ेगा। जब तक पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे व्यक्ति हमारे प्रधान मंत्री हैं उनसे हम इस बात की आशा रखते हैं वे जरूर हमारे यहां सुधार करेंगे। वे हर जगह भगवान स्वरूप बनकर पहुंच सकते हैं। उनको क्या मालूम उनके नीचे काम करने वाले व्यक्ति कैसे हैं, वे पंचवर्षीय योजना का स्वरूप किस प्रकार दे रहे हैं, वे देश का भला करते हैं या निज का भला करते हैं। जो इस कुर्सी पर बैठने के बाद दुगुना वजन कर लेते हैं . . .

(घंटी)

श्री उपाध्यक्ष--पंचवर्षीय योजना की बात इसमें नहीं है।

श्री मानसिंह महार--(जारी रखते हुए) उपाध्यक्ष महोदय, मैं हिन्दू ट्रस्ट बिल पर बोल रहा हूं। यह तो मैंने एक नजीर प्रस्तुत की। अगर उपाध्यक्ष महोदय, आपको ये बातें ठीक नहीं लगती हैं तो मैं फिर अपनी बात पर आता हूं। उपाध्यक्ष जी मेरी यह निश्चित धारणा है कि इस कानून को पास करके हम हिन्दू धर्म के ऊपर बहुत बड़ा भारी कुठाराघात कर रहे हैं। इस कानून के पास करने से जैन धर्म के ऊपर बड़ा भारी कुठाराघात होगा। यह मेरी धारणा है, उपाध्यक्ष महोदय, आज जैन मन्दिरों के अन्दर जो बड़ी बड़ी सम्पत्तियां हैं जिनका आज इतना सदुपयोग हो रहा है, जिसकी कोई हद नहीं। जैन मन्दिरों की सम्पत्तियों से बड़े बड़े स्कूल, हाई स्कूल, इन्टर कॉलेज तक चल रहे हैं। अगर

[श्री मानसिंह महार]

उनको आप हड़प लेंगे तो उपाध्यक्ष महोदय, वे स्कूलें बन्द हो जायेंगी और अगर कुछ लगायेंगे तो टैन परसेन्ट से ज्यादा नहीं, इस प्रकार ९० प्रतिशत रुपया गवर्नमेन्ट को चला जायगा।

मैं यह जानना चाहता हूं कि इस बिल को लाने का मकसद क्या है, सरकार की अन्दरूनी इच्छा क्या है ? उपाध्यक्ष महोदय, मैं बड़ी रिलेवेन्ट बात कह रहा हूं इसको टाला नहीं जा सकता। उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर में गोपीनाथजी का मन्दिर है, उस पर सरकार की नीयत बिगड़ी और उस पर कब्जा किया नाजायज.....

(घंटी)

श्री मानसिंह महार--उपाध्यक्ष महोदय, यह तो मैं श्री गणेश कर रहा हूं। यह तो बिल्कुल रिलेवेन्ट बात है, मैं यह बता रहा हूं कि इस बिल की उत्पत्ति कैसे हुई ? अच्छी नीयत से यह बात होती तो यह नौबत नहीं आती। श्री गणेश ही बदनियती से हुआ तो क्या किया जाय ? यह फैक्ट है। गोपीनाथजी के मन्दिर को अपने कब्जे में करने की नीयत बिगड़ी, उसकी दो वजह थीं, उपाध्यक्ष महोदय, महन्तजी के उन दिनों चोरी होगई। उन महन्तजी ने सरकार की तरफ से जो कामदार यानी एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त था उसको निकाल दिया। उस मन्दिर पर जयपुर रियासत के समय से ही सरकार का आधा अधिकार चला आ रहा था। अगर कोई योग्य व्यक्ति कामदार रखा जाता तो काम ठीक से भी हो सकता था जैसे रिटायर्ड सेटलमेन्ट कमिश्नर पहले कामदार सरकार की ओर से नियत किये हुए थे। पहले योग्य आदमी थे इसमें कोई शक की बात नहीं। लेकिन उसके बाद हमारे जागीर कमिश्नर महोदय के कृपापात्र भटजी को कामदार कर दिया गया।

(घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, बिलकुल टू दी पोइन्ट अर्ज कर रहा हूं। अगर झूंठ बात कहूं तो मेरे खिलाफ सदन चाहे वह कार्यवाही कर ले। इस बिल की उत्पत्ति कैसे हुई यही बता रहा हूं। बिलकुल बिल की उत्पत्ति बता रहा हूं मैं सदन को। तो वह कृपापात्र कामदारजी जा पहुंचे। उन्होंने देखा कि हम तो ऊपर से मुकर्रर हुए हैं। उन्होंने ऊपर वालों को ही खुश रखने में जमीन आसमान एक कर दिया और उधर उन बेचारे महन्तजी को परेशान कर दिया। उन्होंने ऊपर दाद फरियाद की, पर उनकी कुछ नहीं सुनी गई। आखिर थक थकाकर हमारे पास आये, उन्होंने कहा कि कामदार ऐसी ऐसी नीच बातें कर रहा है। क्या करूं ? कोई रास्ता बताओ कि उससे पिण्ड छूटे। हमने राय दी कामदार को निकाल बाहर फैंको। ऐसा कौनसा कानून है जिसके मातहत उन्हें ऐसा कामदार आप पर थोपने का अधिकार है ? बस फिर क्या था, महन्तजी ने हिम्मत बांधकर दूसरे दिन ही उन कामदारजी के बिस्तर गोल कर दिये, निकाल बाहर फैंका। यह होने के बाद सरकार को बड़ी लज्जा आई। उन्होंने देखा कि यह तो बड़ी बेजा बात हुई, हमारे रखे रखाये कामदार को इस तरह बेइज्जती के साथ निकाल दिया और कामदार भी वह जो हमारा विशेष कृपापात्र है, ऐसा वैसा नहीं। रिटायर्ड सेटलमेन्ट कमिश्नर महोदय भी अगर होते तो कोई बात नहीं, पर उस कृपापात्र कामदार को निकाल देने की हिम्मत उस महन्तजी की कैसे हो गई। इस पर बड़ी बिगड़ी सरकार, उन्होंने महन्तजी को बड़ा डराया धमकाया। और अपने रोब से उसे दुबारा अपोइन्ट कर दिया। इस पर महन्तजी ने कोर्ट में रिट करदी। रिट उनकी मन्जूर हो गई। वे कामदार

[श्री मानसिंह महार]

महोदय, और कृपापात्र कामदार महोदय धरे धराये रह गये, आज वे कामदार जी बालाए ताक रक्खे हुए हैं और महन्तजी अपना काम खुद कर रहे हैं। इस पर सरकार की नींद उड़ी। उन्होंने सोचा यह तो बहुत बेजा बात हुई, हमारी नाक कट गई। इन मन्दिरों पर तो हमारा कोई अधिकार ही नहीं चलता। तो ऐसा कोई रास्ता अवश्य ढूंढना चाहिये कि इन पर अपना कब्जा किया जा सके और यह जो काफी पैसा इन लोगों के पास है उसे किसी तरह अगले चुनाव में काम में लिया जा सके। तो सोचा कि अब क्या किया जावे तो, इस हिन्दू ट्रस्ट बिल की बात सोची गई और इस तरह इस बिल की उत्पत्ति उस दिन के बाद हुई। तो इस तरह इस गोपीनाथजी के मन्दिर से इसकी उत्पत्ति हुई है। ये शेखावतों के सबसे बड़े देवता हैं तो इससे वहां के महन्त नेचुरली राजपूतों की तरफ झुके हुये थे। तो गोपीनाथजी कहने वालों की वे सेवा कर सकते हैं। 'नमस्ते वालों से उसने कम वास्ता रक्खा। तो उपाध्यक्ष महोदय, तो शुरूआत तो इस तरह से हुई और गुस्सा था इन हिन्दू मन्दिरों पर सरकार को, पर इसमें बिना वजह हमारे ये जैन बन्धु, बौद्ध और सिक्ख बन्धु भी आ गये, ये भी लपेट में आगये। यह जो किस्सा इसकी उत्पत्ति का मैंने बताया वह अगर गलत हो तो मैं माननीय मन्त्रीजी महोदय से यह आशा करूंगा कि वे इसका क्लैरिफिकेशन दे देंगे। तो यह बात हुई उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से इसकी उत्पत्ति हुई।

श्री उपाध्यक्ष—कितना टाइम आप लेंगे?

श्री मानसिंह महार—अभी तो कम से कम आधा घंटा और लूंगा यह तो उपाध्यक्ष महोदय, इतनी महत्वपूर्ण बात है कि मुझे तो इस पर बोलने की इजाजत दी ही जानी चाहिये। मैं ऐसी संस्था को रिप्रेजेन्ट करता हूं, रामराज्य परिषद को, जिसके लिये धर्म तो सबसे बड़ी चीज है। तो हम लोगों को भी आप इजाजत नहीं देंगे तो जिनकी धर्म नाम की कोई चीज ही नहीं है जिनका कोई धर्म ही नहीं है वे क्या बोलेंगे और उनको क्या इजाजत देंगे?

श्री उपाध्यक्ष—इजाजत तो पूरी दी जा रही है।

श्री मानसिंह महार—तो निवेदन करना यह था कि इस प्रकार से इस हिन्दू ट्रस्ट बिल की उत्पत्ति होकर यह सिलेक्ट कमेटी में भेजा गया लेकिन सिलेक्ट कमेटी भी उपाध्यक्ष महोदय, अगर सर्व सम्मत्ति होकर इस पर कोई राय व्यक्त करती तो इस पर विचार करने की कोई बात आती पर सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट देखी जावेगी तो मेरे दांता रामगढ से आने वाले मित्र का एक लम्बा चौड़ा मिनिट आफ डिसेन्ट, फिर मेरे परबतसर से आये मित्र का भी एक बड़ा ही जोरदार शब्दों में विद्वतापूर्ण नोट आफ डिसेन्ट मिलेगा। इसके बाद हमारे छोटी सादड़ी से पधारे हुए मित्र का भी बड़ा अच्छा नोट आफ डिसेन्ट मिलेगा और उनका ही क्या हमारे सिरोही की तरफ से पधारे हुए छोटी सादड़ी नहीं बडी सादडी फरमाते हैं गलती हुई, मैंने छोटी सादड़ी बताई और चौथा नोट आफ डिसेन्ट उपाध्यक्ष महोदय, सिरोही जहां पर कि जैनियों के बहुत बड़े बड़े मन्दिर हैं जहां पर जैनियों की करोड़ों की संपति मौजूद है, बड़े ही पुराने वे मन्दिर हैं आबू में, सिरोही में, तो वहां से आये हुए मेरे मित्र जो हैं उनका नोट आफ डिसेन्ट भी मिलेगा। मैं तो आशा करता था कि वे भी इस पर कुछ विचार अपने व्यक्त करें लेकिन वे कुछ नहीं बोले इसलिये कि शायद उनको कुछ कहा गया है कि मत बोलो या ऐसी

[श्री मानसिंह महार]

कोई बात है इसलिये उन्होंने अपने विचार व्यक्त नहीं किये हैं, पर उन्होंने जो नोट आफ डिसेन्ट दिया है वह बहुत ही सुन्दर ढंग का है। इन सारे नोट आफ डिसेन्ट को पढ कर उपाध्यक्ष महोदय पूरी सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट को पढ़ते हुए ऐसा महसूस होता है कि हम कोई ऐसा काम करने जा रहे हैं जो बुनियादी तरीके पर गलत हो। हम कोई ऐसा काम करने जा रहे हैं उपाध्यक्ष महोदय, जिसके लिये कि धर्मप्राण जनता, आम जनता के लिये मैं नहीं कहता, मैं केवल धर्म परायण जनता के लिये कहता हूं कि जिनको धर्म में आस्था है, उन लोगों को कुछ ठेस पहुंचती है। आज के युग में इस प्रकार की कोई कार्यवाही करना कतई उचित नहीं है। अब बात रही ट्रस्ट के फोर्मेशन की। किस प्रकार से यह बनाया जावे, क्या किया जावे, इसके बारे में भी मैं निवेदन करूं कि हमारे समक्ष उपाध्यक्ष महोदय, एक बहुत भारी घोटाला मौजूद है इन धार्मिक स्थानों के बारे में। उसको देखते हुए इस कानून को जब हम देखते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम यह समझते हैं कि हम कहां पहुंच रहे हैं, क्या किया जायगा। वह घोटाला कुछ ही दिनों पूर्व यहां भी सुनने में आया था। इस सदन में भी इस पर थोड़ा बहुत हंगामा मचा था। इसकी गूंज तो दिल्ली तक में हुई थी और काफी अफसरों के भी ट्रान्सफर हुए थे। शायद मंत्रीजी तो समझ भी गये हैं और वह घोटाला मैं बता ही दूं नाथद्वारा की कमेटी को लेकर हुआ था, जिसने कि वर्तमान सरकार के आदेश का पूर्णतया पालन नहीं किया था, इसलिये उस कमेटी को तोड़कर······

(घंटी)

श्री उपाध्यक्ष—पहले बहस हो गई है इस पर।

श्री मानसिंह महार—बिलकुल रिलेवेन्ट बात है उपाध्यक्ष महोदय, और आप तो धार्मिक वृत्ति के हैं फिर इन धार्मिक मामलों में तो आप हमें बोलने दीजिये, नहीं तो अगर आगे चलकर कहीं मीरा मन्दिर के ऊपर आक्षेप हो गया तो आप क्या करेंगे इसलिये अर्ज कर रहा हूं कि कल हाथी साहब को आपके चितौड़ के मीरा मन्दिर में पहुंचा दिया जावेगा तो आप क्या करेंगे, क्या होगा ? इसलिये मुझे इस धार्मिक मामले में थोड़ा डिटेल में निवेदन करने दें ताकि मैं सदन को कनविंस कर सकूं, प्रार्थना कर सकूं कि यह कोई सरकार का मामला नहीं है, यह कोई हिन्दुस्तान का डवलपमेन्ट का मामला नहीं है, कुछ कांग्रेस का मामला नहीं है, यह जनसंघ का मामला नहीं है, यह रामराज्य का भी मामला नहीं है, यह प्रत्येक व्यक्ति के धर्म का मामला है। अगर आप अपनी धर्म की स्वतन्त्रता को ही छोड़ देंगे तो इससे बढ़ कर बुरी बात नहीं होगी। इसलिये मुझे इस नाथद्वारा काण्ड के बारे में भी थोड़ी बात निवेदन करने दें तो बड़ा अच्छा होगा। तो वहां पर एक नई कमेटी थोप दी गई जिसमें कि कुछ कृपापात्रों को भर दिया गया। इस पर बम्बई के वैष्णवों ने यहां के और यहां के भी वैष्णव समाज ने बड़ा विरोध किया और हम जानते हैं कि यहां पर तो इस प्रकार के विरोध का क्या असर होता और न हुआ भी, लेकिन मोरारजी देसाई और कन्हैयालाल माणिकलाल मुन्शी सरीखों ने जब बम्बई के वैष्णवों का ऐतराज सेन्टर में पहुंचाया तब कुछ यहां की सरकार के मन्त्रियों में और उस कमेटी के मामले को लेकर भाग दौड़ मची। और तब फिर सारे मामले को दबाया गया और यहां तक दबाया गया कि डिप्टी सेक्रेटरी, रेवेन्यू को तो तब्दील होना पड़ा उस सिलसिले में और सेन्टर में बातचीत होकर

[श्री मानसिंह महार]

वह कमेटी भी दुबारा रिफार्म हुई। यह बड़ा अच्छा हुआ कि इस प्रकार की बात आज से पहले ही हमारे सामने प्रस्तुत हो गई। नहीं तो आज हमको यह जस्टिफाई करने की भी गुन्जाइश नहीं रहती कि उनकी नीयत में कोई फितूर तो नहीं है।

लेकिन अब तक यह स्पष्ट है कि नीयत साफ है कि नहीं यह सब देखलें। उपाध्यक्ष महोदय, आपके जरिये इस सदन के प्रत्येक सदस्य को यह बताना चाहता हू कि यह कोई मामला मेरा निजी मामला नहीं है। इस मामले से आप लोगों को भी कोई ऐसा खास फायदा नहीं होने वाला है कि आपकी कान्स्टीटुएन्सी में तालाब खोदा जायगा या कोई स्कूल खोला जायगा। इस प्रकार की बात नहीं करने वाले हैं। इस मामले में तो कोई खास खास बड़े ही काम होंगे, जैसे बूंदी में बान्ध बनाया जायगा, मालपुरे में कोई बड़ा स्कूल खोला जायगा या उदयपुर में एग्रिकलचरल कालेज खोला जायगा····

श्री दामोदरलाल व्यास—महार में भी कुछ खुलेगा।

श्री मानसिंह महार—आपकी दया हो जायगी और मैं हां में हां मिलाने लगूंगा तो सब कुछ हो जायगा। क्या बड़ी बात है? मगर दुर्भाग्य से यह मैंने सीखा नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय, कि राग में राग अलाप्। इसलिये आशा नहीं है।

इसलिये मेरा निवेदन था कि सदस्यों की इस प्रकार की बात से मैं कुछ अपने प्वाइन्ट से अलग जा रहा हू। इसलिये मैं सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट······

श्री उपाध्यक्ष—बहुत अलग जा रहे हैं। रीकमिटमेन्ट के लिये जो पोइन्ट्स हों वे कहिये।

श्री मानसिंह महार—इसलिये वही अब निवेदन कर रहा हू।

मेरे मित्र जो परबतसर से आये हुए हैं उन्होंने इसके लिये जो सबसे बड़ा एतराज किया है वह यह है कि वह यह कहना चाहते हैं कि व्यापारियों के द्वारा जो धर्मादे की रकम वसूल की जाती है उनसे कई धार्मिक, समाजिक एवं शक्षणिक संस्थाएं चलती है। धर्मादे की रकम पर जिस तरह का नियन्त्रण रखने की व्यवस्था इस धारा में दी गई ह उसके पास होने की हालत में व्यापारीगण धर्मादे की रकम वसूल करना बन्द करने की स्थिति पैदा कर सकते हैं जिससे धर्मादे से चलने वाली संस्थाओं को बन्द होने का खतरा पैदा हो सकता है। मेरी राय में इस नई धारा की कोई आवश्यकता नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष, धारा १५ ए एक ऐसी धारा है जिसको लेकर अगर ७ दिन तक भी वाद-विवाद किया जाय तो थोड़ा ह। लेकिन मैं यह निवेदन करूंगा कि मैं तो बहुत संक्षेप में कहने वाला आदमी हू। मैं यह समझता हू कि जिस रोज गोपीनाथजी के मन्दिर में हमारे मन्दिर के पुजारियों के साथ हुई दुर्घटना कि धार्मिक स्थानों का पैसा हड़पा जाय, उस दिन के बाद से और सिलेक्ट कमेटी में यह बिल आया तब वह इस उधेड़बुन में रहे कि धार्मिक स्थानों में इतना पैसा नहीं मिल सकेगा जितना कि वे चाहते हैं। तो और कोई बात ईजाद की जाय। तो इस दरमियान में बुद्धि की दौड़धूप में मन्त्रीजी के दिमाग में यह बात आई कि धर्मादे की रकम भी इसमें आजाय और उसको भी अपने सदुपयोग में

[श्री मानसिंह महार]

ले लें तो क्या बात है। मैं नहीं कहता कि वह दुरुपयोग में जायगी, क्योंकि जो व्यक्ति निजी काम में कोई चीज लेता है तो यही सोच कर लेता है कि वह उसका सदुपयोग कर रहा है। उनके दिमाग में यह बात बिल्कुल सदुपयोग की बात है, क्योंकि उनके दिमाग में चुनाव घूम रहा है। चुनाव के लिये जो पैसा जिस तरह से आजाय उसको सदुपयोग माना जाय। लेकिन वास्तविकता यह है, उपाध्यक्ष महोदय, कि धर्मादे की रकम क्या होती है इस ओर देखिये, और उस पर सरकार के नियन्त्रण करने का क्या अधिकार है? इस बात की ओर ध्यान देना चाहिये। दूकान से मासिक या वार्षिक प्रत्येक व्यापारी जो है वह धर्मादे की रकम अपने व्यापार में से इकट्ठा करता है। कुछ आप देता है और कुछ जिनको वह सामान बेचता है उनसे वसूल करता है। यह रकम कोई जबरदस्ती वसूल नहीं की जाती है। उपाध्यक्ष महोदय, जो धर्मप्रिय जनता होती है वह स्वयं देती है। धर्म के मानने वाले व्यक्ति धर्मादे की रकम के लिये झगड़ते हुए नहीं मिलते हैं। वह सदा दिल के साथ लगा हुआ रहता है। यह छुपाया नहीं जाता है। धर्मादे की ऐसी कोई बड़ी रकम नहीं होती है। प्रत्येक ट्रान्जेक्शन पर दो पैसे धर्मादे की रकम होती है और उस रकम का वह व्यापारी जो होता है साल के अन्त में लेखा जोखा देखता है कि अपने पास कितने रुपये होगये हैं और उसके मुताबिक वह बजट बनाता है। छोटे व्यापारियों के पास १०० या २०० रू० होते हैं उस रकम से वह कबूतरों को मक्का या ज्वार डालता है या गउओं को घास वगैरा डाला जाता है, और कई जगह ऐसा भी देखा गया है कि गरीब अबलाओं को या छात्रों को स्कालरशिप के रूप में उस रकम में से दे देते हैं या और कोई धर्म का काम होता है उसके मातहत भी कुछ लेनदेन कर देते हैं। ऐसी सूरत के अन्दर मैं यह समझ नहीं सका उपाध्यक्ष महोदय, कि यह बात कैसे ईजाद हुई कि धर्मादे की रकम पर भी इस प्रकार का ट्रस्ट बनाना चाहिये। आज तक कहीं सुना नहीं गया कि धर्मादे की रकम का कहीं पर दुरुपयोग हुआ है। अगर एक महानुभव भी इस बात को साबित कर देते सरकारी पक्ष के साहब मेरे मित्र ने कहा कि धर्मादे की रकम को किसी बुरे काम में यानी रंडीबाजी में लगाया गया है। ऐसी बात है तो हम मान सकते हैं कि वह बात गलत है। यह बात साबित नहीं होती है। ट्रस्ट बनने के बाद भी पैसा जहां जायगा वह हम जानते हैं उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी सूरत में हम नहीं कह सकते हैं कि उसका क्या सदुपयोग होगा इस धर्मादे की रकम का? यहां तो धर्मादे की छोटी छोटी रकमें होंगी लेकिन बम्बई और कलकत्ता में जो सेठ लोग व्यापार करते हैं उनके पास इस रकम के लाखों रुपये होते हैं। वह जब राजस्थान में आते हैं तो दिल खोल कर दान करते हैं। वे यहां पर स्कूल बनवाते हैं, अस्पताल बनवाते हैं या और कोई काम करते हैं। अगर इस बात को देखना है, उपाध्यक्ष महोदय, तो काली डेरा सेहरियों का दान किया हुआ जो काम है वह एक नमूना है इस धर्मादे के सदुपयोग का। मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि काली डेरा के अन्दर सेहरियों ने जिस प्रकार की इमारतें खड़ी की हैं इस ट्रस्ट को बनाकर सरकार कभी भी उसका सदुपयोग नहीं करेगी जिस प्रकार कि उन सेठियों ने उसका सदुपयोग किया है। इसी तरह से शेखावाटी, बीकानेर में या और जहां सेठों की बस्ती है उन्होंने कितना काम किया है, इसी धर्मादे की रकम से उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे अस्पताल खोले हैं, बड़ा दान किया है। गरीबों को पैसा दिया है, छात्रों को छात्र-वृत्तियां दी हैं, कई अच्छे अच्छे कामों में पैसा लगाया है। गांवों के अन्दर जोहड़ खुलवाये हैं। अकाल पड़ जाने पर लाखों रुपयों का अनाज मंगवा कर बांटा है। वह हो रहा है। इस प्रकार के ट्रस्ट अगर बना दिये जायेंगे और व्यापारी

[श्री मानसिंह महार]

वर्ग को मजबूर करेंगे, हिसाब देखने की नई बीमारी खड़ी हो जायगी तो जिस प्रकार से सेल्स टैक्स, जिस प्रकार से इनकम टैक्स वगैरह के लिये उनको नौकर रखकर काम करवाना पड़ता है उसी तरह धर्मादे की रकम के लिये अलग ही खाते रखने पड़ेंगे और अलग नौकर रखने पड़ेंगे । तो वह देखेगा कि इससे बहतर तो यह है कि धर्मादा लेना ही छोड़ दे। तो एक रकम जो स्वतः धर्म के काम में लगती है; आज तक लगती आई है; जिसका कोई दुरुपयोग नहीं सुना। अगर एक जगह भी धर्मादे खाते की रकम का दुरुपयोग हुआ हो तो हमारे मित्र बता देंगे कि फलां जगह दुरुपयोग हुआ है तो हम मानेंगे कि यह धारा ठीक है, यह धारा जोड़ना ठीक है। यह बात कहीं भी नहीं है फिर भी इस प्रकार की बातें करना और धर्मादे को किसी तरह से समेट कर समुद्र में गोते मार जाना यह कोई वाजिब बात नहीं मानता।

(श्री राजस्व मन्त्री के दीर्घा में से आने पर) अब तो जरा रुचि आई बोलने की, क्योंकि मन्त्रीजी आकर बैठे हैं।

तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं धर्मादे के बारे में निवेदन कर रहा था। वह अविष्कार हुआ है ऐसी बात है कि धर्मादे के क्लाज को हिन्दू ट्रस्ट बिल के अन्दर जोड़ा गया है, उस आविष्कार के लिये तो मैं मन्त्री महोदय की बुद्धि को दाद देता हूं। मैं मानता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि वह वित्त मन्त्री होने के लायक हैं। इस प्रकार से पैसा खींचने की जो मनोवृत्ति है उससे अगर वे वित्त मन्त्री हो जायें तो करोड़ों रुपयों का राजस्थान को लाभ पहुंच सकता है।

उनकी बुद्धि की मैं सराहना करता हूं लेकिन वह बुद्धि अगर सही डिरेक्शन में पैसा इकट्ठा करने की बात करती तो अच्छा होता। लेकिन धर्म के मामले में हड़पने की बातें हों तो वाजिब नहीं हैं। ईमानदारी से इस पैसे को राज्य के कामों में लेंगे, डेवलपमेन्ट के कामों में लेंगे, यह मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूं। हम भगवान के सामने पैसा रखते हैं, धर्मादे में दो पैसा देते हैं तो उनको खर्चा करने का सरकार को यह किसी ट्रस्ट को क्यों अधिकार दें ? जिसको मैं पैसा देता हूं यह तो मेरा और उसके बीच का समझौता है कि उस पैसे को किस तरह से खर्च किया जाय। जो धर्मादे के लिये इसमें रखा है मैं उसका सख्त विरोध करता हूं। मैं मानता हूं कि यह बात बहुत अन्यायपूर्ण है और मैं यह कहूंगा कि सिलेक्ट कमेटी ने इस १५ ए. धारा को जो इस कानून के अन्दर जोड़ने की सिफारिश की है वह एक बहुत ही अन्यायपूर्ण बात है और ये धर्मादे की बातें यहां नहीं होनी चाहिये कि धर्मादे के ऊपर भी कोई ट्रस्ट वगैरा बनाया जाय। तो जो मेरे एक मित्र ने सिफारिश की है वह वाजिब है और मैं समझता हूं कि सिलेक्ट कमेटी के सदस्यों ने एक बार भूल करदी है तो दूसरी बार भूल नहीं करेंगे कि धर्मादा जैसी चीज को इसमें जोड़ा जाय।

उसके बाद माननीय उपाध्यक्षजी, मैं आऊंगा, सबसे बड़ी एतराज जिस कानून पर है उस पर। मैं समझता था कि सिलेक्ट कमेटी इसको बदल देगी। जो 'हिन्दू' शब्द इसके साथ लगा दिया गया है मैं उसका विरोध करता हूं। मैं यह समझता था कि यदि राजस्थान पब्लिक ट्रस्ट बिल होता तब भी कुछ समझने वाली बात थी, लेकिन सेकुलर स्टेट में कहां का हिन्दू, कहां का जैनी, कहां का सिक्ख, कहां का मुसलमान ? यह क्या नई बात इजाद कर दी, 'हिन्दू' ? सेकुलर स्टेट में हमारा विधान कहता है कि

[श्री मानसिंह महार

हिन्दू, जैन, बौद्ध, सिक्ख, ईसाई, मुसलमान सब भाई भाई। डरिये मत, उपाध्यक्ष महोदय। अगर मुसलमानों के धार्मिक स्थानों पर भी बड़ी बड़ी प्रोपर्टीज है तो उन पर भी कब्जा कीजिये । जैन भाइयों के मंदिर, बौद्धों की संपत्ति तो देश के उत्थान में लग रही है और देश के उत्थान में लगाने के लिए वे लोग लगा रहे हैं जिनको देश के प्रति अधिक प्रेम है । आप उन ईसाइयों की तरफ देखिये या उन पाकिस्तानी एजेन्टों की तरफ देखिये, जामा मजिस्द के सामने क्यों बम फटे थे ? दिल्ली के उन स्थानों पर भी थोड़ा कब्जा कीजिये । 'हिन्दू हिन्दुस्तान को कभी छोड़ कर भागने वाले नहीं । उपाध्यक्ष महोदय, प्रत्येक हिन्दू के लिए हिन्दुस्तान बहुत बड़ी जगह है । वह हिन्दू होगा तो यही चाहेगा कि हमारा सब कुछ पैसा घर वही है लेकिन जिनको आप राहत दे रहे हैं, मुक्ति दे रहे हैं उनको देखिये, वे हिन्दुओं का बलात् धर्म परिवर्तन करते हैं, उनके धर्म स्थानों पर ऐसी बातें होती हैं, गुप्त बैठकें होती हैं, उनकी युनिवर्सिटीज जिनमें चन्दा देते हैं (घंटी), ऐसी बातें होती हैं जहां किताबों को जलाया जाता है । उपाध्यक्षजी, इस प्रकार की बातें आज देश में हो रही हैं । इस समय ऐसी बातें होते हुए भी अगर सरकार आंख मींच कर केवल 'हिन्दू' शब्द ही यहां लगा देती है तो मैं यह कहूंगा कि यह प्रत्येक हिन्दू धर्म को मानने वाले व्यक्ति के लिए, इस शब्द में जैन, सिक्ख, बौद्ध भी आगये हैं यह नहीं कि केवल हिन्दू ही हैं, इन तीनों भाइयों के लिए अपमान जनक बातें हैं । उनके धार्मिक स्थानों में जो कुछ पैसा आता है उसको आप डेवलप्मेन्ट के कामों में लगाना चाहते हैं । अगर भारतवर्ष का डेवलप्मेन्ट हो तो आप यह समझते हैं, उपाध्यक्ष महोदय, किं अगर मस्जिदों का पैसा डेवलप्मेन्ट में लगेगा तो मुसलमान यह समझेंगे कि वह पैसा भारतवर्ष में नहीं लगा । क्या कारण है कि उनको छोड दिया गया ? अगर द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पैसे की कमी है और अगर आप मुसलमान भाइयों और ईसाइयों को छोड देते हैं तो उनका आप अपमान करते हैं, उनकी उपेक्षा करते हैं ।

(घंटी)

श्री उपाध्यक्ष—डेवलप्मेन्ट से इस समय काम नहीं ।

श्री मानसिंह महार (अपना भाषण जारी रखते हुए)—अगर आप ट्रस्ट बना रहे हैं, धार्मिक स्थानों पर पैसा है उसका सदुपयोग होना चाहिये यह आपकी नीति है ; आप हिन्दुओं, जैनियों, बौद्धों और सिक्खों के स्थानों को सुरक्षित करना चाहते हैं, सही तरीके से खर्च करने का इन्तजाम करना चाहते हैं तो सेकुलर स्टेट के अन्दर आप न्याय करते हैं मुसलमान भाइयों के साथ ; आप अन्याय करते हैं ईसाई भाइयों के साथ ; उनके जो धार्मिक स्थान हैं ; उनका पैसा है ; उस पर नियंत्रण नहीं करना चाहते । आप यह चाहते हैं कि उनकी दुर्गति होती रहे और उनके मौलाना पैसे का दुरुपयोग करते रहें आप उस ओर क्यों नहीं करते । यह कहां का अन्याय है ? आज के युग में हिन्दू, मुसलमान, जैन, सिक्ख, ईसाई सब एक हैं, भाई भाई हैं । अगर आपको मिलाने का नाम करना है, समाज शुद्धि का काम करना है तो प्रत्येक के लिए करिये । किसी जाति को आप सिंगल आउट नहीं कर सकते हैं । अगर सिंगल आउट करते हैं और हिन्दूओं के लिए ऐसा करते हैं तो ईसाई भाइयों के प्रति, मुसलमान भाइयों के प्रति अन्याय करते हैं, पक्षपात करते हैं । उनकी सम्पत्ति की दुर्दशा हो रही है उसकी रोक होनी चाहिए । आप यह चाहते हैं कि उनकी सम्पत्ति है वह देश के हित में लगे नहीं ? वे देश के भक्त आदमी हैं, वे चाहते हैं कि वह देश के काम में लगे । आप यह

[श्री मानसिंह महार]

डिस्क्रिमिनेशन क्यों करना चाहते हैं ? यह डिस्क्रिमिनेशन नहीं तो क्या है ? आप हिन्दूओं को ही लाभ पहुचाना चाहते हैं ? आज हिन्दू मेजोरिटी में हैं तो मुसलमानों की धार्मिक सम्पत्ति नष्ट हो या गलत तरीके से खर्च की जाय तो ध्यान न दें ? ईसाई भाई जो भी सम्पत्ति यहां लेकर आते हैं उनकी ओर कुछ न करें और केवल हिन्दू जैन सिक्ख बौद्धों की सम्पत्ति पर ही ध्यान देते हैं और उनका अपमान करना चाहते हैं यह कोई ठीक बात नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, अगर माननीय मंत्रीजी यह फरमा देते कि यह सब धर्म वालों पर लागू होता तो हमारा एतराज कुछ कम हो जाता । लेकिन यह कहीं नहीं कहा गया है कि इस कानून के तहत हमने मुसलमानों को और ईसाइयों को क्यों वंचित रखा है ? अगर इस तरह का हो जाता तो कोई बात थी । कोई विशेष बात हो सकती है । मुसलमान और ईसाइयों को कोई खास प्रार्थना-पत्र हो ।

श्री दामोदरलाल व्यास—माननीय उपाध्यक्षजी, माननीय सदस्य जानते हैं कि मुसलमानो के लिए सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट ने मुस्लिम वक्फ एक्ट पास कर दिया है । वह राजस्थान के लिए भी एप्लाई होगा ।

श्री मानसिंह महार—ठीक है, हो गया । सेन्टर हमारे धार्मिक स्थानों के लिए भी बना देगी । आपको इतनी चिन्ता क्यों हुई ? जरा उस मुस्लिम एक्ट को देख लिया जाय । सेन्टर ने कानून बना दिया । नाम मुस्लिम वक्फ एक्ट है । इसका मतलब यह नहीं होता है कि जिस तरह का आप यहां कानून ड्राफ्ट करके लाये हैं वैसा वह कानून है । उसमें मुसलमानों के हकों की रक्षा की गई है । उसमें मुसलमानों के धर्म की रक्षा की गई है । आपकी तरह नहीं कि बालाये ताक रख दिया । आप जाकर तलाशियां लेंगे, पैसे की तलाशियां लेंगे । - हम मंदिरों में जाकर भेंट चढाते हैं गुप्त रूप से ५०० रुपया चढाते हैं, आपको मतलब क्या है कि बोर्ड बिठायें ? आप क्या चाहते हैं ? आपका हक क्या है ? मांगते क्या हैं आप लोग जो इस प्रकार की बात करते हैं ? उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये सदन में बड़े जोरदार शब्दों में कहना चाहता हूं कि मुस्लिम वक्फ एक्ट में इस प्रकार की कतई मुमानियत नहीं है । यह सदन को मुगालते में डालने की बात है कि वक्फ एक्ट की आड़ लेकर ट्रस्ट एक्ट उन पर लागू नहीं किया जाय । ईसाइयों के लिये भी बता देते तो अच्छा होता । मैं गांवडे का आदमी हूं इसलिये ईसाइयों के बारे में कम जानता हूं । लेकिन है नहीं कुछ इनके बारे में······

श्री दामोदरलाल व्यास—बेकार है आपको बताना ।

श्री मानसिह महार (जारी)—यह मैं मानता हूं उपाध्यक्षजी, कि मैं हिन्दू हूं, जन्म से हिन्दू हूं, कर्म से हिन्दू हूं और मरूंगा तब तक इज्जत के साथ हिन्दू रहूंगा यह कह सकता हूं । इसलिये मैं जानता हूं कि वे लोग मुझे क्या समझा सकते हैं जो इस में विश्वास नहीं करते । यह मैं मानकर चलता हूं फिर भी निवेदन करता हूं कि इस प्रकार का जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है वह गलत है । यदि मुस्लिम वक्फ एक्ट बना है तो बन जाने दीजिये । क्या इस में यह कहा गया है कि राजस्थान सरकार को हक नहीं है कि पब्लिक ट्रस्ट एक्ट उन पर लागू नहीं कर सकते । क्या यह आप के परव्यू के बाहर की बात है ? सदन में ऐसी बात करके उसको मुगालते में नहीं डालना चाहिये । यदि वह कानून है

[श्री मानसिंह महार]

तो उसे मुस्लिम मोलवियों ने बनाया है, धार्मिक ढंग से बनाया है। मुस्लिम मेम्बर्स ने खूब राय जाहिर की है। वक्फ कानून सारा का सारा मुसलमानों की राय से बना है। आप इस कानून को यदि हिन्दूओं की राय से पास करें तो कोई बात नहीं है। उपाध्यक्षजी, यह तो धार्मिक मामला है। हम मरेंगे तब तक इसका विरोध करेंगे। इसे तो हम मरते मरते भी पास न होने दें ऐसी कोशिश करेंगे। यह ऐसा अन्याय पूर्ण कानून है...

श्री उपाध्यक्ष—आपको बोलते हुए एक घंटे से अधिक हो गया है।

श्री मानसिंह महार—हम अपोजिशन में ३ आदमी हैं लेकिन इसका तो विरोध करेंगे मरेंगे तब तक। यह बडा भारी डिस्क्रिमिनेशन है। मुसलमानों और ईसाइयों के लिये नहीं बनाया गया है, हिन्दूओं के नाम पर बनाया गया है। जैन भाइयों के बड़े बड़े मंदिर हैं, उनमें खूब संपत्ति है; उनके बढिया बढिया स्कूल चलते हैं, इससे जैन भाइयों का अच्छा काम होता है। उनकी इस पूंजी को हड़पने की बदनीयत के अलावा और कोई शब्द में नहीं कहूंगा।

उपाध्यक्षजी, नाथद्वारा के पुजापे की याद आती है तो लोगों के मुंह में पानी भर आता है, हीरे मोतियों की महक आती है। गोविन्ददेवजी का मंदिर है, जन्म अष्टमी की झांकियों में भगवान नये नये जेवर धारण करते हैं और उनकी चमक दमक देखी जाती है तो आंखों में चकाचौंध हो जाती है। चोरी में थोडा सामान चला गया लेकिन पूरा नहीं निकलवा सके अफसोस यह रह गया नहीं तो कोई बात भी होती। धार्मिक स्थानों की करोड़ों की संपत्ति और चमक दमक पर आपकी आंख लगी है इससे हम अपने धार्मिक स्थानों को बचाना चाहते हैं। उपाध्यक्षजी, हम सरकार से आपके जरिये कहेंगे कि आप के हाथ में है। सेन्टर से कह कर खूब कागज के पत्ते छपवाइये। देश में डेवलप्मेन्ट कीजिये, लेकिन यह जो १०, ५ करोड की धार्मिक स्थानों की संपत्ति है या धर्मिक स्थान हैं उन पर नीयत मत डिगाइये। यह धर्म का मामला है। ऐसा वैसा मामला नहीं है। यह बहुत पेचीदा मामला है। मैं तो यहां तक कहूंगा कि आप के राज्य में तो महमूद गजनी के द्वारा तोड़े हुए सोमनाथ के मंदिर को दुबारा बनाया गया है। अब इसी राज्य में दूसरे गजनी का स्वरूप धारण मत कीजिये। आप हमारे धार्मिक स्थानों को खत्म करने की कार्यवाही मत कीजिये। आप ऐसा मत कीजिये कि हमारे धर्म का तरीका है, उसको छोड़ें। मैं सही कहता हूं कि जितने धर्म को मानने वाले आदमी होंगे उनको मालूम होगा, मैं एक शब्द काम में लाता, लेकिन अफसोस है कि आप मना करेंगे इसलिये नहीं लाऊंगा। देवताओं के चढाई हुई चीज राक्षसों के हाथ में पहुंचे तो उसे नहीं चढाना ही अच्छा है। ऐसी स्थिति हमारे सम्मुख नहीं लावें। मैं एक आखिरी मिसाल प्रस्तुत करता हूं उसके बाद में अपना स्थान ग्रहण करूंगा। इन्दौर के डेली कालेज में मैंने शिक्षा प्राप्त की थी। वहां हमारे धर्म की कद्र की जाती थी। वहां एक हिन्दू मन्दिर था, जिसमें हमें रोज शाम को भगवान के दर्शन करने के लिये जाना पड़ता था। हम उस कालेज में केवल ८०-९० छात्र थे, इससे अधिक नहीं थे। औसतन करीब महीने में एक त्यहार आता था और हम लोग प्रत्येक महीने में १ रु० प्रति छात्र भगवान के अर्पण करते थे। वहां पर यह प्रथा थी कि चढावे का वह रुपया पुजारी को मिलता था। उस समय पुजारी को तनख्वा मिलती थी कुल ४० रु० महावार, लेकिन उसको ८०-९० रु० महावार की चढावे की आमदनी हो जाती थी

[श्री मानसिंह महार]

इसलिये वहां पर बड़े योग्य पुजारी रहते थे। हम जब दर्शन करने जाते थे तब वे पुजारी हमको अच्छी धार्मिक शिक्षा देते थे। लेकिन फिर कुछ धर्म के दुश्मनों की नीयत बिगड़ी और उन्होंने सोचा कि पुजारी को ८०-९० रु० मंथली एक्ट्रा मिल जाते हैं, वे नहीं मिलने दिये जायें। इसलिये यह नियत कर दिया गया कि जो चढावा आवे उसका १० परसेन्ट पुजारी को दिया जाय और बाकी ९० परसेन्ट मन्दिर के डेवलप्मेन्ट के लिये खर्च किया जाय। इसके लिये एक ट्रस्ट बन गया। यह उदाहरण मैं इसलिये प्रस्तुत कर रहा हू कि मन्त्रीजी ने शायद इस प्रकार के ट्रस्ट देखे नहीं हैं। यदि देखा भी है तो उनका तजुर्बा इस प्रकार का रहा है जैसा नाथद्वारा का रहा है। जब इस प्रकार की बात हुई तो १ साल में काफी पैसा इकट्ठा हो गया। हम लोग करीब १००० रु० इकट्ठा कर सके, पुजारी को उसका हिस्सा देने के बाद और उस १००० रु० से हमारे मन्दिर की टूट फूट सुधरवाई गई। लेकिन पहले ही वर्ष में क्या बिजली गिरी कि वह जो योग्य पढ़े लिखे धर्म प्रेमी पुजारी थे वे छोड़ कर चले गये। उन्होंने कहा कि ४०-५० रु० में मेरा गुजर नहीं चलता। मुझे तो १०० रु० दो तो मैं काम करने को तैयार हूं। फिर एक ऐसे निरक्षर भट्टाचार्य पुजारी रखे गये कम तनख्वाह पर कि हम जब मन्दिर में जाते तो चरणामृत पहले ३ चम्मच मिलता था उसके बजाय ८-१० चम्मच मिलने लगा। धार्मिक शिक्षा का तो कोई नाम ही नहीं रहा। एक साल बाद जब यह दुर्गति देखी तो हमने कालेज ओथोरिटीज के पास बडा स्ट्रोन्ग प्रोटेस्ट किया और दुबारा जैसी व्यवस्था थी वैसी फिर से कायम की और फिर उसी प्रकार के विद्वान पन्डित आये। उसके बाद भी मैं उस कालेज में ४ साल तक रहा। वहां धर्म का अच्छा आदर्श भजन पूजन इत्यादि के द्वारा रखा जाता था। यह तो तभी होता है जब कि अच्छे संसर्ग हों।

और इस प्रकार अगर किसी पर नाजायज कब्जा हो जायेगा तो धार्मिक स्थानों में इस प्रकार परोपकारी कामों पर बिल्कुल खर्चा नहीं हो सकेगा।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और निवेदन कर दूं मेरी बातों की पुष्टि में, फिर मैं अपने आप अपना स्थान ग्रहण कर लूंगा।

जयपुर में चौड़े रास्ते में मन्दिर है उसमें हर रूप चतुर्दशी के दिन भगवान की प्रतिमाएं सड़क पर लगाई जाती हैं और रात में भजन कीर्तन होते हैं। राजस्थान में मर्जर होने से पहले साल में १५० रुपया राज्य की ओर से मिलता था। वह रुपया पुजारी इस काम में खर्च करते थे, भजन कीर्तन होते और उसमें मुझ जैसे धार्मिक श्रद्धालु लोग जाते।

(हंसी)

राजस्थान बनने के बाद वे १५० रुपये नामन्जूर कर दिये गये। ऐन चतुर्दशी के रोज पुजारीजी गये और धर्मार्थ डिपार्टमेन्ट में एक एसिस्टेन्ट कमिश्नर साहब ने उनको कहा कि ये १५० रु० तो मन्जूर कर दो। उन्होंने जवाब दिया कि जाओ जो ऐसे कामों के लिये कोई रुपया नहीं मिल सकता। पुजारीजी वापिस चले आये उसी रोज शाम होने से पहले पहले उन ए. सी. साहब की हृदयगति रुकने से एकाएक मृत्यु हो गई। कमिश्नर देवस्थान धर्मार्थ डिपार्टमेन्ट को इससे बड़ा डर लगा और रात को १२ बजे उस मन्दिर के पुजारी से जाकर कहा कि बाबा तुम्हारे ये १५० रुपये लो।

Page No 88

[श्री मानसिंह महार]

राजस्व मन्त्रीजी तो मेरे जिग्री दोस्त हैं, मैं तो इस बात की कल्पना नहीं कर सकता उनके लिये भगवान उनको सद्बुद्धि दें कि कहीं ऐसी बात न हो जाय। मैं मानता हू कि वे ब्राह्मण हैं और बहुत ऊंचे खानदान के ब्राह्मण हैं, वे हमारी धार्मिक बातों को सुनें।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

माननीय उपाध्यक्ष, धर्म पर जो कुठाराघात हो रहा है उसके लिये मैं ये बातें अर्ज कर रहा हू··

श्री उपाध्यक्ष––ये तो आप बहुत ही इधर उधर की बातें कह रहे हैं।

श्री मानसिंह महार––माननीय उपाध्यक्ष, मैं ये धर्म की बातें कह रहा हूं। इसलिये आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि इन पर तो थोडा सा बोलने दीजिये नहीं तो कहीं चित्तौड के मन्दिर पर भी इसी तरह से कुठाराघात होगा।

(हंसी)

एक मन्दिर की बात और अर्ज करदूं, क्योंकि मैं हर साल वहां जाता हू और उस स्थान के लिये बहुत दुःख है जयपुर का एक मन्दिर है बृन्दावन में, वह मन्दिर बहुत बडा है और उसकी इमारत बहुत बड़ी है। उस इमारत में जयपुर के और बाहर के लोग जाते हैं तो ठहरते हैं, वहां ठहरने का प्रबन्ध है और काफी अच्छा आराम है। उसे हमारी सरकार ने यू. पी. सरकार के दबाव में आ कर, राम कृष्ण मिशन है उसको स्कूल के लिये दे दिया है। यह बिलकुल रिलेवेन्ट बात अर्ज कर रहा हूं और यह निवेदन कर देना चाहता हू कि ट्रस्ट बना बना कर सभी मन्दिरों के साथ ऐसा ही होगा। यह मैं नहीं कहता कि स्कूल न खोले जायं। जयपुर में दरबार हाई स्कूल मन्दिर में है, महाराजा गर्ल्स हाई स्कूल मन्दिर में है, ये सब मन्दिर के अन्दर हैं, इसका हम विरोध नहीं करते, धार्मिक स्थानों का सदुपयोग होना चाहिये पर देख कर सदुपयोग होना चाहिये, आंखें खोल कर होना चाहिये, आंखें मींच कर नहीं होना चाहिये। तो वह मन्दिर और उससे अटेच्ड धर्मशालाएं थीं वे इसलिये थीं कि बृन्दावन में बाहर के लोग जा कर ठहरें, भगवान की लीलाएं देखें और श्रावण महीने में मन्दिरों में रासलीलाएं देखें, स्वयं अपने आपको भगवान के अर्पण करें, भगवान के दर्शन करें और सहूलियत से वहां रह सकें पर हमारी धर्मप्राण सरकार ने उसे यू. पी. सरकार को दे दिया है अगर नहीं दिया है तो एक दो दिन में हैंड ओवर हो जायगा।

यह मिसाल इसलिये दे रहा हूं कि हिन्दू ट्रस्ट बिल पास हो गया तो हमारे धार्मिक स्थानों को हमारी धार्मिक प्रोपर्टी को नष्ट भ्रष्ट कर दिया जायगा इसलिये मैं राजस्व मन्त्रीजी साहब से और उधर बैठे हुए माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि आप आर्य समाजियों को देख लीजिये, सनातन धर्मियों को देख लीजिये, जैनियों को देख लीजिये और किसी धर्म वालों को देख लीजिये, केवल नतमस्तक हो कर कहूंगा····आप जैसे बेधर्म वालों की तो नहीं कहता, पर जो धर्म वाले तबके हैं वे कभी गवारा नहीं करेंगे कि उनके धार्मिक स्थानों पर गलत तरीके से हस्तक्षेप करके उन पर कब्जा करें।

[श्री मानसिंह महार]

आप अगर गोपीनाथजी के मन्दिर को लेना चाहते हैं तो उसे कोर्ट ओफ वार्डस का इन्तजाम करके ले लीजिये पर समस्त हिन्दू धर्म के मन्दिरों को लेना चाहते हैं तो यह आपका अन्याय है।

आप हमें सांप्रदायिक, कोम्युनलिस्ट बतायेंगे और कहेंगे कि ये लोग धर्म के नाम पर नाजायज फायदा उठाना चाहते हैं पर साहब यह धर्म है सही बात है कि हिन्दू धर्म, जैन धर्म और और धर्म मानने वालों को हक होना चाहिये कि वे अपनी प्रोपर्टी का अच्छे धार्मिक कामों में सदुपयोग करें और उस प्रोपर्टी की रक्षा करें।

यह सब कहते हुए मैं सदन से प्रार्थना करूंगा कि अगर मेरे परबतसर से आये हुए मित्र की बात मानली जाय और इस बिल को पब्लिक ओपिनियन के लिये भेजा जाय तो बहुत अच्छी बात है और अगर शायद वह कृपा नहीं की जाय तो कम से कम इसे सिलेक्ट कमेटी में तो दुबारा भेजही दिया जाना चाहिये। विलायत में प्रणाली है कि उन सदस्यों को बन्द कर दिया जाय और एक मत हो कर एक राय न दें तब तक न उनको खाना खाने के लिये जाने दिया जाय और न पानी पीने के लिये जाने दिया जाय। इस प्रकार सब अपनी अपनी डफली बजा कर अलग अलग टुकड़े पेश करते हैं तो सदन उस पर विचार करने को तैयार नहीं है। अतः मैं उस ओर बैठने वाले माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि वे मन्त्रीजी को दबायें, यह हंसने की बात नहीं धर्म की बात है। देश छोड दो पर भेस मत छोड़ो पर भेस क्या आप तो धर्म छोड़ने पर तैयार हो गये। इससे बढ़ कर क्या लांछन की बात है?

मैं सदन के प्रत्येक माननीय सदस्य से यह प्रार्थना करूंगा कि वे भगवान की ओर ध्यान दें और इस कानून को पास नहीं होने दें। अगर उनकी धर्म में थोड़ी भी आस्था है तो इस पर ध्यान दें और इस धार्मिक मामले को सही तरीके से टैकल करायें।

अगर इस तरीके की कार्यवाही सरकार करती रहेगी तो देश में से धर्म ही नष्ट हो जायगा।

श्री रूपनारायण शास्त्री—माननीय उपाध्यक्ष, मुझे इस सम्बन्ध में उनका समर्थन करना है जो कि जमवा रामगढ से आये हुए माननीय सदस्य ने और परबतसर से आये हुए माननीय सदस्य ने कहा है, उनके समर्थन में बोलना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—इसमें एक बात ध्यान में रखने की है। यह बिल रखा जावे या नहीं रखा जावे, इस स्टेज पर यह बिल नहीं रहा है। इस बिल में क्या संशोधन किये जावें, बहस की स्टेज यह है। इस बात को ध्यान में रखते हुए बहस होनी चाहिए।

श्री जगतसिंह झाला—ओन ए पोइन्ट ऑफ ओर्डर, सर, इसको लिया जाय या नहीं लिया जाय, इस पर पहले विचार नहीं हुआ है, अब ही इस पर विचार करें क्योंकि यह सिलेक्ट कमेटी से आया है।

श्री उपाध्यक्ष—नियम के अनुसार हो तो कार्यवाही कर सकते हैं।

श्री मानसिंह मङ्गार—नियम तो आप हैं, उपाध्यक्ष महोदय ।

श्री रूपनारायण शास्त्री—जनमत के लिये इस बिल को प्रसारित किया जाय यह प्रस्ताव परबतसर से आये हुए माननीय सदस्य का था और इसी पर उन्होंने विचार प्रकट किये हैं इसी तरह समर्थन भी इसी बारे में युक्तियां दें तो यह अवैधानिक नहीं है। जो प्रस्तावकों ने अपने प्रस्तावों के समर्थन में बातें कही हैं उन्हीं के समर्थन में मैं नियुक्तियां रखूंगा। जो जनमत के लिये प्रसारित करने का प्रस्ताव रखा गया है उसके लिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसे अवश्य जनमत के लिये प्रसारित किया जाय। जनता ने इस बारे में जो कुछ अपना मत प्रस्तुत किया है वह आपके सामने है प्रवर समिति के पास हजारों कार्ड प्रार्थना-पत्र, चिट्ठियां भेजी हैं लाखों आदमियों ने अपने मत को इस बिल के विरोध के रूप में प्रकट किया है तो इस दशा में क्यों नहीं मान लिया जाय कि जनमत इसके प्रतिकूल है। विशेषतः इसके जनमत प्रतिकूल हो तो आश्चर्य की इसमें क्या बात है वे लोग जो धर्मनिरपेक्ष हैं धर्म सपक्ष लोगों पर छुरी चलाते रहें यह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसलिये यह बिल पास नहीं करना चाहिये। आप ही बतायें भला छोटे छोटे मन्दिरों का रजिस्ट्रेशन क्या माने रखता है। यह कहा जाता है कि छोटे छोटे मन्दिरों का रजिस्ट्रेशन किया जाए और वे रजिस्ट्रेशन रखें हिसाब का। मैं यह कहूंगा कि जहां पर मन्दिर की आमदनी १००) या ५०) हो वे क्या रजिस्टर रखेंगे और अपना हिसाब बताएंगे और बजट पेश करेंगे? उनको यह कहा जाता है कि उनको भी बजट पेश करना चाहिये। भला वे किस आमदनी का बजट पेश करें? मैं समझता हूं कि इसका मूल सिद्धान्त यह है कि सरकार यह चाहती है कि उसका कन्ट्रोल धर्म के मन्दिरों पर भी हो। सरकार यह चाहती है कि ईश्वर की पूजा के लिये दिया गया पैसा है उस पर भी आपका कन्ट्रोल हो और आप अपनी मर्जी से उस पर ट्रस्ट कायम करें यह आप नहीं कर सकेंगे हम मन्दिरों में जाते हैं और वहां पर पैसा इसलिये नहीं देते कि वह भगवान के काम में नहीं आए और जो लोग भगवान की सेवा पूजा करते हैं उन्हीं के काम में वह भेंट आए। हम यह नहीं चाहते कि जो पैसा हम भगवान को भेंट चढाएं उन पर कुर्सियों पर बैठ कर शासन करने वाले लोगों का अधिकार हो। सरकार यह चाहती है कि सिक्ख, जैन, आदि बौद्ध जितने भी अन्य धर्मावलम्बी हैं उनको हिन्दू धर्म के अन्तर्गत ले लिया जावे और ईसाई, पारसी आदि को छोड़ दिया जावे। मैं सेक्यूलर कहलाने वाली गवर्नमेन्ट से यह पूछना चाहता हूं कि क्या उन लोगों के सम्पत्ति नहीं, क्या उनका पैसा हिन्दुस्तान में वितरित नहीं होता है क्या उनकी स्कूलें नहीं चलती, क्या उनके होस्पिटल्स नहीं चलते हैं। क्या उनके धर्म का हमारे देश में प्रचार नहीं किया जाता। मैं तो यह कहूंगा कि ईसाई धर्म वाले जितना पैसा धर्म प्रचार के लिये खर्च कर रहे हैं हिन्दू उसको देखते हुए कुछ भी अपने धर्म पर खर्च नहीं करते हैं। जब ऐसी बात है तो फिर उनके स्थानों पर इस प्रकार का नियन्त्रण क्यों नहीं लगाया जाता? हम मानते हैं कि आपने तो यह बिल बिलकुल साफ नियत से रखा है। यदि आपको इन धर्म के मामलों में पड़ कर और मन्दिरों का पैसा अपने स्वार्थों के काम में नहीं लेना है तो फिर आज कमेटी की रिपोर्ट को जल्दी से जल्दी पास कराने की चेष्टा क्यों की जा रही है? इससे साफ आपकी नियत जाहिर होती है कि आप उसको अपने स्वार्थों के लिये उपयोग करना चाहते हैं। यदि ऐसा नहीं है तो फिर जनमत के लिये इसको प्रसारित क्यों नहीं कर देते? होना तो यह चाहिये कि आप खुद इसको जनमत के लिये प्रसारित करते। मगर आपने ऐसा नहीं किया तो जब माननीय सदस्य ने कहा है कि इसको जनमत के लिये प्रसारित किया जावे तो आपको

[श्री रूपनारायण शास्त्री]

इसमें आपत्ति क्यों आनी चाहिये ? आपको तो पब्लिक की राय की कदर करनी चाहिये। अगर आप जनतन्त्र के सच्चे हामी हैं तो आपको जनमत की कदर करनी चाहिये और इसको जनमत के लिये प्रसारित करना चाहिये वरना जनता इस बिल को स्वीकार करने के लिये कदापि तैयार नहीं होगी। मैं तो अपने धर्मसपेक्ष लोगों से यहां निवेदन करूंगा कि इन स्थानों पर आप बैठे हैं और जनता ने आपको चुन कर भेजा है, आपको अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिये। मैं यह कहूंगा कि अगर जनता की राय यह हो कि हमें इस मामले में स्वतन्त्र रखा जाए तो फिर भला इस प्रकार नादिरशाही करने क्यों जा रहे हैं। यदि आपको नादिरशाही ही करनी है तो मैं समझता हूं कि मुझे कुछ नहीं कहना है। मगर साथ ही साथ मैं यह भी कहूंगा कि अगर आप जनतन्त्र के हामी हैं क्योंकि जनतन्त्र की सरकार है आप जनता की आवाज की कदर करते हैं तो उस सरकार का कर्तव्य हो जाता है कि लोग धर्म के लिये मरने को तैयार हैं उन लोगों को इस सिलेक्ट कमेटी में शामिल करना चाहिये था और प्रत्येक धर्म के धर्माचारियों, हिन्दू धर्म के आचार्यों सिक्खों और जैन धर्म के पंडितों, बुद्ध भिक्षुक होते हैं उनकी राय जाननी चाहिये थी कि किस प्रकार से वे लोग अपने धर्म में काम करते हैं, और उनकी राय जानकर यह कहते हैं कि यह उचित है, इसको काम में लिया जाए। मगर जो आदमी धर्म के मामलों में कुछ नहीं जानते कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म के सिद्धान्त क्या हैं, यदि ऐसे व्यक्ति धर्म के मामलों के बारे में फैसला करने वाले बन जाते हैं या बनाये जाते हैं तो मैं यह कहूंगा कि यह तो सरकार के लिये कोई शोभा की बात नहीं है। यदि कोई धर्म भ्रष्ट व्यक्ति यह कहे किसी को कि मैं दूसरे लोगों को धर्मभ्रष्ट होने से बचाने के लिये कार्य कर रहा हूं, जब कि वह खुद भी धर्म भ्रष्ट है तो वह दूसरों को धर्मभ्रष्ट होने से क्या बचा सकेगा। यदि कोई मंदमस्त, मद पी कर शराब पी कर यह कहने लगे कि मैं मदिरा के दोषों को बता रहा हूं तो भला वह मदिरा के दोषों को क्या बता सकता है वह तो खुद मद मस्त है। इसलिये दरअसल इसका मतलब यह है कि सरकार यह चाहती है कि जो धन मन्दिरों में जहां जहां पर भी है उसमें उनका हस्तक्षेप हो और उस धन का दुरुपयोग हो।

आज हम देखते हैं कि जो जो मन्दिर के नियन्त्रण में आये हैं उनकी जो संपत्ति थी उसको सरकार के मन्त्रियों ने अपने इष्ट मित्रों को दे दी और अब यह कहा जाता है कि वह तो वेंकटाचार की गवर्नमेन्ट ने दी थी। मैं यह कहना चाहता हूं कि उसकी सरकार के बाद तो आपकी गवर्नमेन्ट बहुत समय से है। आपने उस धन को वसूल करने की कार्यवाही क्यों नहीं की और जब नहीं की और मौन रहे तो इसका अर्थ यही है :—

आपकी मौन साधना आपकी स्वीकृति का लक्षण है। इसलिये मैं यह मानता हूं कि इस प्रकार की संपत्ति को जो देवताओं को चढायी जाती है उसको पब्लिक कतई देने के लिये सरकार को तैयार नहीं है। पब्लिक पैसा देने के लिये कभी भी तैयार नहीं होगी इतना ही नहीं बल्कि वह प्रदर्शन करेगी और यदि आप लापरवाही करते रहेंगे तो उसका नतीजा यह होगा कि भगवान के नाम पर जो पैसा दिया गया है वह तो आप बरबाद कर ही देंगे और जमा पैसा खर्च हो जाएगा और नया पैसा जनता देगी नहीं

[श्री रूपनारायण शास्त्री]

क्योंकि जनता को आपका विश्वास नहीं। तो आगे पैसा आवेगा नहीं, और जमा पूंजी को आप अपने इष्ट मित्रों को देकर हजम कर जावेंगे तो फिर वह मन्दिर दरिद्र स्थान हो जाएगा और धार्मिक संस्थाएं और स्थान हैं वे नष्ट-भृष्ट हो जाएंगे, क्योंकि जब पैसा नहीं होगा तो देवता की पूजा नहीं होगी न मन्दिर की मरम्मत आदि होगी।

इससे साफ मालूम होता है कि आपका ध्येय धर्म को नष्ट करने का है और धार्मिक आय को बन्द करने व धार्मिक स्थानों को बन्द करने का है तो आप साफ साफ क्यों नहीं कह देते ? इस प्रकार के हथकन्डे क्यों प्रयोग में लाते हैं ? आप साफ यह क्यों नहीं कहते कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं और धर्मसंपेक्ष लोगों को राजस्थान में रहने नहीं देंगे। यदि आपको यही करना है तो फिर आप जो कुछ मर्जी आवे करें, और जनता भी आपके विरोध में जो कुछ उसके जचेगा वह करेगी। अगर वास्तव में यह पब्लिक की सरकार है और जनमत की कदर करती है तो जनता की तरफ इसको ध्यान देना चाहिये। यह धर्म का मामला है। धर्म के मामले में बडे बडे लोगों ने बलिदान दिये हैं। धर्म के लिये लोग इमारतों तक में जिन्दे चुने गये हैं मगर फिर भी उन्होंने अपने धर्म को नहीं छोडा है। आज भी इस प्रकार के लोगों की कमी नहीं है। आज भी पब्लिक अपने धर्मस्थानों के लिये मरने को तैयार है। यदि आपको यही करना है कि राजस्थान में धर्म के नाम पर रक्तपात हो तो आप ऐसा कर सकते हैं। यदि आप जनतन्त्र के पोषक हैं और उसको आगे बढाने के लिये प्रयत्नशील है तो आपको इस मामले में पहले पब्लिक की राय लेनी चाहिये कि पब्लिक क्या चाहती है ? आप इस पर पुनः विचार करें। यदि अभी इसको जनमत के लिये प्रसारित नहीं करना चाहते तो इसको सिलेक्ट कमेटी में पुनः भेज दिया जाए और उसकी रिपोर्ट आने के बाद जनता की राय के लिये प्रसारित किया जाए। उसके बाद इसको हाउस में लाएं और स्वतन्त्र रूप से लोगों को अपने विचार व्यक्त करने दीजिये। बाद में इसको पास कराने की चेष्टा की जाए तो ठीक होगा। यदि आप इसके प्रतिकूल करेंगे तो यह जनतन्त्र के सिद्धान्तों के प्रतिकूल होगा। मैं अपने भाषण को इतना ही कह कर समाप्त करता हूं कि इस बिल को आप जनमत के लिये प्रसारित करने में कोई आपत्ति नहीं करें और जनमत जानने के लिये प्रसारित अवश्य करें।

श्री जगतसिंह झाला—माननीय उपाध्यक्ष, मैं इस बिल का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं ने अपनी रिपोर्ट में भी नोट ओफ डिसेन्ट दिया है और इसका मैं ने कमेटी में भी विरोध प्रदर्शित किया था। मैं ने अपनी रिपोर्ट के अंतिम पैरा में लिखा है कि मेरी सम्मति में यह बिल बिना जनता की राय जाने नितान्त अप्रजातान्त्रिक होगा, इसलिये इसको जनमत जानने के लिये प्रसारित किया जावे।

यदि इसको बिना जनता की राय के जाने हुए अपने बहुमत के बल पर जिस शक्ल में यह पेश किया गया है अगर उसी शक्ल में पास कर दिया जाएगा तो मैं यह कहूंगा कि हमारी धार्मिक भावना पर बड़ा बुरा असर होगा और उस पर कुठाराघात होगा।

[श्री जगतसिंह झाला]

मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि अगर आप इस पर जनता की राय लेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस प्रकार के बिल से उनके दिलों पर कैसा कुठाराघात हुआ है ? हजारों और लाखों की तादाद में जो चिट्ठियां तार पत्र आदि प्राप्त हुए हैं वे इसी बात के प्रमाण हैं, वे उन लोगों की दिली भावना को प्रदर्शित करते हैं। मैं साथ ही यह भी निवेदन कर देना चाहता हूं कि हमारे खुद के गांव के अन्दर मैं ने कुछ लोगों की भावना को जानने का प्रयास किया उन्होंने कहा कि अगर इस तरह का बिल पास हो जाता है तो हमने आप लोगों को वहां किस लिये भेजा ? हमने कहा, हम तो अल्पमत में हैं । उन्होंने कहा आप अल्पमत में कैसे हैं हम आपके साथ हजारों और लाखों की तादाद में हैं। अगर आप इस बिल को जनता की राय के लिये प्रसारित करदें तो आपको पता चलेगा कि ग्राम का एक एक बच्चा इस पर राय देने के लिये तैयार है उनका कहना है कि यह काला कानून पास किया जा रहा है। इस कानून में काली धारायें जोड़ी जा रही हैं जिसमें धर्मादे की बात समाप्त करने के लिये बात की जा रही है। इसमें धर्मादे के ऊपर नियन्त्रण लगाया जा रहा है कि एक पैसा भी धर्मादे के नाम पर नहीं दिया जा सकेगा। आज हमारे यहां धर्मादे के नाम पर लाखों रुपया दिया जाता है जो जनता की भलाई के कामों पर खर्च किया जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अर्ज करूं, फतहनगर में पचास हजार रुपये इसी धर्मादे के खर्च किये जाकर एक हाई स्कूल बनाया गया है । लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि दो हजार का फरनीचर तक हमारी सरकार उसमें नहीं दे सकती । धर्मादे की रकम से यह बिल्डिंग बनी । ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग रुपयों का दुरुपयोग कर सकते हैं लेकिन कुछ लोगों के साथ सब का गला नहीं घोंटना चाहिये । आप इस धर्मादे को बिल्कुल समाप्त करने पर तुले हुए हैं, यह बिल यही भावना प्रदर्शित करता है । आपने इसमें हिन्दू शब्द को जोड़कर हमारे साथ आपने एक बड़ा आघात किया है । जब कि हम यहां विधान सभा में चुनकर आते हैं तो पहले हमें संविधान के प्रति शपथ दिलाई जाती है जिस संविधान में धर्म निरपेक्ष राज्य की गारन्टी है वहां इस प्रकार के बिल लाकर हमारे धर्म पर आक्षेप किया जाता है । आपने हिन्दू कोड बिल रखा और उसको पास कर आप हिन्दुओं पर अत्याचार करने वाला कानून पास करते हैं उसी प्रकार आपने इस बिल में भी हिन्दू नाम रखकर धर्म निरपेक्ष राज्य की आपने तौहीन की । आपने इस बिल में हिन्दुओं के साथ साथ बौद्ध और जैनों को भी ले लिया आज जैनियों में इस बिल का बहुत भारी विरोध है हजारों की तादाद में चिट्ठियां इस विरोध स्वरूप आपके पास आयी हैं । अगर आप चाहते हैं, इस बिल पर प्रजा की राय मानी जाय तो एक ही रास्ता है इस बिल को प्रजा की राय जानने के लिये प्रसारित किया जाय । केवल आप अपने बहुमत के बल पर इस बिल को पास करने की चेष्टा न करें । यह आपको जान लेना चाहिये कि इस बिल में हम दो चार व्यक्तियों ने इस बिल का विरोध किया वे भी सिलेक्ट कमेटी में थे । वहां पर भी हमें आप लोगों की भावनाओं को अच्छी तरह से देखने का मौका मिला । हम चाहते हैं कि आप यदि इस प्रकार जनता की राय बगैर किसी बिल को पास कर लेते हैं तो आपको कुर्सियां खाली कर देनी चाहिये । नहीं तो आप याद रखिये इसके खिलाफ राजस्थान में विद्रोह होगा । आप मुझे यह कह सकते हैं कि आप इस प्रकार जनता की भावनायें भडकाने के लिये प्रयत्न कर रहे हैं । यह भडकाने की बात नहीं बल्कि जनता की

[श्री जगतसिंह झाला]

राय जानने की बात है । आप उन मन्दिरों के शिलालेखों को देखिये जिनमें यह लिखा हुआ है अगर मन्दिर की सम्पति का दुरुपयोग किया जायगा तो हजारों और लाखों वर्षों तक नरक की यातनायें भोगनी पडेगी । इसपर भावनाओं का सवाल नहीं आपको यह देखना पडेगा कि जिन लोगों ने इस प्रकार के शिला लेख खुदवाये हम उन पर न्याय कर रहे हैं अथवा नहीं । आपने परामर्शदात्रीयां समितियां बनाई हैं वह केवल अपने राजनैतिक स्वार्थ सिद्धि के लिये हैं न कि मन्दिरों की भलाई के लिये । आप यह चाहते हैं कि किस प्रकार इससे चुनाव में फायदा उठाया जाय यह आशय आपका इस बिल में छुपा हुआ है ।

उपाध्यक्ष महोदय, सिलेक्ट कमेटी में भी हमने इस बात का विरोध किया था कि जब जैनियों का सारा अखिल भारतीय ट्रस्ट बना हुआ है, उनको इस विषय में क्यों नहीं पूछा गया ? आप उनके मेम्बरों को क्यों नहीं लेना चाहते, लेकिन हमारे इस सुझाव को वहां ठुकरा दिया गया । मैंने उस समय भी विरोध किया और पुरजोर विरोध किया । आप जो यह जल्दी में बिल पास करना चाहते हैं वह राजस्थान की जनता की भावना को ठीक रूप से प्रदर्शित नहीं करता । आप हरेक गांव के अन्दर जाकर देखिये मन्दिर में और उसके नीचे कुछ न कुछ सम्पति है उस सम्पति को आप हडपना चाहते हैं । जनता का विरोध है, यह हजारों की तादाद में पत्र भेजकर उन्होंने प्रमाणित कर दिया। जनता की राय जानने के लिये आपने चार साल निकाल दिये । चार साल निकाल दिये आपने इस बिल को पास नहीं किया अब इतनी जल्दी क्या है । या तो आप यह सोचते हैं कि आयन्दा आपकी पार्टी बहुमत में आनेवाली नहीं इसलिये यह कानून पास नहीं हो सकेगा । अगर आप को विश्वास है तो आप चार महिने और निकाल सकते हैं फिर इस बिल को ला सकते हैं । बिना जनता की राय लिये जल्दी से इस बिल को पास करना अप्रजातान्त्रिक तरीका होगा । हम जो विरोधी मेम्बर यहां पर आये हैं वे जनता की भावना को प्रदर्शित करते हैं हमारा फर्ज है कि हम उचित रूप से इसका विरोध करें । जैनियों ने इस बिल का विरोध किया, उनका विरोध तथ्य पूर्ण था । क्योंकि उनके मन्दिरों के अन्दर किसी अन्य को प्रवेश करने का अधिकार नहीं । हजारों वर्षों से उनके मन्दिरों में कोई प्रवेश नहीं करता इस बिल के कारण आप उनके मन्दिर में भी दूसरे व्यक्तियों को प्रवेश कराना चाहते हैं । प्राइवेट मन्दिरों के अन्दर प्रवेश करने की भावना इस बिल में छुपी हुई है । आपकी सीकुलर स्टेट है आप देवस्थान कमिश्नर पद पर मुसलमान ईसाई या अन्य किसी जाति का भी आदमी हो उसको नियुक्त कर सकते हैं वैसी हालत में वह मन्दिरों में जायगा तो वे लोग कैसे उनको जाने देगें ? उनका विरोध करेंगें, उनके देव मन्दिरों में वे लोग नहीं जा सकते । अगर आप जाने ही देना चाहते हैं तो प्राइवेट मन्दिरों के अन्दर प्रवेश करने का कानून पास कर दिजिये ।

बंबई मद्रास जैसे प्रान्त हैं वहां गोहत्या होती है और हमारे प्रान्त में गोवध नहीं होता । क्योंकि गोवध हमारे यहां कानूनन् बन्द है ।

श्री दामोदरलाल व्यास—यह आप कब से मानने लगे कि गोवध यहां नहीं होता ?

श्री जगतसिंह झाला—मैं यह मानता हूं कि यहां गोवध बन्दी का कानून है किन्तु उसका पालन ठीक प्रकार से नहीं होता। कानून के ठीक प्रकार से अमल न होने की मुझे शिकायत है। यह तो हम मानकर चलते हैं कि राजाओं के जमाने से गोवध का कानून चला आ रहा है । आप मन्दिरों की सम्पत्ति पर कब्जा करके जो सम्पत्ति लाखों और करोडों की है उससे आप अपना राजनैतिक स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं । और मन्दिरों की रकम अपने निजी स्वार्थ के लिये और अपने काम के लिये प्रयोग में लाना चाहते हैं । मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि यह कानून पास हो तो आपको इस कानून की बुराइयों को निकालने के लिये प्रजा की राय को ठीक प्रकार से जानना चाहिए । यही प्रजातंत्र में जनता की राय जानने का तरीका है बिना राय जाने हुए आप अपने बहुमत के आधार पर इसे पास करने की चेष्टा मत कीजिये ।

श्री मानसिंह महार—उपाध्यक्ष महोदय, पांच बज रहे हैं अब आगे पर रखा जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—आप अब और कितना समय लेंगे ?

श्री जगतसिंह झाला—वैसे तो मेरा इस पर नोट आफ डिसेन्ट है, मुझे काफी समय मिलना चाहिये इस पर । वैसे तो बहुत सी बातें बतलानी हैं ।

पर समय हो गया है पांच बज गये हैं । इसलिये मैं अर्ज करना चाहता हूं कि आप जनता की राय को जानने के लिये इसे प्रसारित कर दें, नहीं तो ऐसा भी हम सुन रहे हैं कि विधान सभा का सेशन हम अभी का समाप्त करने जा रहे हैं उससे पहले पहले इस पर कुछ निर्णय कर लें । नहीं तो फिर अगले सेशन में यह और आवेगा । इसलिये अगर मन्त्री महोदय फरमा देते हैं कि जनता की राय के जानने के बाद ही यह प्रस्तुत किया जावे तो ज्यादा अच्छा है ।

श्री मानसिंह महार—तो ऐसा समझा जावे कि इसे पब्लिक ओपीनियम के लिये सर्कुलेट करने की सरकार की इच्छा है ?

श्री उपाध्यक्ष—ऐसा समझने का तो मौका नहीं आया है ।

(विराम)

[श्री उपाध्यक्ष]

समय हो चुका है । सदन की कार्यवाही स्थगित की जाती है और तारीख १५ अक्टूबर, ५६ को सुबह ११ बजे वापिस मिलेंगे ।

(सदन की कार्यवाही सायं ५ बजकर २ मिनिट पर दिनांक १५ अक्टूबर, १९५६ के प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई) ।

मंसाराम पुरोहित,
सचिव,
राजस्थान विधान सभा ।

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक, २८ सितम्बर, १९५६ ।